खण्ड-274, अंक-4
मंगलवार, 27 आषाढ़, शक संवत् 1889
(18 जुलाई, 1967 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 274 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १८ जुलाई, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य ४०९

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठई राम, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्या प्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्या प्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेश प्रताप मल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खाँ, श्री
अशर्फी लाल, श्री
अश्वनी कुमार, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी, 'राकेश' श्री
अहमदउल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
आनन्द सिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्र मोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदय प्रताप, श्री
उदयवीर सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्धई लाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला प्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमला प्रसाद, श्री (बहराइच)
करन सिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनार्थीसिंह, श्री
कल्याण चन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशनलाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशुन लाल, श्री
कृष्ण बहादुर, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री

केशरी लाल, श्री
केशव देव, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्तसिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गया प्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपाल राम दास, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
गौरी शंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र किशोर, श्री
चन्द्रकुमार, श्री
चन्द्र देव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगत सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश नारायण त्रिपाठी, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगपत सिंह, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जवाहर लाल जाटव, श्री
जवाहिर लाल, श्री
जसोदा नन्द, श्री
जानकी प्रसाद, श्री
जितेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगल किशोर, श्री
जे० एन० सिनहा, श्री
जैदत्त सिंह, श्री
जैनूराम, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दल सिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराज सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवी दयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवी सेवक, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
देशराज सिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मबीर सिंह, श्री

धर्मसिंह, श्री
ध्रुवकुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरवदेश्वर, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन, श्री
निहालसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पब्बरराम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतम सिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारुक चिश्ती, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंगबली, ब्रह्मचारी
बदन सिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, सरदार
बलवीर सिंह, श्री (मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बसन्त लाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बसन्त सिंह, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बिशनलाल, श्री
बुधिराम, श्री
बजकिशोर, श्री
बृजपाल सिंह, श्री
बृजमोहन दास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री (वाराणसी)
बेनीबाई, श्रीमती
बेनी सिंह अवस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारत सिंह चौहान, श्री
भोखालाल, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगला प्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मदन मोहन सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नो लाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महराम सिंह, श्री
महिपाल सिंह, श्री
महो लाल, श्री
महेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर
महेश कुमार, श्री
माता प्रसाद, श्री
मान सिंह, श्री
मारकंडे, श्री
मंशीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुरली धर, श्री
मुलायम सिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री

मुल्तान सिंह, श्री
मुहम्मद महमूद अली खां, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल आचार्य,
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
योगेश्वर प्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथसिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथ सिंह, श्री (झांसी)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज , श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रफी मुहम्मद खां, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल श्री,
रवीन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राज राजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्र प्रतापसिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
राम अंजोर, श्री
राम अचल सिंह सेंगर, श्री
राम अधार, श्री
राम अधीन सिंह, श्री
राम आसरे, श्री
रामकरन, श्री
राम किंकर, श्री
राम किशोर, श्री
राम कुमार, श्री
राम चन्द्र आजाद, श्री
राम चन्द्र जोशी, श्री
राम चन्द्र विकल, श्री
राम चन्द्र सिंह, श्री
राम चरन दोहरे, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
राम नरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
राजनारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसरन सिंह, श्री
रामसिंह, श्री
राम सुन्दर शास्त्री, श्री
राम सेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)
रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)

रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरसिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूप नाथ, श्री
रूपनरायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लाखन, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विपिन बिहारी तिवारी, श्री
विशुन प्रताप सिंह, श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथ सिंह, श्री
विष्णु स्वरूप, श्री
वीर बहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकर सिंह, चौधरी
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषण सिंह, श्री
शिव गोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगन चन्द मजदूर, श्री

श्यामलाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्री नारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्री राम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदार सिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खन लाल, श्री
सुखदेव, श्री
सखदेव प्रसाद, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्र सिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी सिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादु , श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होरी लाल यादव, श्री

नोटः—उप-मुख्य मंत्री, श्री रामप्रकाश तथा उद्योग मंत्री, श्री प्रभुनारायण सिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १८ जुलाई, १९६७

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

चकबन्दी अधिकारी, मुखलिसपुर के खिलाफ शिकायत

*१—श्री सन्तू (जिला बस्ती), श्री चन्द्रशेखर सिंह (जिला बस्ती), श्री जसोदानन्द (जिला बस्ती), श्री बुधिराम (जिला बस्ती), श्री महिपाल सिंह (जिला बस्ती), तथा श्री धनराज यादव (जिला बस्ती)—

प्रथम सत्र १९६७ के ४थे शुक्रवार के प्रश्न संख्या ३३ में यह कहा गया था कि शिकायती-पत्र प्राप्त हुये थे, किन्तु उक्त सी० ओ० के स्थानान्तरण के कोई आदेश नहीं गये थे? क्या सरकार शिकायती पत्रों की तत्काल किसी उच्च अधिकारी (जिलाधीश के समकक्ष) द्वारा जांच करायेंगी क्योंकि जनता में बहुत असन्तोष है ? सी० ओ० मुखलिसपुर, जिला बस्ती का स्थानान्तरण करने की कृपा करेंगे जिससे जांच में किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े ? यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

आवश्यक जांच उच्चाधिकारियों द्वारा की जा रही है। दौरान जांच कोई बात अब तक नहीं मालूम हुई जिसके आधार पर चकबन्दी अधिकारी का तबादला करना जरूरी समझा जावे और न उसकी तरफ से जांच में कोई बाधा डाली गई है।

**२—सर्वश्री सन्तू, श्री चन्द्रशेखर सिंह, श्री जसोदा नन्द, श्री बुधिराम श्री महिपाल सिंह तथा धनराज यादव—

क्या सरकार को जानकारी है कि जब सी० ओ० मुखलिसपुर, जिला बस्ती, बस्ती जिले के ग्रामवासियों के शिकायती-पत्र सरकार को प्राप्त हो गये तो उक्त सी० ओ० का स्थानान्तरण अब तक न करने के कौन-कौन से कारण हैं ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

प्रथम प्रश्न के उत्तर के सन्दर्भ में यह प्रश्न नहीं उठता।

(प्रश्नोत्तर के लिये राजस्व मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उदित नारायण शर्मा—

श्रीमन्, अभी फाइल आ रही है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपकी तरफ से उत्तर पढ़ देता हूं। आप उत्तर दे दीजियेगा।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं यह इस सदन की मान मर्यादा का प्रश्न है। मिनिस्टर साहब जब यहां आयें और उनके सवाल हों और वह भी पहला सवाल हो और बिना अपनी जरूरी फाइल के यहां आ जायं तो इससे ज्यादा इस सदन का अपमान नहीं हो सकता। इसलिये आपके जवाब पढ़ने से उनके सही या गलत जवाब देकर टाल देने से इस सदन की मर्यादा सुरक्षित नहीं हो सकती है। इसलिये मैं समझता हूं कि आप मिनिस्टर साहब को तम्बीह करें कि इस तरह की गलती कभी आगे न करें और इसके भी लिये माफी मांगें।

श्री अध्यक्ष—

जो बात अभी माननीय गौतम जी ने कही वह अपनी जगह पर बिलकुल ठीक है। मंत्रि-मंडल के सदस्यों को समय से अपनी फाइल तैयार रखनी चाहिये। अगर कोई लैप्स हो जाय तो उस समय सदन का कार्य चलता रहे, ऐसी व्यवस्था मैं करना चाहता था।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मुझे खेद है कि ये कागज देर से आये। जब मैं वहां से चला तो मुझे बतलाया गया था कि कागज भेज दिये गये हैं।

श्री सन्तू—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सी० ओ० करसर, जिला बस्ती के बारे में दो दफा रिपोर्ट की गई कि वह तालाब में कपड़े धोने के लिये धोबी को इजाजत देता है और मकान बनाने के लिये मिट्टी उठाने देता है और आबपाशी के लिये पानी भी देता है? तो इन चीजों की जांच करके उसका ट्रान्सफर करेंगे?

श्री उदित नारायण शर्मा—

यह प्रश्न अदालत के विचाराधीन है। एक अदालत में फैसला हो चुका है, दूसरी में यह मामला चल रहा है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी इस की जांच कराने का प्रयत्न करेंगे कि कुछ पार्टियों के लोग सी० ओ० पर नाजायज दबाव डाल कर मुकदमों का फैसला गलत तरीके से कराना चाहते हैं?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं समझता हूं कि यह बात गलत है।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह सी० ओ० जिला बस्ती में कितने वर्षों से हैं?

राजस्व उपमंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह यादव)—

यह ६ दिसम्बर, १९६५ से वहां नियुक्त हैं।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

चकबन्दी में इस तरह की शिकायतें कि आम रास्ते रोक दिये हैं अथवा हरिजनों के घर तक बन्द कर दिये हैं, प्रदेश भर में हैं। तो क्या मंत्री जी इस प्रान्त व्यापी कष्ट के लिये कोई विशेष कदम उठा कर जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री उदित नारायण शर्मा—

किसी विशेष जगह की बात हो तो लिख कर देने से मैं उसकी जांच करा लूंगा।

श्री रामकरन (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जब वहां के लोगों ने सी० ओ० के खिलाफ शिकायत की है और यह मामला अदालत में है तो क्या इसकी जांच करा कर वे तुरन्त उसके लिये कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, इसकी जांच जल्द से जल्द की जायगी।

इलाहाबाद जिले में लगान माफी के लिये प्रार्थना

**३—श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री को इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी, इलाहाबाद से १० जुलाई, १९६७ को लगान, सिंचाई कर आदि की वसूली रोकने के सम्बन्ध में भेजा गया कोई तार मिला है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या आदेश दिये गये हैं?

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

जी हां, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, इलाहाबाद से आवश्यक जानकारी की जा रही है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या माल मंत्री जी बतायेंगे कि जब वे स्वयं उस जिले के एक बड़े भाग का दौरा कर के आ चुके ह और कितने ही वर्षों से इलाहाबाद में दुर्भिक्ष की स्थिति है और पिछले लगान तथा दूसरे डयूज बकाया हैं तो किसी किस्म की जांच कराने के बजाय वसूली को वहां एकदम रोकने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मान्यवर, जितनी मालगुजारी की माफी के लिये वहां के अधिकारियों ने लिखा है, वह मालगुजारी वसूल नहीं की जा रही है ।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी मेरी सूचना के आधार पर यह जांच करायेंगे जिलाधीश से कि इतना सूखा और इतनी वसूली होने पर भी वहां के लोगों को परेशान किया गया है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं इसकी जांच करा लूंगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो स्थगित लगान वसूल किया जा रहा है, वह कितने वर्ष का है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जहां तक मुझे मालूम है, स्थगित लगान वसूल नहीं किया जा रहा है । अगर कोई वसूली की जा रही है तो मैं इस की जांच करा लूंगा ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि इलाहाबाद जिले की आठों तहसीलों में कई सालों का जो लगान बकाया पिछला मुल्तवी पड़ा हुआ था उसको इस साल जब कि किसान बुआई के लिए भी पैसा नहीं पा रहा है और दुर्भिक्ष की स्थिति से गुजर रहा है, वसूल किया जा रहा है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जो नयी सूचना माननीय बहुगुणा जी ने दी है उसके आधार पर फिर से जांच करायी जा रही है कि क्या कोई इस किस्म की वसूली हो रही है ।

श्री गौंदा सिंह (जिला देवरिया)—

जब तक जांच हो तब तक के लिए वसूली स्थगित करने का आदेश देंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

जरूर देंगे ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

हम आभारी हैं मंत्री जी के आश्वासन के लिए कि इस चतुर्मास के काल में लगान और किसी सिंचाई कर की वसूली नहीं करेंगे, लेकिन जिले के अन्दर जो दूसरे डयूज हैं, तकाबी है, ऋण हैं उनको भी स्थगित करने की कृपा करेंगे ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी, क्योंकि दूसरे विभागों से सम्बन्धित है । वैसे इस पर विचार करेंगे ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या यह भी पता लगवायेंगे कि जहां जहां नहरों से पानी दिया जाता है उस क्षेत्र में गेहूं, धान और गन्ने को कितना-कितना पानी दिया गया ताकि उन को स्थिति मालूम हो जाय कि कितना पानी दिया गया इरिगेशन विभाग द्वारा और कितने का पैसा लिया जा रहा है ?

श्री उदित नारायण शर्मा—

माननीय बहुगुणा जी लिख कर भेज दें, मैं जांच करा लूंगा।

इण्टर की परीक्षाओं में एक विषय की कमी

**४—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उन्होंने आगामी हाई स्कूल और इण्टर की परीक्षाओं के लिये एक-एक विषय कम करने के आदेश जारी कर दिये हैं? यदि हां, तो किस तिथि को?

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)—

केवल इण्टरमीडिएट कक्षाओं के लिये एक विषय कम करने का आदेश दिनांक १५-७-६७ को जारी किया गया है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

जो विषय उन्होंने खत्म करने की घोषणा की है, उसके सम्बन्ध में क्या किसी शिक्षा शास्त्री से राय ली थी या अपने आप खत्म कर दिया?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

यह सरकार का निर्णय है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

जब हाउस में इन्होंने ५-६ तारीख को शिक्षा की ग्रांट पेश की थी तो यह घोषणा की थी और इनको पता था कि ऐडमीशन ८ तारीख को शुरू हो जायेंगे तो इतने विलम्ब से आदेश भेजने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इस संबंध में घोषणा इस सदन में ५-६ तारीख को कर दी गयी थी। ८ तारीख को विद्यालय खुलने वाले थे। तो क्या वजह हुई कि यह आदेश १५ जुलाई को जारी किये गये, इसका उत्तर कृपया दें?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री अध्यक्ष—

मैं ऐसा समझता हूं कि यह सूचना का विषय नहीं है, अगर कोई पूरक प्रश्न इस प्रश्न से उठ सकता था तो वह यहीं उठ सकता था और अगर इसका भी जवाब न दिया जाय तो यह अनुचित है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि एक विषय कम करने के संबंध में सरकार ने किसी एजूकेशन कमीशन या शिक्षाविदों अथवा किसी दूसरी सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया या स्वयं ही निर्णय लिया?

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में तो उन्होंने एक शब्द में कह दिया कि यह सरकार का फैसला है, हमने स्वयं किया है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

एक विषय कम करने के जो आदेश आपने भेजे हैं क्या वे आदेश मिशीनरीज के जो स्कूल अपने यहां चल रहे हैं और यह लामाटीनियर कालेज आदि हैं, इनको भी भेजे हैं?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

यह तो बोर्ड के पाठ्य-क्रम म परिवर्तन है, जो भी उस पाठ्य-क्रम को अपनायेगा, यह लागू हैं और उन सब को भेजे गये हैं।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार को इस तरह के विरोध-पत्र प्राप्त हुये हैं कि सरकार की इस नीति के फलस्वरूप हिन्दी जो कि अब तक अनिवार्य विषय के रूप में थी, वह अनिवार्य न होकर ऐच्छिक रूप में हो जायेगी और इस से हिन्दी को बड़ा धक्का लगेगा ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

अभी तक ऐसे विरोध की कोई सूचना मुझे नहीं है।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

हाई स्कूल में अभी तक ३ कम्पलसरी सब्जेक्ट्स रहे हैं तो क्या अब इस आदेश के मुताबिक कम्पलसरी सब्जेक्ट्स दो हो जायेंगे और फिर उसमें हिन्दी का क्या स्थान रहेगा ? उसमें होगा या नहीं या यह केवल इंटरमीडिएट में कम किया है ?

वह श्री अध्यक्ष--

(मंत्री से) आप पहले यह स्पष्ट कर दें कि क्या यह आदेश आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिये भेजे हैं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

आदेश दोनों के लिये भेज दिया है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

अध्यक्ष महोदय, हमें जो उत्तर प्रश्न का प्राप्त हुआ है वह यह है कि केवल इंटरमीडियेट कक्षाओं के लिये एक विषय कम करने का आदेश दिनांक १५-७-६७ को जारी किया गया है...

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

मेरा निवेदन यह है कि जो आदेश जारी किया गया उसमें हाई स्कूल और इंटरमीडियेट में जो परिवर्तन हुए वह जारी किया गया। भ्रांति माननीय सदस्य को यह हो गई कि एक विषय कम करने का आदेश इंटरमीडियेट के लिये है, हाई स्कूल के लिये नहीं है। स्थिति यह है कि हाई स्कूल में अनिवार्य हिन्दी, गणित और तीन वैकल्पिक विषय होंगे। यह परिवर्तन हो गया है।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)----

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता था कि एजूकेशन के मंत्री यहां पर नहीं हैं और न ही डिपुटी एजूकेशन मिनिस्टर यहां हैं और जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका जवाब माननीय सिंचाई मंत्री दे रहे हैं जिनको उन सवालों की पूरी नालेज नहीं है। इस तरह से जवाब देना हाउस का वक्त जाया करना है।

श्री अध्यक्ष--

आपने जो बात उठाई वह ठीक है। जिन मंत्री से सम्बद्ध उत्तर हो या तो उनको स्वयं या उनके उपमंत्री को सदन में अवश्य रहना चाहिये। न रहने से यह आशंका होती है कि सदन का समय उचित रूप में उपयोग में न आये। परन्तु अगर किसी वजह से मंत्री न आ पायें तो उसके लिये कानूनी मुमानियत नहीं है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, आपको स्मरण होगा कि आज से दो-तीन दिन पहिले जब परीक्षा पद्धति के संबंध में प्रश्न पूछा जा रहा था और शिक्षा उप मंत्री उसका उत्तर दे रहे थे तो आपने स्वयं उसे जानना चाहा कि जो घोषणायें आपने शिक्षा के बजट को प्रस्तुत करते समय की उनके संबंध में आपने

मंत्रिमंडल से उनकी सहमति ले ली थी । उन्होंने उत्तर दिया कि मंत्रिमंडल द्वारा कोई सहमति नहीं ली है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो परिवर्तन किया गया है उसके विषय में मंत्रिमंडल की मोहर लगी हुई है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

मेरे कहने के बाद यह सरकार का निश्चय है, मैं समझता हूं कि माननीय रामायण राय जी को भ्रांति है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

मैं माननीय मंत्री जी से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहती हूं कि हाई स्कूल में जब पांच सब्जैक्ट्स करने का आदेश दिया है तो अगर कोई लड़का इंगलिश लेना चाहता है या इंटरमीडियेट में इंगलिश आप्शनल लेना चाहता है, वह पांच सब्जैक्ट्स से एडीशनल होगा या उसी के अन्तर्गत होगा ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

हाई स्कूल में दो अनिवार्य विषय, हिन्दी और गणित रहेंगे और जो वैकल्पिक विषय रहेंगे वे हैं आधुनिक भारतीय भाषा और भारतीय इतिहास । विद्यार्थी कोई भी विषय ले सकता है ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---

मौजूदा विषय लड़कों की अल्प-आयु को देखते हुए ज्यादा हैं, तो क्या मंत्री जी कम करने की सोच रहे हैं आगे के लिए ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद---

जी नहीं ?

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सिकन्दरामऊ तहसील में असिंचित क्षेत्र

*१---श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

क्या सरकार को मालूम है कि सिकन्दराराऊ ब्लाक (अलीगढ़) में बरतर, बरगावां, नौथी तथा किचौरा में ३५,००० बीघा भूमि के लिये कोई भी सिंचाई का साधन नहीं है ? क्या सरकार ने कोई सर्वे कराया है ? यदि हां, तो क्या सरकारी नलकूप सिंचाई के लिये निर्माण करायेगी ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राम प्रसाद देशमुख)---

प्रश्न गत ग्रामों का कृषि योग्य क्षेत्रफल कुल ६,१२३ एकड़ है जिसमें से ६१८ एकड़ क्षेत्र नहरी कमांड में है । शेष क्षेत्र का सर्वे कराया गया था परन्तु यहां पर नलकूपों की क्षमता का समुचित सदुपयोग की संभावना न होने के कारण नलकूपों का निर्माण व्यवहार्य नहीं पाया गया ।

*२---श्री नेकराम शर्मा---

क्या सरकार हसायन ब्लाक (अलीगढ़) के गांव भित्तर, शाहबाजार अलेंदीनपुर, नगला-ततार में सरकारी नलकूप लगाकर १०,००० बीघे जमीन की सिंचाई का प्रबन्ध करायेगी ?

श्री राम प्रसाद देशमुख---

इन ग्रामों का कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल १५१५ एकड़ है जिसमें से ५४६ एकड़ क्षेत्र नहरी कमांड में है । शेष क्षेत्र के लिये नलकूपों की क्षमता का समुचित सदुपयोग की संभावना न होने के कारण नलकूपों का निर्माण व्यवहार्य नहीं पाया गया ।

श्री नेकराम शर्मा---

क्या २३ तारीख को उप मंत्री जी ने सिकन्दरा राऊ क्षेत्र के मुर्दनगर में लोगों को आश्वासन दिया था कि अगर आपके एम० एल० ए० प्रश्न करें तो हम पानी का इन्तजाम कर दग ?

श्री रामप्रसाद देशमुख---

यह बिलकुल गलत है। मैंने किसी को आश्वासन नहीं दिया।

श्री नेकराम शर्मा---

किसके द्वारा यह जांच कराई कि वहां जमीन कम होने के कारण पानी का इन्तजाम नहीं हो सकता है और मंत्री जी स्वयं जाकर देखने की कृपा करेंगे कि वहां ३०,४० हजार बीघे जमीन में पानी का बिलकुल कोई इन्तजाम नहीं है ?

श्री टन्बरेश्वर प्रसाद---

यह निर्विवाद है कि वहां पानी की सुविधा नहीं है। जहां ३००० घंटे नलकूप चल सके राजकीय नलकूप नहीं बनाय जात हैं। वहां यह संभावना नहीं मालूम हुई। निजी नलकूप लगें तो सरकार बिजली देने की कोशिश कर सकती है।

अठगांवां परगना में सिंचाई

*३---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना अठगावां, तहसील व जिला वाराणसी के गांव इंदरपुर, सालिवाहनपुर, रसूलपुर, शाहपुर, रामनगर, गिरधवलपुर, बाबतपुर हथियार कोईरीपुर, नन्दापुर, पूर्वी कृष्णापुर, अनरखापुर, सूखानेखा पश्चिमी, भटौली, धुनियांपुर, अवसानपुर, रमई पट्टी काजी सराय, जमालपुर आदि गांवों को तथा उनके आस-पास के गांवों की सिंचाई के लिये टयूबवेल लगाने पर विचार हो रहा है, क्या इनमें से कुछ स्थानों का सर्वे भी हुआ है ?

श्री राम प्रसाद देशमुख---

ग्राम रसुलपुर, शाहपुर, रामनगर, विरधोलपुर न कि गिरधवलपुर बाबतपुर हथिवार। न कि हथियार, कोइरीपुर नन्दापुर पूर्वी, अवरखापुर तथा जमालपुर में राजकीय नलकूप निर्माण हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण से नलकूप निर्माण की संभावना पाई गई है। नलकूपों का निर्माण चतुर्थ पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वाराणसी जिले में प्रदिष्ट नलकूपों की संख्या एवं जिला स्तर पर निर्मित स्थल चयन, समिति की संस्तुति तथा आवश्यक धन उपलब्ध होने पर निर्भर है।

ग्राम अवसानपुर, अवसानपुर नलकूप के कमांड में है तथा ग्राम काजी सरांय का क्षेत्र नलकूप "वार" एवं नवनिर्मित नलकूप गढ़वा रामसिंहपुर के कमांड में है। शेष ग्रामों का अधिकांश क्षेत्र या तो वर्तमान नलकूपों के कमांड में है या इतना पर्याप्त क्षेत्र नहीं है कि वहां नलकूप लगाया जाय। कहीं कहीं क्षेत्र भी असमतल है जो नलकूप निर्माण के लिये उपयुक्त न होगा।

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास जो जवाब आया है वह उसका बिलकुल उल्टा है कि "संभावना पाई गई।"

श्री रामप्रसाद देशमुख---

जी हां, ठीक है, संभावना पाई गई ही है।

श्री ऊदल—

अवसानपुर का कमांड एरिया ८०० एकड़ है। तो क्या माननीय मंत्री जी विचार करेंगे कि अगर वहां ३०० एकड़ रकबा भी रबी का मिल जाय तो ट्यूबवैल लगावें ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

यह विचाराधीन है कि ट्यूबवैल की सुविधा वहां कैसे की जाय।

श्री ऊदल—

माननीय मंत्री जी क्या इसी वर्ष सर्वे डिवीजन खोलकर जांच करावेंगे जिससे नलकूप लगाने में जल्दी हो सके ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

अब तो पूरा ही सर्वे फिर से करना होगा।

शांतिपुरी ग्राम को बिजली न मिलना

*४—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल) तथा श्री इन्द्रमणी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल, तहसील किच्छा के ग्राम शांतिपुरी को अब तक बिजली नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ? तथा वहां की असिंचित भूमि की सिंचाई समस्या हल करने व ट्यूबवेलों को सम्पन्न कराने के लिये शीघ्र ही बिजली दिलाने की कृपा करेंगे।

श्री राम प्रसाद देशमुख—

जी हां,

इस ग्राम के विद्युतीकरण के लिये लगभग ६४२०० रु० व्यय होने का अनुमान है और इसके विद्युतीकरण की लागत पर १५ फीसदी भी लाभ नहीं होगा जिससे इसका विद्युतीकरण अभी तक नहीं किया गया है। नलकूपों के विद्युतीकरण के लिये अभी कोई भी प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री इन्द्रलाल—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि १३ जुलाई को उन्होंने अपने कमरे में कुमायूं के विधायकों को, जिनमें प्रश्नकर्ता भी था, यह आश्वासन दिया था कि शांतिपुर को तुरन्त बिजली दे दी जायगी, तो क्या माननीय मंत्री जी बिजली का कनेक्शन उनको दे रहे हैं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

इस समय तो मेरी सूचना यह है कि नलकूपों के लिये विद्युत की वहां मांग नहीं है। यदि प्रार्थना-पत्र उसके लिये आयेंगे तो उन पर विचार किया जायगा।

श्री इन्द्रलाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह ६४,२०० रुपये खर्च का जो अनुमान लगाया गया है वह किस आधार पर लगाया गया है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

साढ़े चार मील लंबी लाइन ११ कि० वा० की निर्माण करनी पड़ेगी, उसमें इतनी लागत आयेगी।

बड़ी नहर सुल्तानपुर ब्रांच के कुलाबे उखाड़ना

*५—श्री चन्द्र कुमार (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह सही है कि बड़ी नहर सुलतानपुर ब्रांच जो विकास खंड रुदौली एवं मवई जनपद, बाराबंकी से गुजरती है उस पर लगे हुए कुलाबों को उखाड़ा गया और उनके स्थान पर छोटे कुलावे लगाये गये ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

जी हां, सुल्तानपुर शाखा जो विकास खंड मवई तथा रुदौली जनपद, बाराबंकी से गुजरती है उस पर लगे कुलाबों को उखाड़ने का कारण यह है कि उक्त विकास खंडों में क्रमशः १६ तथा १७ कुलाबे स्वीकृत थे जिनके स्थान पर कृषकों ने अनधिकृत रूप से ७० तथा ५८ कुलाबे लगा लिये थे। इस प्रकार लगाये गये कुलाबों के कारण नहर के निचले भाग में सिंचाई की कमी हो जाती थी तथा अनधिकृत कुलावों का व्यास बड़ा होने के कारण बहुत सा जल व्यर्थ बढ़ जाता था। अतः सिंचाई की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन विकास खंडों में लगे कुलाबों के आकार तथा संख्या में संशोधन कर दिया गया।

*६—श्री चन्द्र कुमार (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ऐसा करने से कितना रकबा असिंचित रह जावेगा तथा ऐसा कार्य उक्त नहर पर किस दृष्टि से किया गया, इसकी जिम्मेदारी किस पर है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

उपरोक्त संशोधन के अन्तर्गत कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो पहिले सींचा गया हो और अब सिंचाई से वंचित कर दिया गया हो। उक्त विकास खंडों में लगे कुलाबों के आकार तथा संख्या में परिवर्तन अधीक्षण अभियंता, षष्ठम् वृत्त के आदेशानुसार सिंचन सुविधाओं की आवश्यकतानुसार किया गया चूंकि कोई भी क्षेत्र सिंचाई से वंचित नहीं किया गया। अतः किसी अधिकारी की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं उठता।

दोहरीघाट नहर काटने वालों से तावान की वसूली

*७—श्री कामतासिंह (जिला बलिया)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बलिया जिले के सिकंदर ब्लाक और गड़वार ब्लाक के अन्तर्गत क्वार के महीने में दोहरी घाट नहर दो-तीन जगहों पर टूट गई थी और इस सिलसिले में उपरोक्त ब्लाकों के ग्राम कुरेजी, बेलसग रामपुर, नवेदा, दामोदरपुर के किसानों पर लगभग १५ हजार जुर्माना नहर विभाग ने कर दिया है ? क्या सिंचाई मंत्री उस जमीन की वसूली स्थगित करके पूरी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

जी नहीं। दोहरीघाट नहर स्वयं नहीं टूटी थी बल्कि कृषकों द्वारा काटी गई थी जिसके फलस्वरूप ग्राम रामपुर असली, रामपुर खिल्ला, नरावं, बेलसरा, नवादा तथा दानापुर पर ६१४१.५० रु० का तावान व आबजाया नियमानुसार लगाया गया।

चूंकि तावान व आबजाया पूरी जांच कराने के उपरान्त लगाया गया था अतः उसकी वसूली स्थगित करके फिर जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कामतासिंह—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि यह नहर कितनी जगह से टूटी थी और इतने गांवों के आदमी कितने स्थानों से उसको काट सकते थे ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मेरे पास सभी स्थानों की विस्तृत सूचना नहीं है।

ऊंचाहार तथा सलोन विकास खण्डों में नलकूपों को बिजली

*८—श्री दलबहादुरसिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले के ऊंचाहार और सलोन विकास खंडो में वर्ष १९६६ और ३१ मई, सन् १९६७ तक कुल कितने नलकूपों का निर्माण किया गया ? उक्त अवधि में बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिये कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये ? उनमें से कितनों को कनेक्शन मिल गया और मामला विचाराधीन है ? और कितनों के प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिये गये ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

सूचना नत्थी किये गये ब्योरे में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३४३ पर)

श्री दल बहादुर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो कनेक्शन देने बाकी हैं, वे किस कारण से बाकी हैं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

उसके बहुत से कारण होते हैं, किसी विशेष स्थान की जानकारी यदि आप देंगे तो मैं उसकी जांच करा लूंगा।

श्री दलबहादुर सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ऊंचाहार में जो कनेक्शन्स नहीं दिये गये हैं वे किन कारणों से नहीं दिये गये हैं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मेरी सूचना तो यह है कि लाइन का खर्चा नहीं दिया गया है, इस कारण से नहीं दिये गये।

श्री दल बहादुर सिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऊंचाहार तक बिजली की लाइन नहीं पहुंची है, इस कारण से कनेक्शन्स नहीं दिये गये हैं ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

यदि माननीय सदस्य की सूचना कुछ और है तो मैं उसकी जांच करा लूंगा।

[१८ जुलाई, १९६७ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

हमीरपुर जिले में बस सर्विस

*१—श्री रामश्री राजपूत (जिला हमीरपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर जिले में राजकीय बस सेवा में इस वर्ष (१९६७) कितनी चालू हालत में बसें हैं तथा कितने ब्रेक डाउन्स हुये हैं ? ब्रेक डाउन्स होने से कितनी बसें समय पर नहीं चलती हैं ?

गृह उप मंत्री (श्री रुस्तम सैटिन)—

राजकीय रोडवेज कानपुर क्षेत्र के महोबा डिपो के अन्तर्गत वर्ष १९६७ में हमीरपुर जिले में ४० राजकीय बसें चालू हालत में हैं। इन ४० बसों में १-१-६७ स ३०-६-६७ तक २५ ब्रेकडाउन्स हुए । इन ब्रेकडाउनों के कारण इतनी ही बसें देरी से छूटीं।

श्री रामश्री राजपूत—

मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि ४० बसें चालू हालत में हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि कितनी बसें बेकार पड़ी हैं ?

श्री रुस्तम सैटिन—

बसों का जो ब्रेक डाउन होता है वह एक दिन में नहीं होता; वह तो आहिस्ता-आहिस्ता कभी एक, कभी दो, कभी चार का होता रहता है और उनकी मरम्मत होती रहती है और वे चालू हालत में हो जाती हैं। यह उत्तर तो पूरे पीरियड का दिया गया है।

श्री रामश्री राजपूत—

क्य मंत्री जी बतायेंगे कि इस ब्रेक डाउन के साथ बसो में लाइट आफ भी होती है ?

श्री रुस्तम सैटिन—

अगर बैटरी के कारण ब्रेक डाउन होता है तो लाइट भी आफ हो जाती है।

झांसी में बिजली मजदूरों का महंगाई भत्ता

*२—श्री ऊदल—

क्या यह सही है कि झांसी के बिजली मजदूरों के पक्ष में १६ मार्च, १९६७, को हाई कोर्ट से यह निर्णय हुआ कि बिजली मजदूरों को राज्यादेश दिनांक ६ दिसम्बर, सन् १९४८ के अनुसार महंगाई का भत्ता मिलना चाहिये ? तो भी विद्युत् परिषद् की ओर से उपरोक्त राज्यादेश के अनुसार महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

जी हां । इस फैसले के विरुद्ध परिषद् ने स्पेशल अपील दायर किया है, और मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

*३—श्री ऊदल—

क्या यह भी सही है कि इसी कारण झांसी बिजली मजदूर १० जुलाई, १९६७, से हड़ताल करने का नोटिस दे चुके हैं ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

जी हां । लेकिन हड़ताल कार्यान्वित नहीं हुई ।

श्री ऊदल—

जब विद्युत परिषद् सिटी मैं जिस्ट्रेट, मुन्सिफ और हाईकोर्ट सब जगह से हार चुका है, तो फिर स्पेशल अपील में जाने की क्या आवश्यकता हुई ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद—

मेरी सूचना है कि विद्युत परिषद् ने एक अपील की है और जो निर्णय इन अदालतों से मजदूरों के पक्ष में हुआ है वह मुझे मालूम है, वे मुझे मिले भी थे और मैंने कहा था कि आखिर में जो भी निर्णय अदालत का होगा उसको सरकार पूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास करेगी ।

श्री ऊदल--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि विद्युत परिषद् इन अपनी कम्पनियों में जो महंगाई और वेतन दे रही है वह झांसी में नहीं दे रही है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

विद्युत परिषद् ने जो कम्पनियां ली हैं वे उनके मालिकों से अलग-अलग शर्तों पर ली गई है, उनके अपने-अपने कर्मचारियों के सेवा नियम अलग-अलग है, अब प्रयास उन सब को एकसां करने का हो रहा है। बाकी अभी तक जो उनके कर्मचारियों से जहां जो शर्तें थी उन्हीं को माना जा रहा है, इसीलिये वेतन मंहगाई में अभी अन्तर है।

श्री ऊदल--

निम्बकर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने एक राजाज्ञा दिसम्बर १९४८ में निकाली, तो क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि झांसी की इलैक्ट्रिक अंडरटेकिंग के मजदूरों का उसके अनुसार महंगाई भत्ता और वेतन नहीं मिल रहा है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

यह उनके लिये लागू नहीं की गयी है क्योंकि परिषद् ने उनको अपने वेतन और महंगाई भत्ते की दर पर नियुक्त किया था।

बांदा जिले में पमस्वनी नदी पर बांध

*४--श्री रामसजीवन (जिला बांदा)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कर्वी तहसील, जिला बांदा में एक स्थान सिरसाबन का सर्वे पमस्वनी नदी पर बांध बनाने के लिये किया जा चुका है? यदि हां, तो बांध का काम अब तक शुरू न करने का कारण क्या है?

श्री रामप्रसाद देशमुख--

प्रथम भाग--जी नहीं, सर्वेक्षण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसजीवन--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पमस्वनी नदी पर बांध बनाने का सर्वेक्षण कब से आरम्भ हुआ और इसके पूरा होने में क्यों विलम्ब हो रहा है ?

श्री टम्बरेश्वर प्रसाद--

जैसा कि माननीय सदस्य को भी विदित है, इस पर प्रारंभिक स्तर पर तो विचार किया जा चुका है लेकिन इसमें अकेले उत्तर प्रदेश ही नहीं है। इसलिए इस स्कीम को अभी पूरा नहीं किया जा सका है।

शारदा नहर की बाराबंकी शाखा काटना

*५--श्री सुशीलकुमार विद्यार्थी (जिला लखनऊ)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शारदा नहर की बाराबंकी शाखा का कोई भाग देवा के निकट दिनांक १३, १४ अक्तूबर, १९६६, की रात को कट गया था? यदि हां, तो उसके कारण कितनी दूर तक नहर का पानी खेतों में पहुंचा था?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

बाराबंकी शाखा मील २१–३–३२० की दाईं पटरी पर १३–१४ अक्तूबर की रात को किसानों द्वारा धान की सिंचाई व रबी की पलेवा के लिए नहर काटी गई थी, स्वयं नहीं कटी थी। नहर के काटने से पानी लगभग १ मील दूर तक गया था।

*६—श्री सुशील कुमार विद्यार्थी—

क्या नहर के कटने से जो अनधिकृत और अधिक पानी खेतों में चला गया था उससे कोई क्षति नई बोई रबी की फसल को हुई थी, विशेष तौर पर श्री गोकुलचन्द तथा मोहन कृष्ण, निवासी ग्राम सिपहिया, परगना देवां, के खेतों और फसलों को? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और उनकी क्षति पूर्ति की गई अथवा नहीं?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

इस प्रकार अनधिकृत रूप से किसानों द्वारा नहर काटने से २१ एकड़ नई बोई हुई रबी की फसल को क्षति हुई। इस प्रकार श्री गोकुल चन्द्र के ५ एकड़ तथा श्री मोहन कृष्ण के ६ एकड़ रबी को क्षति पहुंची। नहर काटे जाने से हुई फसलों की क्षति-पूर्ति विभाग द्वारा नहीं स्वीकार की जाती है। अतएव श्री गोकुल चन्द्र तथा श्री मोहन कृष्ण के क्षति-ग्रस्त क्षेत्र पर कोई सिंचाई कर या तावान नहीं लगाया गया और क्षति-पूर्ति भी स्वीकार नहीं की गई।

श्री सुशील कुमार विद्यार्थी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनको इस बात का ज्ञान है कि दोनों सज्जनोंसे, जिनके नाम इन्होंने दिए हैं, उनसे सिंचाई चार्जेज मांगें जा रहे हैं और उनके खिलाफ तहसील से डिस्ट्रेस वारंट भी ईशू हो चुके हैं?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

मुझे यह सूचना दी गई है कि जिन खेतों में हानि हुयी है उनसे सामान्य तरीके से ही सिंचाई दर लागू की गई है।

श्री सुशील कुमार विद्यार्थी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री गोकुलचन्द तथा मोहन कृष्ण ने इसके पहले कभी नहर से सिंचाई नहीं की थी और इस अनधिकृत पानी के जाने के बाद भी जबकि उनकी फसल बरबाद हुयी, उनसे ड्यूज क्यों मांगे जा रहे हैं?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री को यह मालूम है कि यह नहर तोड़ी नहीं गई है, बल्कि स्वयं टूटी है?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

उत्तर में है।

श्री रामनरेश शुक्ल—

क्या सरकार बतायेगी कि नहर काटने वालों पर किसी पर मुकदमा चलाया गया?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

नहर काटने वाले अधिकतर रात में काटते हैं जब कोई आदमी उपस्थित न हो। ऐसे लोग अकस्मात ही पकड़े जा सकते ह। वैसे कोई पता नहीं चलता कि किसने काटी।

श्री रघुबीर राम—

मंत्री जी बतायेंगे कि जो नहर काटने के केसेज चलाये जाते हैं किसानों के ऊपर वे उसी जिले में न चला कर दूसरे जिलों में चलाये जाते हैं जिससे किसानों को परेशानी होती है ? अगर इस प्रकार की गलती किसानों ने की हो तो उनके केसेज उसी जिले में चलवाने की व्यवस्था करेंगे मंत्री जी ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

मैं इस पर विचार करूंगा कि उनके केसेज उसी जिले में किये जायं ।

बूढ़नपुर तथा अतरौलिया में बस बुकिंग आफिस

*७—श्री मारकण्डे (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़–फैजाबाद रोड पर स्थित बूढ़नपुर और अतरौलिया में बुकिंग आफिस बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या है ? और कब तक कार्य-रूप में परिणत होगी ?

श्री रुस्तम सैटिन—

जी हां, इन दोनों स्थानों पर भूमि का चयन कर लिया गया है तथा भूमि प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। भूमि के प्राप्त होने पर ही बुकिंग आफिस का निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सकता है। अतएव यह कहना सम्भव नहीं है कि यह योजना कब तक कार्य रूप में परिणत होगी।

रिहन्द विद्युत गृह उत्पादित बिजली का वितरण

*८—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि रिहन्ड डैम से जो बिजली पैदा होती है उसमें से कितने प्रतिशत बिजली कृषि को कितने प्रतिशत उद्योगों को तथा कितने प्रतिशत अन्य कार्य के लिये दी गई है ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

रिहन्द विद्युत् गृह ग्रिड से सम्बद्ध है और जो बिजली इससे पैदा की जाती है वह दूसरे विद्युत् गृहों से पैदा की गई बिजली के साथ एकत्रित रूप में बेची जाती है । अतः केवल रिहन्द विद्युत् गृह में पैदा की गई बिजली का विभिन्न वर्गों में ब्योरा देना सम्भव नहीं है। फिर भी उपयुक्त विद्युत् के वितरण का अनुमान संलग्न ब्यौरे में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३४४ पर ।)

*९—श्री मधुकर दिघे—

क्या मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कृषि के लिये दी हुई बिजली का रेट उद्योगों के लिए दिये हुये रेट से अधिक रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह रेट कम कर के कृषकों को बिजली देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री रामप्रसाद देशमुख—

राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा निर्धारित दरें शक्ति की मात्रा तथा उसकी पद्धति पर निर्भर हैं। विशेष दरों के कुछ थोक उपभोक्ताओं के अतिरिक्त कृषि तथा औद्योगिक दरों में कोई अन्तर नहीं है। इस समय कृषि के लिए बिजली की दरें घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री मथुकर दिवे—

जैसा कि इस रिहन्द डैम का उद्देश्य रहा है और जो आश्वासन पहले दिये गये हैं, तो जो बिजली ५ प्रतिशत किसानों को दी जाती है कृषि के लिए क्या इसमें वृद्धि की जा सकती है और औद्योगीकरण के लिये जो बिजली दी जाती है उसका प्रतिशत घटाने की इच्छा सरकार की है?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

पिछली सरकार ने जो शर्तें उद्योग से की हैं उनके अनुसार काफी लम्बे अर्से तक रियायती दर पर बिजली प्राप्त करने की उनको सुविधा प्राप्त है। मैं समझता हूं कि बिना दूसरी सुविधाओं को घटाये उस क्षेत्र से और अधिक बिजली देना संभव नहीं है।

श्री चन्द्र शेखर—

रिहन्द डैम से जो बिजली का उत्पादन होता है उसमें बिरला साहब को वह बिजली २ पैसे यूनिट दी जाती है और वही बिजली किसानों को १५ पैसे में दी जाती है?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

पुरानी सरकार ने यह समझौता कर लिया था। इसलिये निश्चित रूप से काफी मात्रा में बिजली उनको २ पैसे में प्राप्त होती है।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)—

मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि यह जो बिजली की दरें हैं वे शक्ति की मात्रा और पद्धति पर आधारित हैं और राज्य विद्युत् परिषद् ने १.९९७ पैसे की दर पर बिजली बिरला बन्धुओं को कुल बिजली की ४८ परसेंट दे रखी है, तो उसमें शक्ति की मात्रा और पद्धति का क्या निर्धारण है?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

सवाल का आखिरी हिस्सा समझ में नहीं आ सका।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

मेरा सवाल यह है कि ४८ प्रतिशत बिजली बिरला बन्धुओं को १·९९७ पैसे पर दे दी गयी है और केवल ५ प्रतिशत बिजली कृषि को दी जाती है और सरकार ने यह २५ वर्षीय समझौता बिरला बन्धुओं से कर रखा है, तो क्या सरकार कोई अध्यादेश जारी करेगी और इन तमाम समझौतों को रद्द करके कृषि तथा अन्य उद्योग संस्थाओं को वह बिजली देने की व्यवस्था करेगी? .....

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों की ग्राह्यता का जहां तक प्रश्न है, प्रश्न बहुत लम्बा नहीं होना चाहिये। आपका प्रश्न इतना लम्बा हो गया है कि अगर माननीय मंत्री फिर एक दफा कहें कि वह नहीं समझे तो मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता। आप एक छोटा सा प्रश्न कर लीजिये।

श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

प्रश्न मेरा यह है कि क्या यह सरकार एक आर्डिनेन्स जारी करेगी कि सरकार दूसरी जगहों से बिजली ले कर घाटे पर बिजली बिरला बन्धुओं को दे रही है तो क्या वह ऐसा आर्डिनेन्स जारी करेगी कि उस समझौते को खत्म करके कृषि तथा औद्योगिक संस्थान को बिजली एक ही रेट पर देगी?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

दूसरे प्रदेश से बिजली लेकर सस्ते रेट पर बिजली देने का कोई विचार सरकार का नहीं है। जो बिजली दी जा रही है, दूसरे प्रदेशों से लेकर उसमें यह सरकार कोई घाटा उठाने को तैयार नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

बिरला बन्धुओं ने अपना अल्युमीनियम प्लांट लगाने के लिये अमेरिका से कोई पुरानी मशीन खरीद ली है और इस ताक में वे हैं कि अपना अलग पावर हाउस बिठा लें, तो क्या सरकार का ध्यान इस बात की तरफ गया है और वह उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

एक प्लांट उन्होंने ओबरा के पास लगाया है लेकिन उसके बावजूद सरकार से बिजली वह चाहते हैं।

जालखेड़ा ग्राम में गंगा नहर का पुल

*१०—श्री हरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर तहसील के ग्राम जालखेड़ा पर गंगा नहर के रजबहा का जो पुल फरवरी और मार्च, १९६७, में बन कर पूरा हुआ, टूट कर गिर रहा है और उपरोक्त पुल की बनावट में सीमेंट और बालू-रेत का क्या अनुपात है?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

जी नहीं। पुल टूट कर नहीं गिर रहा है।

उपरोक्त पुल की बनावट में सीमेंट व बालू का निम्नलिखित अनुपात है—

	सीमेंट	रेत	रोड़ी
सीमेन्ट कंकरीट (नीव में)	१	४	८
चुनाई .	१	४	
सीमेन्ट कंकरीट (स्लेब) ..	१	२	४
सीमेन्ट प्लास्टर	१	४	
सीमेन्ट टीप	१	२	

फतेहपुर जिले को बिजली

*११—श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर के खजुहा ब्लाक में खजुहा से जाफरगंज (कटरा) को बिजली के लगाने की कोई योजना सरकार से स्वीकृत है? यदि हां, तो कब तक वहां विद्युतीकरण हो जावेगा?

*१२—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अमौली ब्लाक, जिला फतेहपुर, में जहांनाबाद से कटरा (जाफरगंज) वाया अमौली से विद्युतीकरण की योजना है? यदि हां, तो कब तक पूर्ण हो जायेगी?

नोट—तारांकित प्रश्न ९ के उत्तर पर प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

जी नहीं।

*१३—श्री इन्द्र लाल तथा श्री इन्द्रमणी—

[२४ जुलाई, १९६७, के लिये स्थगित किया गया।]

सहारनपुर जिले में नलकूपों क लिये सर्वेक्षण

*१४—श्री राम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक नागल रामपुर तथा नंकुड़, जिला सहारनपुर, के किन-किन ग्रामों में राजकीय नलकूप लगाने हेतु सर्वेक्षण किये जा चुके हैं और वे कब तक लग जायेंगे?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

कथित क्षेत्र के ग्रामों में नवीन नलकूप निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिये नलकूप बनने का अभी प्रश्न नहीं उ ता।

*१५-१६—कुंवर महेन्द्र प्रताप सिंह—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१७—श्री रघुवीर—

[७वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

बाराबंकी जिले में नहरी कुलाबे

*१८—श्री जंगबहादुर (जिला बाराबंकी) तथा श्री प्यारेलाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि त्रिवेदीगंज और हैदरगढ़, विकास क्षेत्र, जो जिला बाराबंकी के अन्तर्गत हैं, गत वर्ष कुल कितने फसली कुलाबे दिये गये थे और इस वर्ष कितने दिये जायेंगे?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

जिला बाराबंकी के त्रिवेदीगंज तथा हैदरगढ़ विकास-क्षेत्रों में गत वर्ष (१९६६-६७) क्रमशः ४६ तथा ५० फसली कुलाबे दिये गये थे। इस वर्ष इन्हीं विकास क्षेत्रों में क्रमशः ३३ तथा ६२ कुलाबे अब तक स्वीकृत किये जा चुके हैं।

फैजाबाद जिले में नलकूपों को बिजली

*१९—श्री राजबहादुर द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि फैजाबाद जिले में बीकापुर ग्रुप में नलकूप नं० १५३, १५४, १५५, १५६ दिनांक २३ मई से ३० मई, १९६७, तक बिजली के अभाव में बन्द रहे? यदि हां, तो बिजली न देने का क्या कारण था?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

फैजाबाद जिले में बीकापुर के राजकीय ट्यूबवेल नं० १५६ के ट्रान्सफारमर में आतंरिक गड़बड़ हो जाने के कारण इसके आगे लाइन पर राजकीय ट्यूबवेल नं० १५२, १५४, १५५ तथा १५६, २४ मई, १९६७, के ११.२५ बजे से ३० मई, १९६७, तक बन्द रहे। ट्यूबवेल नं० १५३ २७ मई, १९६७, को ५ घंटे चलकर बन्द हो गया।

*२०—श्री राज बहादुर द्विवेदी—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद में वर्ष १९६६-६७ में अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत कितने नलकूपों को बिजली दी गई और वर्ष १९६७-६८ में बिजली देने का क्या लक्ष्य है ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

वर्ष १९६६-६७ में अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत जिला फैजाबाद में ८६० निजी नलकूपों को बिजली दी गई और वर्ष १९६७-६८ में अभी तक २५० निजी नलकूपों को बिजली देने का लक्ष्य है।

बस्ती जिले में नलकूपों से सिंचाई

*२१—श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि बस्ती जिला के नलकूप नं० १०२, १०३, १०४ तथा अन्य दो नलकूपों जो ग्राम बेइली व ग्राम खड़ौवा, ब्लाक बहादुरपुर, में बने हैं, इन नलकूपों की नालियां खराब हो गई हैं, जिससे सिंचाई जो कि मार्च, अप्रैल में की गई उसका औसत खर्च १० रुपये फी बीघा पड़ा और उसके बाद भी सिंचाई का लगभग ५० रुपये फी बीघा देना पड़ रहा है ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

प्रश्न में उल्लिखित नलकूपों में से प्रत्येक नलकूप पर सिंचाई रेट का जो औसत मार्च से जून, १९६७, तक रहा है इसका विवरण संलग्न तालिका में दिया है। नलकूप संख्या १०२ तथा १०४ पर केवल दो खेतों में सिंचाई ५० रु० प्रति बीघ स अधिक आई है। इसकी जांच की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ग' आग पृष्ठ ३४५ पर।)

पीलीभीत जिले में बिजली से सिंचाई

*२२—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि ग्राम दियोहना, बानगंज और महमदपुर रसूला, किदनापुर नवदिया, आहिरवाड़, रढ़ता, शाहबाजपुर, रसिया, खानपुर बौनो, अमृता, खाड़पुर, जिला पीलीभीत, में बिजली द्वारा सिंचाई करने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

कोई नहीं।

खीरी व पीलीभीत जिले में नलकूप बन्द होना

*२३—श्री करन सिंह (जिला खीरी)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि खीरी जिले की तहसील निघासन और पीलीभीत के पूरनपुर तहसील के १५ नलकूपों को १ जुलाई, १९६७, से उखाड़ने के आदेश तारीख ११ जून, १९६७ ई०, के पत्र-संख्या ५०२/टी-६ के द्वारा हो चुके हैं ?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

जिला खीरी लखीमपुर एवं जिला पीलीभीत के १५ ऐसे नलकूप जो वर्ष में २०० घंटे से कम चलते थे, जनवरी ३१, १९६६, के आदेश के अनुसार बंद किये जा रहे हैं।

मिर्जापुर ग्राम के किसानों का आवेदन-पत्र

*२४—श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मिर्जापुर (सरैया), तहसील बिसवां, जिला सीतापुर, के किसानों का कोई आवेदन-पत्र जून के चौथे सप्ताह में उनके प्रस्तावित पानी के खारिजे के बारे में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या तात्कालिक कार्यवाही की गई जिससे किसानों की जमीन न ले ली जाय?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

जी हां, ऐसा एक आवेदन-पत्र २४ जून, १९६७, को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, पीलीभीत, को प्राप्त हुआ। उसके प्राप्त होने पर एवार्ड घोषित नहीं किया गया। आवेदन पत्र पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न

जालौन जिले में फौजदारी के विचाराधीन मुकदमे

श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—

१—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस दिन अवैतनिक मैजिस्ट्रेटों की अदालतें समाप्त की गयीं उस दिन जिला जालौन की अवैतनिक अदालतों में फौजदारी के कुल कितने मुकदमें विचाराधीन थे?

श्री चरणसिंह—

१६६।

श्री गोविन्द नारायण तिवारी—

२—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में कितने सेशन के मुकदमें (सेशन्स ट्रायल्स) इस समय विचाराधीन हैं और उनमें कितने-कितने मुकदमें हत्या, डकैती, राहजनी व दफा ३०७ ताजीरात हिन्द के हैं?

श्री चरण सिंह—

कुल २१२ मुकदमें हैं जिनमें हत्या, डकैती, राहजनी व दफा ३०७ की ताजीरात हिन्द के मुकदमों की संख्या क्रमशः ३७, ३९, १५ और ६८ है।

सिकन्दराराऊ तहसील में पुल निर्माण

श्री नेकराम शर्मा—

३—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि हसायन ब्लाक तथा सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में नाला मित्तर (हसायन) नाला मूड़ा, नौजटपुर (सिकन्दराराऊ) पर पुल निर्माण कब तक हो जायेंगे?

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

हसायन ब्लाक में मित्तर नाम का कोई नाला नहीं है बल्कि मित्तर नामक ग्राम है जिसके समीप कानऊ नाला है। इस नाले के मील १–४ पर एक आने जाने का मार्ग (cause-way) है और धन की व्यवस्था न होने के कारण इस पर पुल निर्माण हो जाने की अवधि बताना सम्भव नहीं है।

सिकन्दराराऊ ब्लाक के मूड़ा नौजटपुर नाम का कोई नाला नहीं है बल्कि ग्राम है। इसके समीप अकराबाद नाला है जिसके मील १ फर्लांग ७ पर एक पुल बना हुआ है और अन्य पुल की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

उत्तर प्रदेश में मालगुजारी माफ करने के विषय में विधान परिषद् द्वारा प्रस्तावित संयुक्त सम्मेलन में कार्य करने हेतु विधान सभा के १२ सदस्यों के मनोनयन

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास विधान परिषद् से एक संदेश आया है जिसको नियम के अनुसार मैं यहां पढ़ कर सुना रहा हूं :

"मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २०५ के अन्तर्गत श्री शाकिर अली सिद्दीकी, सभापति, विधान परिषद्, का निम्नलिखित प्रस्ताव परिषद् ने अपनी दिनांक १३ जुलाई, १९६७, की बैठक में स्वीकार कर लिया है :

"उत्तर प्रदेश में मालगुजारी माफ किये जाने के विषय को उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की एक ज्वाइन्ट कांफ्रेंस (संयुक्त सम्मेलन) के सुपुर्द कर दिया जाय जिसमें विधान परिषद् तथा विधान सभा के १२-१२ सदस्यों हों, जो अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष एक हफ्ते के अन्दर प्रस्तुत करें।

२—अतः उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २०६ के अन्तर्गत उपर्युक्त प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान सभा की सम्मति के लिये भेजा जा रहा है। यदि विधान सभा उपर्युक्त प्रस्ताव से सहमत हो तो कृपया संयुक्त सम्मेलन में कार्य करने के लिए अपने द्वारा निर्वाचित १२ सदस्यों के नाम (डाक के पते सहित) सूचित कर दें।"

यह मैंने नियमों के अनुसार सदन की जानकारी और कार्यवाही हेतु, जो सदन चाहे, पढ़ कर सुना दिया।

सदन के कक्षों का (लाबीज) में संसद एवं विधान परिषद् के सदस्यों का प्रवेश

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि सदन की जो लाबी है वह पहले नियमों के अनुसार श्रीमन् के अधिकार में रक्खी गयी है या इस सरकार के नियन्त्रण में दे दी गयी है, क्योंकि कल साढ़े ४ बजे की बात है पार्लियामेंट के एक सदस्य चन्ना साहब इस लाबी में आ कर बैठे थे और एक मंत्री जी ने मार्शल को यह आदेश दिया कि लाबी में एक पार्लियामेंट के मेम्बर बैठे हैं उनको निकाल दो और मार्शल ने उन मेम्बर साहब को आदेश दिया कि आप इस लाबी से निकल जाइये। मेरी जानकारी है, और आपकी भी जानकारी होगी, कि हमारे देश में सभी राज्यों में जो विधान सभायें हैं उनके नियमों में लिखा हुआ हो या न लिखा हुआ हो उनको लाबीज में पार्लियामेंट के सदस्यों को तो आने का अधिकार है ही, मुझे खुद निजी अनुभव है कि ५-६ महीने पूर्व मैं राजस्थान गया था और केवल यह बताने पर कि मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य हूं वे लोग मुझे लाबी में ले गये और घंटों मुझसे बातें करते रहे। तो वैसे स्थिति तो यह है लेकिन थोड़ी देर के लिये इस निष्कर्ष पर भी अगर पहुंचें कि यह लाबी उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के लिये है तब भी आपको सूचना दी जा सकती है और आप चाहें तो निकलवा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि आप ऐसी परम्परा डालें कि पार्लियामेंट और कौंसिल के सदस्यों को यहां न आने दें तो उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों के लिये हिन्दुस्तान भर की किसी भी विधान सभा में स्थान नहीं मिलेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने किस अधिकार के अन्तर्गत मार्शल को आदेश दिया था कि वह पार्लियामेंट के मेम्बर को बाहर निकाल दें और

[श्री कृष्णानन्द राय]

किस नियम के अन्तर्गत मार्शल ने उनको निकाल दिया। यह हमारे लिये बड़े प्रिविलेज का सवाल है कि आपका इन लाबीज पर नियन्त्रण है अथवा मंत्रिमंडल ने वह नियन्त्रण अपने अधिकार में ले लिया है।

श्री टण्डेश्वर प्रसाद (सिंचाई मंत्री)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय राय साहब ने जिस प्रकार कहा है वह बिलकुल भ्रमपूर्ण है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार आपने व्यवस्था दी थी। मुझे केन्द्रीय पार्लियामेंट की लाबी के नियमों का ज्ञान है। कदाचित माननीय सदस्य अनधिकृत रूप से प्रवेश पा गये होंगे। जो एक बार के हारे हुए सदस्य हैं उनको ही केवल लाबी में जाने का पास मिलता है। आप जानते हैं कि तनाव का वातावरण था और अच्छी घटना नहीं हुई थी, तो मैंने माननीय खन्ना जी को देखा और २/४ लोग कह रहे थे कि एक आध अपरिचित व्यक्ति यहां आ गये हैं। इस पर मैंने मार्शल का ध्यान दिलाया कि लोग एतराज करते हैं और अच्छा नहीं लगता। इसके बाद खन्ना जी से मैंने बात की। मैंने कहा कि हमारे नियम हैं उनकी ओर मैंने ध्यान दिलाया है। लाबी हमारे सदन का एक पार्ट है। इसमें जाने के लिये हमारे यहां को व्यवस्था नहीं है। आप व्यवस्था बनायें तो अच्छी परम्परा होगी। हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। चाहे लोक सभा के सदस्य बैठें, चाहे कौंसिल आफ स्टेट्स के सदस्य बैठें, चाहे कौंसिल के सदस्य बैठें। लेकिन आप नियम बनायें और इस प्रकार की बात न हो। मैंने इसलिये खन्ना जी को स्ट्राइट आउट किया। उन्होंने कहा कि मैं विधान सभा के अध्यक्ष से भेंट करूंगा। मैंने कहा कि कदाचित् यदि मैं अज्ञान में होऊंगा तो मैं अपने को सुधार लूंगा। मैंने यह कहा कि यदि आप चाहें तो मैं सचिव से भी बात कर सकता हूं। नियमों के अन्तर्गत समझ कर मैंने यह बात कही थी। मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं मार्शल को आदेश दूं। इस तरह का सुझाव सब को देने का अधिकार है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नई परम्परा संयुक्त विधायक दल के माननीय सदस्य और मंत्रिगण इस सदन में और लाबी में चलाना चाहते हैं। अब तक परम्परा यह रही है कि कोई माननीय सदस्य लोक सभा के या कौंसिल आफ स्टेट के या कौंसिल के या पत्रकार, श्रीमन्, लाबी में आते जाते रहते हैं और वहां बैठते हैं। लेकिन इसी हफ्ते में या इससे पूर्व यह चीज हो गई है कि इधर के बैठने वाले उस लाबी में नहीं जा सकते हैं। परसों मैं जाना चाहता था, लेकिन मुझे रोक दिया गया।

श्री अध्यक्ष —

आपको रोक दिया गया ?

श्री नेकराम शर्मा—

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

किसने रोक लिया ?

श्री नेकराम शर्मा—

माननीय सदस्यों के नाम लेना ठीक नहीं मालूम होता।

श्री अध्यक्ष—

छोड़िये।

श्री नेकराम शर्मा—

इधर के माननीय सदस्य उधर न जाने पायें और उधर के इधर न आने पायें। लोक सभा में सेंट्रल हाल में जाने की किसी को इजाजत नहीं होती, लेकिन सदस्यों को होती है। जो परम्परा रही है .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जरा शान्त रहें। एक नाजुक मामला हमारे सामने है; उसको शान्ति से सुन लें और कोई निर्णय ले लें।

श्री नेकराम शर्मा—

उत्तर प्रदेश में परम्परा पड़ती है। इसलिये उसको चलने दिया जाये; किसी नई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से चल रहा है वही चलना चाहिये।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं बड़ी नम्रता के साथ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उस वादविवाद की तरफ जो कि विधान परिषद् में हुआ था। मान्यवर, जो आपने व्यवस्था दी यह तो हम सब को शिरोधार्य है। मगर मुझे यह महसूस होता है कि उससे कुछ भ्रम और भ्रांति पैदा हो गयी है। जो डिबेट हुई विधान परिषद् में उससे महसूस हुआ कि जो विधान परिषद् के सदस्य हैं, विधान मंडल के ये दोनों हाउस हैं, यह सही है कि दोनों में अन्तर है लेकिन आपस के सम्बन्ध और कुछ परम्पराएं हैं, उन लोगों को कुछ नाराजगी हुई, उस दिन जो व्यवहार जाने-अनजाने में हुआ गोपालनारायण सक्सेना जी के साथ, जिस तरह से यहां शोर मचा और जिस तरह से मार्शल उनको हाउस के बाहर ले गये, उसके ऊपर लोगों को काफी नाराजगी हुई। मैंने उस दिन भी थोड़े में कहा था। मेरा यह अनुभव है कि मेम्बर्स पारलियामेंट और मेम्बर्स काउंसिल, हमारे कारेसपांडेंट्स प्रेस के और एक्स-मेम्बर्स लाबीज में आते रहते हैं। काउंसिल के मेम्बर्स को और भी प्रिविलेज रहा है। वह पीछे से जा कर लाबी में पहुंच जाते हैं। सैकड़ों इस तरह की मिसालें हैं। हम लोग भी जाते हैं काउंसिल में, लाबी में। यहां कुछ रास्ते बाहर भी हैं। लेकिन काउंसिल में लाबी में जाने के लिए हाउस के एक साइड से ही हमको जाना पड़ता है। मान्यवर, मैं बड़ा अनुगृहीत हूं कि विधान परिषद् के सभापति ने कहा कि हम कोई रिटेलिएशन नहीं करेंगे। हम लोअर हाउस के मेम्बर्स को अपनी लाबी में जाने से रोकने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस मसले पर मैं स्पीकर महोदय से बातचीत करूंगा। जो आपने व्यवस्था दे दी वह ठीक है। मगर आपको अधिकार है कि नये तथ्यों की रोशनी में आप पुनर्विचार कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप पुनर्विचार करें। ऐसी परम्पराएं जो पहले से हमारे और उनके बीच में जो सौभाग्यवश हैं उनके अन्दर टूट न पैदा हो और जो उनकी मान मर्यादा है उसको यही समझें कि उतनी ही है जितनी कि हमारी अपनी मान मर्यादा है। उसके बाद दूसरा किस्सा खन्ना जी का उत्पन्न हुआ जो इस हाउस के भूतपूर्व सदस्य हैं और आज पारलियामेंट के एक मेम्बर हैं। यह चीज एक्सट्रीम पर पहुंच गयी। माननीय नेकराम जैसे वरिष्ठ सदस्य को भी लोगों ने रोक दिया। मैं इस बात पर जाना नहीं चाहता था।

श्री अध्यक्ष—

वह छोड़ दीजिये। नेकराम जी ने आगे कुछ कहा नहीं है।

श्री नवल किशोर—

मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता। मैं समझता हूं कि जो आप की लाबी है और सदन है इस पर पूर्ण नियन्त्रण आपका है। मंत्रिमंडल का इससे कोई वास्ता नहीं। अगर किसी ने किया है तो अनआथोराइज्ड और गलत ऐक्शन है। इन शब्दों के साथ आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आप ऐसी व्यवस्था दें ताकि भ्रम दूर हो जाय।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)—

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

मैं अनुमति नहीं देता हूं। यह गलत परम्परा है कि हर बात पर व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था के प्रश्न के लिए नियम है।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने हाउस के नियमों की जो लक्ष्मता है उससे बहुत अच्छी तरह से परिचित नहीं हूं। यद्यपि मैं भी इस माननीय सदन का पुराना सदस्य हूं, लेकिन मैं बड़े दुख के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि परसों एक वयोवृद्ध सदस्य एस० एस० पी० के जिन्होंने शायद एस० बी० डी० छोड़ दी है, माननीय गोपालनारायण सक्सेना, जब यहां पर आये तो हाउस में, इस प्रकार की क्रिया हुई जैसे किसी मामले में कोई बच्चा आ जाता है और सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं; ऐसा ही था। आपका जो भी कोई आदेश है, हम लोग, विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से और सभी माननीय सदस्य आपकी आज्ञाओं को हमेशा शिरोधार्य करते रहे हैं और करते रहेंगे और ऐसा करना सदन की मर्यादा के लिये अत्यन्त अनिवार्य भी है। लेकिन जो चीजें केवल आप तक ही सीमित है और आप ही जिन पर केवल निर्णय कर सकते हैं, उन चीजों के बारे में यदि हम मनमाने ढंग से अपने अधिकार में अपने हाथ में लेंगे तो उससे एक अवांछनीय स्थिति उत्पन्न हो सकती है और उससे उछृंखलता का जन्म हो सकता है। आप इस सदन और सदन के माननीय सदस्यों की मर्यादा के रक्षक हैं और यह अनुशासनहीनता इतनी बढ़ जाए कि हम लोगों के आप जो प्रतीक बने हैं, हमारा अनुशासन आपके ऊपर भी इसी प्रकार का आक्षेप करने लगे तो स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक हो जाएगी। कल विधान परिषद में जो चर्चा हुई है उसको मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है और उससे मुझे बहुत दुःख हुआ है। ऐसी बातों से इन दोनों सदनों के माननीय सदस्यों या भारत के किन्हीं नागरिकों में यह भावना पैदा हो कि इन दोनों सदनों में इतना अधिक असहयोग है जो कि एक दूसरे को सिस्टर बाडी हैं, तो यह प्रजातंत्र के लिये बहुत हानिकर है। मान लीजिए किसी प्रकार से, या गल्ती से ही सही, वह आ गये थे, तो मुझे पता नहीं कितनी उन्होंने मर्यादा का हनन किया था। किन्तु मैं समझता हूं कि उस विषय पर केवल आपका ध्यान दिलाया जाना ही पर्याप्त था। लेकिन हर चीज को हम अपने हाथ में लें लें और ऐसी स्थिति पैदा कर दें कि जैसे किसी गांव में भेड़िया घुस आया हो। अतः इस विषय में मैं आपकी दृढ़, स्पष्ट और पवित्र व्यवस्था चाहता हूं।

श्री त्रिवेणी—

क्या किसी माननीय सदस्य को या किसी माननीय मंत्री को यह अधिकार है कि वह मार्शल को आदेश दे सकता है?

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि जो प्रश्न आप उठा रहे हैं वह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय कृष्णानन्दराय जी ने जो प्रश्न उठाया था वह ठीक है और वह मेरे विचाराधीन है और जो बातचीत के बाहर है उसको व्यवस्था के रूप में दुबारा उठाया जाए यह बात अनुचित है। अब आप बैठ जाइये, मैं उन बातों पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। माननीय नेता सदन, आप इस विषय पर कोई राय देना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ यह तसलीम करना पड़ता है कि मैं इस सिलसिले में कोई ज्ञान विशेष नहीं रखता। सिर्फ उतना ही रखता हूं जितना २० / २२ वर्षों से इस सदन का मेम्बर चला आ रहा हूं और जो इसकी परिपाटी और प्रेक्टिस रही है। मुझे यह भी नहीं मालूम है कि इस विधान सभा के सदस्य काउंसिल की लाबी में जाकर बैठ सकते हैं या नहीं। मुमकिन है बैठ सकते हों, लेकिन मैंने देखा नहीं है। यदि यहां के मेम्बर्स वहां बैठ सकते हैं तो इस वजह से आटोमेटिकली वहां के मेम्बरों को यहां बठने का अधिकार होगा, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता।

होना चाहिये या नहीं, यह आपके और इस सदन के विचार की बात है। मान लीजिए उनको पहले से यह अधिकार प्राप्त है या अब सदन दे दे, तो सवाल यह उठता है कि क्या पोल्टिकल कनवेंसिंग एक हाउस के सदस्य दूसरे हाउस की लाबी में जाकर कर सकते हैं। वह माननीय सदस्य ऐसा कर रहे थे या नहीं, उसे मैं नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन जिन्होंने यह प्रश्न उठाया उनको यह आशंका थी। आचार्य दीपंकर जी ने कहा मानो कोई गांव में भेड़िया घुस आया हो—वह स्थिति यहां पर पैदा की गई। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं हाउस के अन्दर कोई स्ट्रेन्जर आए और उसके द्वारा एक्साइटमेंट हो तो वह बिलकुल वाजिब और मुनासिब है और खास तौर से उस बात के बाद जिस तरीके से माननीय कृष्णानन्द राय जी उस पर शेम शेम कह रहे हैं तब कुछ इधर के दोस्तों ने उठाया जिस तरीके से माननीय लक्ष्मी रमण आचार्य जी ने बिना किसी बात को मालूम किये हुए ही इधर के लोगों को कंडेम कर दिया। इससे माननीय सदस्यों को स्थिति का पता करने का किधर कितना हाथ है उसके बाद जो मित्र इधर बतला रहे थे कि वह बात सत्य साबित हुई। इधर के पक्ष में बैठने वाले लोगों ने आपका ध्यान कल आकर्षित किया जो मैंने देखा क्योंकि मैं मौजूद था। अब उनमें से किसी सज्जन ने उनको पकड़ कर निकाला हो या अपने मार्शल को हुक्म दिया हो यह मुझे नहीं मालूम और मुझे पता नहीं चला। हर एक दूसरे सदन के सदस्य या भूतपूर्व सदस्य इस विधान सभा के या मेम्बर पार्लियामेंट को आने जाने का अधिकार होना चाहिये मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि वह किसी असेम्ली के मेम्बर हैं, या मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट होने के नाते हर एक को असेम्बली की लाबी में बैठने का अधिकार है यह बहुत ज्यादा होगा। ऐसा हो नहीं सकता और होना नहीं चाहिये क्योंकि उस सूरत में अगर इजाजत दे दी जायगी तो यह बिलकुल पंचायतघर हो जायगा। इस तरह से बहुत से मेम्बर्स हैं सैकड़ों लोग जो भूतपूर्व विधायक हैं और जो भूतपूर्व मेम्बर पार्लियामेंट हैं या जो मेम्बर पार्लियामेंट हैं उनको अधिकार देना मैं समझता हूं कि यह बहुत सोचने की बात है; ऐसी मेरी राय है, लेकिन मैंने इस विषय पर कोई बहुत गौर नहीं किया है।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

जो प्रस्ताव इस समय सदन के विचाराधीन है उसकी गम्भीरता बहुत अधिक है, लेकिन मैं इतना और कहना चाहता हूं कि माननीय नेकराम शर्मा जी ने एक घटना बतलाई कि अभी परसों की बात है, एक मंत्री महोदय उस लाबी में बैठे हुए थे. . . .

श्री अध्यक्ष—

मैं यह समझ रहा था कि आप मुझसे कोई बात पूछना चाहते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा सब माननीय सदस्यों से, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि सब माननीय सदस्यों को बराबर अपनी राय देने का हक होते हुए भी केवल वे ही माननीय सदस्य अपनी राय दें जो १०, २० साल से इस सदन के सदस्य रहे हों और जिन्होंने इस सदन की परम्पराओं को अनुभव किया हो।

श्री धर्मवीर—

श्रीमन्, मैं कोई राय नहीं दे रहा हूं।

गृह उप मंत्री (श्री रुस्तम सेटीन)—

व्यवस्था का प्रश्न है। जब आप बोल रहे थे तब वह माननीय सदस्य खड़े थे, उन्हें बैठ जाना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। माननीय धर्मवीर जी, आपको उस समय बैठ जाना चाहिये था। मैंने आपसे कहा कि हर सदस्य को हर विषय पर पूरी राय देने का पूरा अधिकतर है लेकिन उस तरह से नहीं। मैं समझता हूं कि जो सवाल है वह बड़ा नाजुक विषय का है और जो भी बात आप यहां कहते हैं

[श्री अध्यक्ष]

वह सदन के बाहर जाती है, दूसरे सदनों को भी जाती है; तो कृपा कर के इस पर अब काफी हो गया है। अगर कोई पुराने माननीय सदस्य एक आध मिनट कुछ कहना चाहें तो मैं उनको मौका दे दूंगा ।

श्री धर्मवीर—

क्षमा करेंगे श्रीमन्; मैं बोलना नहीं चाहता; केवल एक घटना की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक महिला सदस्या कदाचित् उस तरफ परसों चली गयी उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। माननीय महीलाल जी वहां थे। तो इस तरह के वातावरण के अन्दर कार्य करना मुश्किल सा हो रहा है और मैं चाहूंगा कि माननीय नेता मिल कर के कोई ऐसा वातावरण बनावे जिससे कोई कटुता न उत्पन्न हो ।

(श्री लक्ष्मीरमण आचार्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं चाहूंगा कि आप दो मिनट में कह दें और मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे खड़े न हों, कृपा करें, क्योंकि मुझे बहुत खेद होता है अगर कोई माननीय सदस्य खड़े हों और मैं उन्हें मौका न दूं ।

श्री अब्दुल मुईज खाँ (जिला बस्ती)—

खेद क्यों होता है ? श्रीमन्, हर एक को अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष—

खेद क्यों होता है, वह मैं बाद में बतलाऊंगा। आचार्य जी, आप बोलिये ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस मसले पर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने मेरा जिक्र किया। यह सही है कि उस दिन मुझ भी ऐसा अनुभव हुआ और आज भी मैं यह ख्याल करता हूं कि यह अत्यन्त गम्भीर विषय है और इसको बहुत गम्भीरता से ही सदन में लिया जाना चाहिये। क्योंकि यह विषय केवल इस सदन से ही सम्बन्धित नहीं है बल्कि इसमें दूसरे सदन के सदस्यों की मान मर्यादा का भी प्रश्न मिला हुआ है। यही नहीं श्रीमन्, यदि मुझे क्षमा करे सदन, तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सदन के सदस्यों की मान मर्यादा का प्रश्न भी इसमें निहित है। क्योंकि मैं तो जानता हूं इस चीज को एक तथ्य के रूप में कि इस सदन के सदस्य सदा ही कौंसिल की लाबी में जाकर बैठते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह प्रार्थना करूंगा आपसे कि जो बात कही जा चुकी है उसकी पुनरावृत्ति न करें, जो नयी बात कहने को हो, वही कहें ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

क्षमा चाहता हूं। मैं था नहीं इसलिये मैंने इस चीज को दोहरा दिया। मैं केवल एक चीज श्रीमान के सामने रख देना चाहता हूं कि यह दोनों सदनों के माननीय सदस्यों की मान मर्यादा का प्रश्न है। यह बात सही है, और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से सहमत हूं, कि इसमें कोई व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है कि इस व्यक्ति के लिये नहीं हो और इस व्यक्ति के विषय में निर्णय दिया जाय। बल्कि इसमें तो इस माननीय सदन के समस्त सदस्यगण और दूसरे सदन के सभी सदस्यगण, सब की मान मर्यादा का प्रश्न निहित है ।

एक बात इस सम्बन्ध में मैं और भी कहना चाहता हूं। अब तक जहां तक मुझे मालूम है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कुछ निर्णय हुए हैं और जितनी जानकारी मुझे है उस नाते यह जानकारी है कि वहां कर्टसी के रूप में एक सदन के सदस्य दूसरे सदन की लाबी में जाकर बैठें तो वे उसे अनुचित नहीं समझते।

मान्यवर, मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं। कदाचित् मेरे मुंह से किसी चीज की पुनरावृत्ति हो जाय क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि इस सम्बन्ध में यहां कुछ कहा गया है। जहां तक लोक सभा का प्रश्न है, सेंट्रल भवन में तो सब लोग बैठते ही हैं, दूसरे सदन के सदस्य भी सेंट्रल भवन में बैठते हैं। लेकिन जहां तक इस माननीय सदन का प्रश्न है, इस सदन के सदस्य और उस सदन के सदस्य कुछ अवसर पर एक साथ मिल कर बैठते रहे हैं। इन परिस्थितियों में मैं निवेदन करूंगा कि यदि श्रीमन्, उचित समझें तो इस पर बहुत शीघ्रता में निर्णय न लें। इस देश में जो दूसरी विधान सभायें हैं, उनका निर्णय देखने के पश्चात् ही कोई निर्णय लें तो उचित होगा।

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ जिससे आप जब कोई फैसला लें तो इस बात का भी विचार सामने हो। जहां तक मुझे याद है, हमारे मेम्बरों के जो अधिकार हैं वे या तो लिखे हुए हैं कांस्टीट्यूशन में या रूल्स में। अगर किसी मामले में रूल्स और कांस्टीट्यूशन दोनों साइलेंट हैं तो हमारी इंडियन पार्लियामेंट के मेम्बरों के जो अधिकार हैं वे होंगे। अगर इंडियन पार्लियामेंट के मेम्बरों के कुछ अधिकार लिखे हुए हैं तो वहीं हमारे अधिकार सीमित हो जायेंगे। लेकिन अगर इंडियन पार्लियामेंट के मेम्बरों के अधिकार इस सम्बन्ध में नहीं लिखे हुए हैं तो फिर हमारे अधिकार वे होंगे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के हैं। यह है पोजीशन। तो मैं आपसे सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप इस सम्बन्ध में कोई निर्णय दें तो जब तक लिखा हुआ कोई ऐसा नियम न हो जो हमारे अधिकारों की सीमा निर्धारित करे तब तक वह सीमा निर्धारित न करें ताकि हमारे अधिकार कम हो जायं। अगर इंडियन पार्लियामेंट के अधिकार सीमित हैं तो वे हम पर लागू होंगे, नहीं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधिकार लागू होंगे।

श्रीमन्, मैं अपने तजुर्बे की बिना पर निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९४९ में जब इंडियन पार्लियामेंटरी डेलिगेशन के सिलसिले में मैं इंगलैंड गया था, उस वक्त मैं हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट का मेम्बर था। जब मैं वहां गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट की कंजरवेटिव पार्टी, लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी के मेम्बर्स—सब लोग मुझे अलग-अलग ले गये थे और उन्होंने मुझे वहीं की लाबी में ले जाकर बिठाया और उन्होंने मुझ से बातचीत की। इतना अधिकार मुझको कांस्टीट्यूशन में था या नहीं मैं यह नहीं जानता, लेकिन वाकया यह है कि मुझको लाबी में ले जाया गया क्योंकि मैं इंडियन पार्लियामेंट का मेम्बर था। इसलिये यह बरताव मेरे साथ उन्होंने किया था।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

जो मैंने प्रार्थना की थी उसी को ध्यान में रखते हुये मैं बुला रहा हूं।

श्री जगन प्रसाद रावत (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक समझता हूं इस में हमारे अधिकार का प्रश्न नहीं है। मैं पूर्णतया माननीय मुख्य मंत्री की इस राय से सहमत हूं कि अगर सब को पूर्ण अधिकार दे दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन प्रसाद रावत]

जाय तो यह पंचायत घर हो जायगा इसमें सन्देह नहीं है। केवल कायदे या कांस्टीट्यूशन से हमारे अधिकार नहीं होते हैं, कुछ परम्परायें भी होती हैं और रिवाज डाले जाते हैं। १९३७ से मैंने इस सदन की परम्पराओं को देखा है। लाबी में सदस्य या भूतपूर्व सदस्य जो हैं, या लोकसभा के सदस्य या कौंसिल के सदस्यों के जाने की परम्परा ही नहीं है बल्कि मुख्य मंत्री जी या विकल जी मुझसे स्वयं यह कह दें कि पिछले ३० वर्षों के अन्दर विधान परिषद् या लोक सभा के सदस्यों की बात छोड़ दीजिये या भूतपूर्व सदस्यों की बात छोड़ दीजिये इनके अलावा पचासों लोगों के साथ बैठकर हमने बात की है या नहीं ? प्रेस वालों से बात की है। बाहर वाले लोगों से बात की है। हर आदमी बात करने के लिये चला आता है। एक बात अवश्य हमेशा रहा करती है कि जब कभी डिवीजन होता है तो उस समय सतर्कता बरती जाती है और जब डिवीजन नहीं होता है तब सतर्कता नहीं बरती जाती है। पीछे से होकर भी जो सदस्य नहीं हैं उनको जाते तो मैंने नहीं देखा। विधान परिषद् के सदस्यों को बराबर पीछे से जाते हुये देखा है। अब प्रश्न रह जाता है कन्वेंसिंग का। कन्वेंसिंग का प्रश्न आपके देखने का है कि इसमें कहां तक तथ्य है। जैसा आपने उस दिन फरमाया था कि अगर कोई किसी सदस्य की कुर्सी पर बैठा देखा जाय तो वह स्ट्रेन्जर है या जिस समय डिवीजन हो उस समय देखा जाय वह भी एक स्ट्रेन्जर हो सकता है, लेकिन शुरू में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी को स्ट्रेन्जर कह कर यह कहा गया हो कि वह नहीं आ सकता है।

एक बात और इस विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई स्ट्रेन्जर है तो उसके लिये कोई माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, मार्शल का ध्यान आकर्षित करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा किया गया तो केआस पैदा हो जायगा। मार्शल की स्थिति ऐसी डेलिकेट होती है कि वह किस की बात माने और किसकी न माने। एक की बात अगर मार्शल माने लेता है तो फिर दूसरे सदस्य की क्यों न मानें ? इस तरीके पर दूसरा सदस्य यह भी कह सकता है कि यह झूठ बोलता है तो उस समय मार्शल क्या करेगा ? इसलिये यदि मार्शल को बीच में लाये तो पोजीशन को और खराब करना है और सदन की भी बेइज्जती है। यदि किसी ने मार्शल की तरफ इशारा किया और वह मानता है और दूसरे को सन्तोष न हो तो तब स्थिति और खराब होगी।

दूसरी बात गौतम जी ने कही। मैंने स्वयं लाबी में बैठकर देखा है। मैं यहां से एक डेलिगेशन का सदस्य होकर गया था तो वेस्ट जर्मनी में, इंग्लैंड में भी खुद लाबी में लेजाकर मुझसे बात की गयी थी।

श्री अध्यक्ष—

आपने इंग्लैंड में कहा और दूसरे मुल्कों में कहा। तो आपने देखा लाबी में या गैलरी में बैठ कर ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

जैसे हाउस के पीछे यहां पर है वैसे ही वहां देखा।

श्री अध्यक्ष—

शक्ल से मतलब नहीं है। वे अटैच्ड रूम्स हैं ? गैलरीज हैं या लाबीज ?

श्री जगन प्रसाद रावत—

गैलरीज से तो मैं मतलब दीर्घा का समझता हूं। तो जहां तक अधिकार का प्रश्न है, इस में कोई संदेह नहीं कि कोई बाहर का व्यक्ति यहां नहीं आना चाहिये और यदि आप चाहें तो इस संबंध में नियमों को और भी कड़ा कर दें, लेकिन यह भी देख लें कि उन नियमों का पालन कहां तक और कितना होता है।

*श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र रावत जी ने यह कहा कि यहां यह रिवाज रहा है कि मेम्बर्स के दोस्त भी आते थे और गैर मेम्बर्स भी आते थे, जिन्हें वह कौंसिल के बाहर के लोग भी कह सकते हैं। यह ठीक है कि कुछ दिन तक यही रहा है, जब तक कि लाबीज के दरवाजे गैलरी की बरफ खुले हुये थे। उस समय यह होता था कि हर पब्लिक वर्कर आकर एम०एल० ए० से बात कर सकता था। माननीय टंडन जी के जमाने में यह बात नोटिस में आई और इसके नोटिस में आने के बाद वे दरवाजे बंद किये गये थे इसी बात के नतीजे के तौर पर कि बाहर के लोगों को यहां नहीं आना चाहिये। लिहाजा माननीय रावत जी ने जो बात कही कि वे आया करते थे, वह किन परिस्थितयों में आया करते थे उसे मैं आपके सामने रखना चाहता था। वह ठीक है, लेकिन उसकी वजह से ही वे दरवाजे बंद हुए, यह बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी लाबीज में जाने के लिये जाना पड़ता है हाउस के अन्दर से हो कर। जो मेन हाल है उसमें से होकर जाना पड़ता है। तो यह बात भी सोचने की है और तीसरी बात यह है कि लाबी में केवल आना-जाना ही नहीं, यहां के लोगों से बात भी करना यहां खड़े होकर, इसी हाल के अन्दर। सीट पर बैठ कर नहीं हो सकता, इसलिये खड़े हो कर ही बात करना क्या इस के अन्दर आना है या नहीं? यह भी विचार करने की बात है। क्या केवल आकर कुर्सी पर बैठ जाय वही आदमी स्ट्रेंजर माना जायगा, यह बात भी सोचने की है? आपने अथवा आप के प्रिडिसेसर महोदय ने एक आदेश दिया था कि अगर मिनिस्टर ने कभी अपने मशविरे के लिये किसी को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को अथवा किसी और अधिकारी को तो वे हाउस में नहीं आ सकते। कुछ दिन पहले तक यह रिवाज था कि अगर किसी मिनिस्टर को जवाब देने के लिये कुछ जानकारी की जरूरत हुई अथवा किसी किताब की जरूरत होती थी तो उनके स्टाफ के आदमी अथवा सेक्रेटरी महोदय यहां आ कर नीचे बैठ कर बात कर सकते थे, किताब आदि दे सकते थे, लेकिन आप के प्रिडिसेसर ने इस विषय में यह रूलिंग दी थी कि उन को यहां हाउस के अन्दर स्ट्रेंजर माना जायगा।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं इस विषय पर वाद-विवाद नहीं चाहता।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रतापसिंह)—

मैं एक व्यवस्था की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस संबंध में जो कुछ अपने विचार व्यक्त किये उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं, लेकिन उसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के पेज २ और ३ की ओर दिलाना चाहता हूं। पेज दो पर सदस्य की परिभाषा देते हुए लिखा गया है—"सदस्य का तात्पर्य सभा के सदस्य से है और अनुच्छेद १७७ के प्रयोजनों के लिये उस में मंत्री तथा राज्य के महाधिवक्ता भी सम्मिलित हैं।" इसी के आगे पेज ३ पर आप देखें। सभा–कक्ष की परिभाषा देते हुए लिखा है: "सभाकक्ष (लाबी) से तात्पर्य उस कक्ष से है जो सभा मंडप से संलग्न है और जो सभामंडप के साथ ही समाप्त होता है।" जितना छोटा-सा मेरा ज्ञान है उसके अनुसार मैं समझता हूं कि हमारी प्रक्रिया नियमावली में यदि किसी बात के बारे में गाइडेंस नहीं है, अथवा स्पेसिफिक रूल्स नहीं हैं, वैसी दशा में ही हम हाउस आफ कामन्स अथवा पार्लियामेंट के नियमों और कन्वेंशन्स से गाइड होंगे। मैं आप की व्यवस्था यह चाहता हूं कि जब हमारी प्रक्रिया नियमावली में निश्चित रूप से परिभाषायें दी हुई हैं सदस्यों तथा सभा कक्ष की, तो उनको किसी कन्वेंशन्स अथवा कस्टम्स से ओवर रूल नहीं किया जाना चाहिये। यही मेरा निवेदन है कि हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रतापसिंह]

जो रूल्स इस सदन में अपने लिये बने हैं, इस विषय में सर्वोपरि होने चाहिये और इसी पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अब्दुल मुईज खां—

मैं केवल एक बात निवेदन करना चाहता हूं। मैं अपना ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम ३०५, ३०६, ३०७ की तरफ ले जाना चाहूंगा। इसमें 'अजनबियों' शब्द का प्रयोग हुआ है। मेरे साथी ने जो अभी नियम पढ़ा उसमें सभामंडप और कक्ष या लाबी की डेफिनीशन की गयी है। अब यह बात श्रीमन्, के सामने साफ नहीं हुई है कि मार्शल को जो मंत्री महोदय ने इशारा किया उस पर उन्होंने स्वयं ऐक्शन ले लिया या श्रीमन् से कोई आदेश प्राप्त किया या ऐसा भी हो सकता है कि श्रीमन् के किसी पहले के आदेश के अन्दर जो स्टैंडिंग आर्डर के रूप में, इंस्ट्रक्शंस के रूप में हों, ऐक्शन लिया। तो दोनों सूरतों में आप रूलिंग देने से पहले विचार करेंगे।

साथ ही पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के मेम्बरर्स के सिलसिले में नियम अलग हैं। अपने यहां विशेषाधिकार के जो नियम हैं उसमें नियम ७९ को आप देखें। उसमें अगर किसी आम पब्लिक के आदमी से कोई गलती हुई है जो विशेषाधिकार का प्रश्न हो सकता है तो उस पर तो एक साधारण प्रक्रिया होती है, लेकिन अगर किसी दूसरे सदन के सदस्य से हुई तो अलग प्रक्रिया होती है। इसी तरह से "अजनबी" शब्द आम पब्लिक के आदमियों के लिए प्रयोग हुआ है। हमारे इस सदन के सदस्यों की जो पावर्स और प्रिविलेजेज हैं अगर वह लिखित नहीं हैं तो इंगलैंड की पार्लियामेंट के सदस्यों के प्रिविलेजेज होंगे, इसी तरह से अन्य राज्यों और अन्य सदनों के सदस्यों के जो होंगे उन पर विचार करना होगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय गौतम ने भी यही बात कही है। (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के खड़े होने पर) राजेन्द्रकुमारी जी, आप नहीं कहेंगी तो यह विषय अधूरा रह जायगा।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि लाबी में आकर पोलिटिकल कैनवेसिंग नहीं हो सकती। जहां तक मैं समझती हूं, पिछले वर्षों में यह परम्परा रही है कि जब भी राज्य सभा का चुनाव हुआ है और जो माननीय सदस्य खड़े रहे, हम सदस्य इस सदन के उनके वोटर रहे हैं। तो हमसे साक्षात्कार करने के लिये, मिलने के लिये, कंसी के लिये माननीय राज्य सभा के उम्मीदवार लाबी में आकर हमसे मिलते रहे हैं और जहां तक मेरी जानकारी है उस पर किसी ने कोई एतराज नहीं किया। गोपाल स्वरूप पाठक और कई ऐसे आदमियों के नाम मैं गिना सकती हूं जो कि लाबी में आये। यह परम्परा रही है। बहुत से विदेशी लोग भी, विदेशी पत्रकार भी, लाबी में आकर इन्टरव्यू लेते रहे हैं। यह जो घटना हुई है, यह बहुत ही दुखद है, इस पर आप गम्भीरता के साथ विचार करें।

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

विधान परिषद् के सदस्यों को यहां आने के लिये प्रिविलेज है, मगर क्या उसका दुरुपयोग कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इस विषय में काफी माननीय सदस्यों ने बात कही है। अब मैं कुछ निवेदन करता हूं। आज प्रातः काल जब मैंने अखबार पढ़ा और कौंसिल की प्रोसीडिंग को पढ़ा तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। यह दोनों सदन परम्परा से एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं और एक दूसरे का आदर करते आये हैं और यदि कोई माननीय सदस्य यह अनुभव करें कि यहां के सदन के माननीय सदस्य उनको अप-

मानित करना चाहते हैं या उनकी अवहेलना करना चाहते हैं तो यह दुःख की बात है। मेरा ऐसा विश्वास है कि इस सदन की न कभी कोई ऐसी मंशा थी और न हो सकती है कि दूसरे सदन के माननीय सदस्य को किसी प्रकार अपमानित किया जाय। हमारा कर्त्तव्य है कि हम विधान परिषद के सभी सदस्यों का आदर करें, उनके विचारों का आदर करें, ऐसा हम हमेशा से करते रहे हैं और करते रहेंगे। यह तो एक आम बात मैंने कही।

मैं बहुत आभारी हूं माननीय विधान परिषद् के सभापति का कि उन्होंने इस विषय पर अपने जो कुछ विचार व्यक्त किये उसके लिये मैं आगे समय आने पर उनसे बात करूंगा। अब जो समस्या आज सदन में उठी है उसके दो तीन पहलू हैं। एक तो माननीय कृष्णा नन्द राय जी ने यह पूछा कि लाबीज के नियमों में क्या कोई परिवर्तन हुआ है, क्या वह अब सरकार के अधिकार में आ गई हैं? मैं सदन में इस विषय पर विचार रख भी चुका हूं। सरकार का लाबीज पर कोई नियन्त्रण नहीं है। दूसरी बात यह कही गयी कि माननीय टम्बेश्वर प्रसाद ने मार्शल से कुछ कहा। माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने अपनी बात स्पष्ट कर दी। किसी माननीय सदस्य का किसी बात की ओर ध्यान आकृष्ट करने का अधिकार है मगर किसी को उनको कोई आदेश देने का अधिकार नहीं है। किसी भी मंत्री को माननीय सदस्य को विधान सभा के किसी भी कर्मचारी को किसी मार्शल को या किसी अधिकारी को कोई आदेश देने का अधिकार नहीं है और न माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने कोई आर्डर दिया जैसा कि उन्हों ने स्वयं कहा है। उन्होंने केवल ध्यान आकर्षित किया जिसको वे नियमों का उल्लंघन समझते थे, उस ही तरफ। अब इससे भी महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि विधान परिषद के माननीय सदस्यों को क्या लाबीज में बैठने का अधिकार है या नहीं मैं ने इस विषय पर आज प्रातःकाल से ही विचार करने का यत्न किया, जो हमारे नियम हैं तथा जो लोक सभा के नियम हैं, उन सबको भी अच्छी तरह से देखा। उन सबमें कहीं भी मुझे इस संबंध में कोई विशेष प्राविधान नहीं मिला। अब जब कोई प्राविधान नियमों में नहीं, एक तरफ यह प्रीविलेज का प्रश्न आये कि क्या यह माननीय सदस्यों का प्रीविलेज है या नहीं, क्या वे इस सदन की प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं या नहीं, तो इस पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। मैंने हाउस आफ कामन्स की परम्परा को भी देखा, वहां की कन्वेंशन्स को भी देखा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जहां भी दो सदन हैं वहां दोनों सदनों के सदस्यों के यह प्रीविलेज माने गये हैं और माना जाता रहा है कि वे दूसरे सदन की प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं। लेकिन इस प्रिविलेज के माने यह नहीं हैं कि विधान सभा के सदस्यों के लिये आरक्षित सीटों पर बैठकर वे प्रोसीडिंग्स को वाच कर सकते हैं। यह है कि इसके लिये कान्स्टीट्यूशन की आर्टिकल १९३ कहती है कि वे स्थान जो माननीय सदस्यों के लिये निश्चित हैं उन पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बैठ सकता और इसी सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपराध और पांच सौ रुपये की पेनाल्टी का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त जो और जगहें हैं गैलरीज या बाहर का रास्ता, इसके बारे में कोई साफ प्राविधान नहीं है। मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक लाबीज का सम्बन्ध है मैं इस विषय में अभी और अध्ययन कर रहा हूं। यह प्रश्न हमारे यहां १९५१ में मेरे पूर्वगामी अध्यक्ष माननीय खेर के जमाने में उठा था और उस समय माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की थी कि जैसा कि हाउस आव् कामन्स में भी प्रिविलेज है कि वे प्रोसीडिंग्स को देख सकते हैं तो उनको कठिनाई अनुभव होती है। उस कठिनाई को अनुभव करते हुए उनके प्रति असीम आदर करते हुए माननीय अध्यक्ष ने यह निर्णय किया था कि एक विशेष दीर्घा उन माननीय सदस्यों के लिये बना दी गई थी। वह दीर्घा इस समय भी है और भविष्य में भी उसको कायम रखूंगा। इस सदन को प्रोसीडिंग्स को वाच करने का जो उनका प्रिविलेज है उसका वह उपयोग करते थे और वह भविष्य में भी उनको उपलब्ध करते रहेंगे।

अब केवल प्रश्न रह जाता है कि लाबीज की क्या व्यवस्था हो? लाबीज में वे आ सकते हैं या नहीं, इसमें विभिन्न माननीय सदस्यों ने विभिन्न मत प्रकट किया। जहां तक कि परिसर

[श्री अध्यक्ष]

की परिभाषा का सम्बन्ध है वह प्रत्यक्ष है। नियमावली के पृष्ठ २ व ३ पर इसकी परिभाषा दी हुई है कि लाबीज वह जगह है जो ठीक सदन के पास सम्बद्ध होती है और वह समय समय पर इसका अंग मानी गई है। अगर इसकी परिभाषा को देखें तो यह लगता है कि केवल इस विधान सभा के सदस्य ही उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मुझे यह स्मरण है कि उसमें समय समय पर प्रेस के लोग आते रहे हैं। मैंने यह जानकारी प्राप्त की कि लाबीज के पास देने की व्यवस्था भी प्रेस के बन्धुओं के लिये है। तो यह विचारणीय होगा कि यदि दूसरे विधान परिषद् या लोक सभा के सदस्य आवें तो आ सकते हैं या नहीं? इस संबंध में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य सदस्यों से मैं जानकारी करना चाहूंगा। उसके बाद मैं अपना निर्णय दूंगा। एक बात मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रक्रिया नियमावली के नियम संख्या ३०५, ३०६ और ३०७ में यह बिलकुल प्रत्यक्ष है कि मुझे यह अधिकार है कि किसी विशेष स्थिति को देखते हुए मैं उन जगहों में सभी जो केवल विधान सभा के सदस्यों के लिये नहीं हैं किसी के बाहर जाने की व्यवस्था कर सकता हूं। अब प्रश्न यह पैदा हो सकता है कि ऐसी व्यवस्था करने की कभी आवश्यकता पड़ी तो विधान परिषद् के सदस्य भी आते हैं अथवा नहीं। मैंने हाउस आफ कामन्स की १७०० से १८०० के बीच की प्रोसीडिंग्स देखी। एक बार हाउस आफ कामन्स का सीक्रेट सेशन हुआ। हाउस आव् लार्ड्स के लोगों ने इस बात को अधिकार माना कि वे जहां बैठते थे उसमें अपना प्रिविलेज उन्होंने क्लेम किया। वहां के स्पीकर ने उस बात को नहीं माना लेकिन जो न सा धारण प्रिविलेज था वाच करने का उसके लिये उन्होंने विशेष दीर्घा का प्रबन्ध किया। जो जगह उनको निर्दिष्ट थी सदन के समीप, उनको वहां नहीं बैठने दिया। तो यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर अभी मैं अन्तिम निश्चय नहीं ले रहा हूं, बाद में लूंगा। लेकिन एक बात और मैं कह देना चाहता हूं कि विशेष परिस्थितियों में मुझे यह अधिकार है कि किसी भी स्थान को मैं खाली करा लूं। गैलेरीज में जो विजिटर्स बैठते हैं, यदि आवश्यकता होती है तो उनको खाली करा सकता हूं। उसी प्रकार ऐसी परिस्थिति में जैसे डिवीजन के समय अगर इस अधिकार को मान लियाजाय कि दूसरे सदन के सदस्य बैठ सकते हैं तो प्रत्यक्ष है कि यह बहुत गलत बात हो जायगी। डिवीजन के समय या डिवीजन जिस समय होने जा रहा है उस समय एक विशेष परिस्थिति हो जाती है। अतः इन बातों पर हमें विचार करना है।

जो घटना हमारे सदन में घटी, उसका मुझे दुःख है। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने उसमें जल्दी का परिचय दिया। मैंने इस समय भी इसका संकेत किया था। अब दोनों सदनों के सदस्यों की बात हो तो माननीय सदस्यों को उसमें जल्दी नहीं करनी चाहिये। पहली बार जब यह बात मेरे नोटिस में आयी कि कोई माननीय सदस्य विधान परिषद् के यहां बैठे हुए हैं, मैं उस वक्त यह समझा कि वे यहां किसी आसन पर बैठे हैं, मैंने यह आदेश दिया कि अगर ऐसा है तो अनुचित है। कुछ देर के बाद, पीछे का जो उधर रास्ता है, कुछ माननीय सदस्य माननीय गोपाल नारायण सक्सेना के आगे पीछे थे, उन्होंने मेरा ध्यान आकृष्ट किया कि माननीय गोपाल नारायण सक्सेना यहां पर हैं। मुझे उस समय दुःख हुआ। मैं चाहता था कि उस समय कुछ ज्यादा संयम बरता गया होता। इससे विधान परिषद् के कुछ माननीय सदस्यों को ऐसा आभास हुआ कि यहां के माननीय सदस्य उनका अपमान करना चाहते थे, कदाचित ऐसा हरगिज नहीं था। जिन्होंने मेरा ध्यान आकृष्ट मेरा ऐसा विश्वास है कि वह केवल उस समय ऐसा समझते थे कि यह अनुचित बात है, क्योंकि उस समय तक कोई बात स्पष्ट नहीं थी। उनकी किसी प्रकार के अवमान की कोई मंशा नहीं थी। मैं सदन की तरफ से और अपनी तरफ से इस बात के प्रति दृढ़ विश्वास दिला सकता हूं कि यहां के माननीय सदस्य विधान परिषद् के माननीय सदस्यों का पूरी तरह से आदर करना चाहते हैं और उस आदर करने की व्यवस्था बनाना चाहते हैं। उस रोज की घटना का मुझे वास्तविक खेद है।

श्री घनराज यादव द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब मेरे पास एक विशेषाधिकार की सूचना आयी है, श्री घनराज यादव द्वारा। कल मैंने माननीय मोहनलाल गौतम के पराश्रों पर कहा था कि भविष्य में, जहां मैं उचित समझूंगा और आवश्यक होगा, विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने वाले और जिनके विरुद्ध वह प्रश्न उठाया जाता है, उन दोनों माननीय सदस्यों को पहले मैं अपने कक्ष में सुन लूंगा। यह जो विशेषाधिकार का प्रश्न दिया गया है, वह ऐसा है जिसके बारे में मैं सदन की गरिमा को देखते हुए यह आवश्यक समझता हूं कि पहले मैं उन दोनों माननीय सदस्यों से बातें कर लूं। पहले श्री घनराज जी मेरे कक्ष में मुझसे बातें कर लें, बाद में जिनके विरुद्ध वह दिया गया है, उनसे बातें कर लूंगा और कल को उस संबंध में अपनी व्यवस्था दे दूंगा।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि नियमों में प्रिविलेज के बारे में यह दिया हुआ है कि यदि आप इस प्रश्न को अनुमति देते हैं, आपकी यह सम्मति है कि वह अनुमति देने के लायक है तो आप शिकायत करने वाले और जिसने शिकायत की है, दोनों माननीय सदस्यों को सदन में अपनी बात कहने का मौका देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

वह कौन सा नियम है जिसमें उनको सदन में सुनना आवश्यक है ?

श्री कृष्णानन्दराय—

नियम ६२ और ६३ हैं।

श्री अध्यक्ष—

इस नियम में, 'सदन में सुनूं', ऐसा नहीं लिखा है। केवल सुनने की बात लिखी है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं और आप की यह व्यवस्था रही है और जब से आप इस आसन पर विराजमान हैं तब से यही होता रहा है कि जिन का विशेषाधिकार का प्रश्न बन सकता था उन को आप पहले सुनते थे और विशेषाधिकार का प्रश्न देने वाले सदस्य और जिस के खिलाफ वह होता था उस को आप सुनते थे और तथ्यों को सुनने के बाद आप इस को विशेषाधिकार समिति को भेजने न भेजने का फैसला करते थे। लेकिन अब आपने एक नई व्यवस्था श्री गौतम के सुझाव पर मान ली कि आप इन दोनों पक्षों को अपने कक्ष में सुनेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि जो पुरानी परम्परा थी और जिस पर आप अभीतक चलते थे वह खत्म हो गई या कायम है।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में नियम में लिखा है कि "यदि इन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष के मत में विशेषाधिकार-भंग अथवा अवमान की सूचना सम्मति योग्य तथा ग्राह्य हो, तो वे इस मामले को विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन के निमित्त निर्दिष्ट कर सकेंगे और उस की सूचना सदन को देंगे। यदि अध्यक्ष के मत में सूचना अग्राह्य हो तो वे अस्वीकृति की सूचना सदन को देंगे।

किन्तु यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो अपना निर्णय देने के पूर्व संबंधित सदस्य तथा अन्य सदस्यों को सुन सकेंगे।"

[श्री अध्यक्ष]

मैंने अभीतक इस बात का प्रयत्न किया कि जब माननीय सदस्यों ने विशेषाधिकार का प्रश्न यहां उठाया, अगर मैंने आवश्यक समझा तो उसके अन्तर्गत प्रश्न उठाने वाले सदस्य और दूसरे सम्बन्धित सदस्यों को सुना। अब कल गौतम जी ने जो बात कही थी कि सदन में पूछना नियमों के विरुद्ध है, माननीय उग्रसेन जी ने जो कहा वह भी ठीक है, मैं अभी तक जो करता था वह मैं पहले प्रश्न के महत्व को देखकर ही करता था। मुझे तो प्रश्न के महत्व को उस की नेचर को देखना ही होगा और उसी के लिहाज से मैं देखूंगा कि मैं माननीय सदस्यों से पूछूं या न पूछूं और पूछूं तो सदन में पूछूं या बाहर पूछूं। इसी प्रश्न पर सदन की गरिमा का ध्यान कर के यह निश्चय किया गया है। आज जिक्र भी केवल इसीलिये किया गया कि पिछली जो हमारी परम्परा चल रही थी उसी के अनुसार यह प्रश्न उठाया जाना अपेक्षित होगा। दूसरा यह सुझाव जो मैं ने स्वीकार किया था उसके विषय में कल ही मैं ने सदन में अपना मत व्यक्त कर दिया था कि भविष्य में मैं ऐसा करूंगा।

श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जो रोज कार्यसूची वितरित की जाती है उसके आज के क्रमांक ३ की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। इस में लिखा है कि विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना यदि कोई हो। श्रीमन्, आप जो बताते हैं कि मेरे पास एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आया है, इतनी सूचना सदन में काफी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप की यह व्यवस्था चाहता हूं कि सदन को आप को यह भी बताना चाहिये कि किस विषय के सम्बन्ध में यह प्रश्न आया है, इतना अंकित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

पहली बात तो यह है कि जितनी सूचना सदन के हित में मैं समझता हूं कि इतनी पर्याप्त है उतनी मैं दे देता हूं। माननीय रमाशंकर जी ने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैंने अभी जो प्रक्रिया में अपेक्षित है वह पूरी बात नहीं की है, मैं ने जो उस को कल पूरा करने की बात कही है, पहले की प्रक्रिया को अभी पूरा करना पड़ेगा, वह अभी बाकी है।

श्री उग्रसेन—

अध्यक्ष महोदय, लाबी के बारे में आप ने व्यवस्था दी और अपना विचार प्रकट किया उस सम्बन्ध में हमारी भावनायें भी हैं और मैं कहना चाहता हूं कि क्या आप सोच रहे हैं कि अब ऐसी स्थिति आ गई है क्योंकि सदन में जनतन्त्र अब खतरे पर है और ऐसी स्थिति में अच्छा हो यदि विश्राम कक्ष के लिये नियम बना दिये जांय। मैं चाहता हूं कि लाबीज के बारे में एक नियम समिति बने जो हाउस आफ कामन्स की तरह स्पष्ट नियम बना दे।

श्री अध्यक्ष—

लाबी और विश्राम कक्ष दो चीजें हैं। जो माननीय सदस्यों के व्यक्तिगत विचार होंगे उनको मैं देख लूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मैंने ६३ से लेकर नियम ७४ तक पढे हैं। यदि आप भी इन नियमों को पढ़ें, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि प्रिविलेज के बारे में जो यहां पर परम्परा रही है वही नियमानुकूल है। यदि आप अनुज्ञा दें तो इस सदन में शिकायत प्रस्तुत करने वाले की बात और जिसके बारे में यह बात हो, उनकी बातों को सुनेंगे। यदि आप प्रिविलेज के बारे में अपने कक्ष में सुनेंगे तो होगा क्या? नियम ५१ और ५२ के बारे में आप फैसला दे देते हैं और यह सदन विचार भी नहीं कर सकता है। यह प्रिविलेज का मसला है, सदन के अपमान का प्रश्न होता है और यदि इसे सुनकर आप निर्णय कर देंगे तो इससे आप सदन को वंचित कर देंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कृष्णा नन्द जी, मैं आपसे सहानुभूति रखता हूं क्योंकि यदि आप विशेषाधिकार के रिकार्ड को देखेंगे तो आप पायेंगे कि उसके चैम्पियन आप ही हैं। अगर आप उस विषय में कह रहे हैं तो मैं आपके विचार को अधिक महत्व देता हूं। मैं इस विषय में नहीं बांध रहा हूं। कोई नियम ऐसा नहीं है कि मेरे लिये सुनना अनिवार्य है। ये सारी बातें उसमें आ जाती हैं।

श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

जो आब्जर्वेशन आपने किया है वह अपनी जगह पर सही है। मैं समझता हूं कि आपने अभी अंतिम फैसला नहीं किया है और आप दोनों पक्षों को सुनकर अपना फैसला देंगे लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आप हर एक का यूनिफार्म स्टैन्डर्ड न बनायें।

श्री अध्यक्ष—

हर एक के लिये यूनिफार्म स्टैन्डर्ड तो मेरा होगा, लेकिन विभिन्न विषय पर विभिन्न स्टैन्डर्ड हो सकता है।

श्री नवल किशोर—

तो श्रीमन्, यह हुआ कि जिस तरह का इशू आयेगा, उस पर उसी प्रकार का आपका निर्णय होगा?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, यह सदन न चलता हो तो आपको अधिकार है कि यदि कोई विशेषाधिकार का प्रश्न आये तो आप स्वयं उसको प्रिविलेज कमेटी को भेज सकते हैं और अगर सदन चल रहा है और आप यह निश्चय कर लीजिये कि यह प्राइमाफेसी है, तब सदन में बात हो सकती है। दूसरा प्रश्न सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठा तो यह प्रश्न उस समय उठता है जब कि माननीय सदस्य को सुना जाता है।

श्री अध्यक्ष—

सुना जाता है, मैं इससे सहमत हूं, लेकिन सुनना अनिवार्य है या बिना सुने मैं अपना फैसला नहीं दे सकता हूं, यह कहां पर है?

श्री नेकराम शर्मा—

अगर प्राइमाफेसी है तो आप सुनेंगे और आप ही फैसला करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा मालूम होता है कि अभी भी इस विषय में कुछ भ्रांति है। अगर मैं समझ लूं कि प्राइमाफेसी केस है तो फिर सुनने की कोई आवश्यकता ही नहीं मैं सीधे कमेटी को निर्दिष्ट कर दूंगा। नियमों में यह स्पष्ट है कि यदि अध्यक्ष समझे तो उसे अधिकार है कि निर्णय देने के पूर्व संबंधित सदस्य को सुन सकता है। सुन कहीं सकता है? जब यह अधिकार है कि बिना सुने भी निर्णय कर सकता है तो यह उसकी इच्छा पर है उस माननीय सदस्य को वह कक्ष में भी सुन सकता है और जहां चाहे सुन सकता है। इसलिये कोई कठिनाई मुझे दिखती नहीं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मैं आप का ध्यान नियम ६६ की ओर दिलाना चाहता हूं और जो आपने पढ़ा:

"किन्तु यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो अपना निर्णय देने के पूर्व संबंधित सदस्य तथा अन्य सदस्यों को सुन सकेंगे"

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—]

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि निर्णय देने के पूर्व संबंधित सदस्य तथा अन्य सदस्यों को सुना सकेंगे, इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें निहित यह है कि हाउस में ही सुनेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप यह तात्पर्य निकालते हैं कि हाउस में ही सुनेंगे? यदि हां, तो कारण बतलावें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

जी हां। कारण यह है कि संबंधित सदस्य तथा अन्य सदस्यों, अब संबंधित सदस्य तो आपके विश्राम कक्ष में हो सकते हैं, लेकिन अन्य सदस्य भी इसके संबंध में विश्राम कक्ष में उपस्थित हों, यह कोई आवश्यक तो नहीं है। इस दृष्टि से तो यह अर्थ यह है कि जब किसी को सुनना उचित समझें आप, मैं उससे सहमत हूं और समझता हूं इसका मतलब यह है कि आप प्रत्येक दशा में सुनें यह तो आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रश्न के संबंध में कुछ विचार करना चाहें तो उस स्थिति में संबंधित सदस्य तथा अन्य सदस्यों को सुना सकें। तो अन्य सदस्यों को सुना सकेंगे का अर्थ यही है कि सदन में ही सुना सकेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैं आप की बात से पूर्ण रूप सहमत नहीं हूं। पहली बात तो यह है कि यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो, यह भी तो स्थिति हो सकती है कि मैं किसी को सुनना आवश्यक न समझूं और अगर समझूं तो निर्णय देने के पूर्व संबंधित सदस्य तथा अन्य सदस्यों को सुनाऊंगा। जब कि स्पष्ट प्रावधान यह है कि सुनना आवश्यक समझूं तभी सनूं गा, तो यह मतलब निकालना कि सदन में सुना सकूंगा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। कारण आपने यह दिया कि अन्य सदस्य वहां कैसे हो सकते हैं। तो अगर मैं आवश्यक समझूंगा कि कोई पंडित या आचार्य है तो उन्हें बुलाऊंगा, या कोई और माननीय सदस्य स्वयं ही आवश्यकता समझेंगे तो वह आ सकेंगे। लेकिन एक बात है इस विषय में आप को कोई कठिनाई इसलिये नहीं होनी चाहिये क्योंकि मैं इस को ऐबसोल्यूट रूल करके नहीं मान रहा हूं। लेकिन अगर सारे प्रश्नों को सदन में सुनने की परिपाटी डाल दी गई तो परिणाम यह होगा कि माननीय सदस्य यह समझेंगे कि उन का बीच आफ प्रिविलेज के क्वेश्चन पर बोलने का भी प्रिविलेज है। तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को कोई बीच आफ प्रिविलेज के सवाल पर मुझे परामर्श देने का प्रिविलेज नहीं है। मैं कठिनाई अगर समझूंगा तो सुनूंगा। आप के यथा समय संतोष और आवश्यकता को जानते हुये उसे करता रहूंगा।

श्री हरीशचन्द्र सिंह (जिला बदायूं)—

श्रीमन्, इस प्रश्न को दो हिस्सों में बांटने की आवश्यकता है। एक तो प्रार्थना पत्र देने की और दूसरे यह कि प्रिविलेज का क्वेश्चन है या नहीं इस बात को तय करने की। तो प्रार्थना पत्र को देते ही वह सवाल प्रिविलेज का नहीं हो जाता। उस स्टेज तक मैं यह समझता हूं कि माननीय अध्यक्ष को जानकारी करने या पूछ कर के या अपने आप निश्चय करने का अधिकार है कि आया यह प्रिविलेज का प्रश्न है या नहीं। तो यह एक प्रश्न हुआ। और यदि माननीय अध्यक्ष का फैसला यह होता है कि प्रिविलेज का क्वेश्चन है तो उसकी चर्चा सदन में ही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मेरा खयाल है कि इसमें अभी भी भ्रान्ति है। माननीय हरिश्चन्द्र अपनी राय का लाभ फिर किसी वक्त कक्ष में दे दें। जरा सी भ्रान्ति यह है कि अध्यक्ष संतुष्ट हो जायं कि प्रिविलेज का क्वेश्चन उठता है तो फिर पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। पूछने का सवाल तब पैदा होता है जब मेरे मन में शंका रहे, मैं जानना चाहूं कि प्राइमा फेसी केस होता है या नहीं, उसके बाद प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

१९६७–६८ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या १०—सामान्य प्रशासन तथा अनुदान संख्या ११—आयुक्त और जिला प्रशासन (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

(श्री जी० एस० चौधरी से)

आप कल ५ मिनट बोले थे और अब ५ मिनट और बोलेंगे।

*श्री जी० एस० चौधरी (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी अर्ज किया था कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा सबजेक्ट है कि इसके ऊपर टाइम का बंधन करने से कुछ अहम बात रह जाती हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर सभी माननीय सदस्य बोलने का प्रयास न करें तो मैं कोई बंधन न लगाऊं।

श्री जी० एस० चौधरी—

"एक फुर्सते गुनाह मिला वह भी चार दिन, देखे हैं हमने हौसले परवर दिगार के।"

श्री अध्यक्ष—

चौधरी साहब मैं यह कह रहा हूं: "मैं बागबां होता तो गुलशन को लुटा देता।" मेरे लिये मजबूरी है। मैं नियम में बंधा हुआ हूं। मैं गुलशन को लुटा नहीं सकता।

श्री जी० एस० चौधरी—

अध्यक्ष महोदय, "इतना तूफां से हम नहीं डरते, जितना ना खुदा से डरते हैं।"

मैं यह अर्ज कर रहा था कि कोई मुलजिम पकड़ा जाता है इससे पहले कोई व्यक्ति थाने में अथवा कचहरी में बयान दे, दखलन्दाजी होने लगती है जिसने एडमिनिस्ट्रेशन डिमारेलाइज होता है। इस डिमारेलाजेशन से ही डिसिप्लिन खराब होती है और डिसिप्लिन तो हमारे इस प्रान्त में इतना खराब हो चुका है पिछले १२, १५ सालों से कि तोबा ही बोलिये। करप्शन जिसका नाम रिश्वत है, आज उसका नाम रिश्वत नहीं है। उसका नाम अध्यक्ष महोदय, आपने नहीं सुना होगा तो मैं सुना दूं। उसका नाम एक तो रख लिया है "नजराना"। एक नाम रख लिया है "शुकराना" मैंने काम आपका किया तो आपने मेरा काम कर दिया। उसे रिश्वत नहीं कहा जाता। किसी को आपने काम के सिलसिले में कुछ दे दिया तो वह नजराना बन गया, शुकराना बन गया। ये चीजें इसलिये आई कि हर काम में देर होती है तो पब्लिक दुखी होती है। ये भाव जो चढ़ गये हैं कमी की वहज से नहीं, यह गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन में कमी है। गवर्नमेन्ट का काम होता है इन्तजाम करना। सुपर बाजार खोलना, रोडवेज चलाना, कारों को बेचना गवर्नमेंट का काम नहीं होता। गवर्नमेंट का काम प्रबन्ध करना होता है और वह पुलिस के द्वारा होता है। उस पुलिस को हमने डिमारेलाइज कर दिया है। सैकड़ों इंक्वायरीज एक सब इंस्पेक्टर करता है जिससे सारा काम नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है।

इस महंगाई में शुगर को ही ले लीजिये। ४, ५ रुपये किलो बिक रही है। एडमिनिस्ट्रेशन की ढील की वजह से ही चीनी ४, ५ रुपये किलो बिक रही है, जब कि चीनी की कमी नहीं है। यह

---

†१७ जुलाई, १९६७ की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जी० एस० चौधरी]

ऐसा है कि २१ लाख टन चीनी बनी है और पिछले साल १ नवम्बर को १० लाख टन चीनी के-रीड ओवर हो चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि ३१ लाख टन चीनी और ३१ लाख टन चीनी के अलावा ४ लाख टन खांडसारी पैदा होती है। सारे भारतवर्ष का कंजम्पशन २८ लाख टन है और इसका मतलब यह हुआ कि तब भी ६, ७ लाख टन चीनी हमारे पास फालतू है। वैसे अगर देखा जाय तो इस साल, पहली नवम्बर को जो चीनी बची थी उसको छोड़ कर, २१ लाख टन चीनी बनी। हम १/६ हिस्सा भारत के हैं। इस हिसाब से हमारे हिस्से में ३० हजार टन हर महीने आता है। यह जो १६ हजार टन पर मंत्री मान जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता।

श्रीमन्, इसमें जो देखने वाली बात है वह यह कि अगर अनाज के भाव चढ़ गये तो क्या यह ठीक है? हमारा अनाज ८ परसेंट कम हुआ और साढ़े ११ परसेंट चूहों वगैरह की वजह से जाया हो जाता है। सरकार को चाहिये कि हर जिले में एक एजेन्सी हो जो चूहे वगैरह मारने का प्रबन्ध कर सके जिससे अनाज का नुकसान न हो।

इसके अलावा स्कूलों में आज हमारा ही, यहां का, व्यवहार असर करता है। जिस तरह हम हाउस में एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं यह कोई अच्छा नहीं लगता।

(इस समय १ बजकर २१ मिनट पर अधिष्ठाता डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी पीठासीन हुईं।)

तो जो होती है किसी की अंगुश्तनुमाई,
बात पते की कहूं सुन लो जरा,
उंगलियां तीन झुकी रहती हैं तेरी जनाब,
ये बताती हैं कि तू है बुरा।

हाउस में हम बैठे हुये हैं पब्लिक की सेवा के लिये। हमें यहां आपस में कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिये जिसका असर बाहर के इन्तजाम पर बुरा पड़े।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—

चौधरी साहब ने इन मांगों को पेश करते हुये सलाह दी थी कि कुछ सुझाव हों, कड़ुवाहट न हो तो ज्यादा अच्छा है। मेरा खयाल है यह सलाह सभी लोगों ने सुनी होगी। कई बार सदन में देखा गया है कि कड़ुवाहट तब शुरू होती है जब मिनिस्टर अपनी मांग पेश करते हुये ६० मिनट में ५० मिनट सिर्फ कड़ुवाहट में बात करते हैं और थोड़ी देर अपनी मांगों को संबंध में बात करते हैं। मैंने चौधरी साहब की बात बहुत ध्यान से सुनी। पहली चीज जो उन्होंने कही वह यह कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का उन्होंने सेपरेशन किया है। मेरे खयाल में यह बात इस तरह न कही जाकर अगर यह कहा जाय कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन की जो स्टेज अब तक पहुंच चुकी थी चौधरी साहब उससे एक कदम आगे जाना चाहते हैं। इन दोनों के सेपरेशन की बात मान ली गयी और उसको मान कर ही एक ढांचा बनाया गया। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स अलग किये गये। उनमें कुछ खराबियां हैं, कम्प्लीट सेपरेशन नहीं हुआ, यह सब तो मैं मान सकता हूं, लेकिन नहीं हुआ, यह एक नयी चीज है, यह मैं नहीं मानता। सवाल यह है कि उन्होंने कमेटी बनाई है तो मेरा खयाल यह है कि जुडीशियरी का एक्जीक्यूटिव से सेपरेशन होने पर भी एक स्टेज ऐसा है कि थोड़ा सा अधिकार आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास लाऐंड आर्डर को मेनटेन करने के लिये रखना पड़ेगा। कम्प्लीट सेपरेशन नहीं हो सकेगा। जब इनका सेपरेशन हो जायेगा तो वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं रहेगा और वह कलेक्टर रह जायेगा। कलेक्टर को मदरास

में एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं और उसको दफा १४४ वगैरा लगाने के थोड़े से जुडीशियल अधिकार हैं। बात यह है कि जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव की सेपरेशन की बात अब तक जिस स्टेशन पर थी उससे चौधरी ने एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की है। यह कम्प्लीट सेपरेशन नहीं होगा। लेकिन हम आगे जरुर बढ़ेंगे और मैं इसका स्वागत करता हूं। आज जो जुडीशियल मजिस्ट्रेट हैं वे एडीशनल कमिश्नर से आगे नहीं जा पाते, इसलिये अच्छे आदमी नहीं मिलते। इनको ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंचने का मौका होना चाहिये। इसके बारे में रिक्रूटमेंट वगैरह के रूल्स बनें, वह डिटेल्स में बात है।

इसके बात उन्होंने कुछ और बातें भी कहीं उनको मैं छोड़े देता हूं। उनका सब से ज्यादा जोर करप्शन के ऊपर था। मैं उन लोगों में से हूं जो करप्शन को दूर करने के हामी हैं और शायद सदन में ऐसा कोई सदस्य नहीं होगा जिसके ऊपर करप्शन दूर करने की वहज से २१–२२ साल तक मुकदमा चला हो। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड इलाहाबाद के म्युनिसिपल मेम्बर की हैसियत से १९३६ में मैंने करप्शन दूर करने का प्रयास किया तो २१–२२ साल तक मुकदमा चलता रहा। इसलिये मैं नहीं चाहूंगा कि करप्शन को दूर करने में मैं किसी से पीछे रहूं। लेकिन सवाल यह है कि जो कदम आपने उठाया है उसमें क्या खतरा है?

चौधरी साहब ने एक सरक्यूलर का जिक्र किया कि यदि हेड आफ दि डिपार्टमेंट इस नतीजे पर पहुंच जाये कि यह आदमी करप्ट है और वह टैम्पोरेरी है तो उसको बरखास्त कर दिया जाय। अगर चौधरी साहब उस स्थिति में होते और वे लोग टैम्पोरेरी होते जिनको चौधरी साहब ने ससपेंड किया था जो लखनऊ कारपोरेशन के आदमी थे, अगर वे बरखास्त हो गये होते तो वे बर गये होते क्योंकि वे निर्दोश थे और बाद में बहाल हो गये और उनको सब पैसा मिल गया। आप जो अधिकार दे रहें हैं उसके लिये सोचते हैं कि वे कौन हैं और वे किस तरह से अमल करेंगे। आज जिस तरह से कास्टिज्म चल रहा है, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा है तो उसका क्या असर होगा? इसलिये इस प्रकार का अधिकार देना ठीक नहीं है। आपका यह सरक्यूलर कहां ले जायेगा? आगे उन्होंने बताया कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता तो यहां जो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वे कारपोरेशन के डिप्टी मेयर थे। सरकार ने समझा कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन का मामला गड़बड़ हो रहा है तो उसको सुपरसीड कर दिया गया। अब उनको इस योग्य समझा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर इंचार्ज हो कर काम करें क्योंकि असली ताकत उनके पास है। सबसे बड़े शेयर होल्डर इस फर्म के वही हैं। फर्म में उसी की सबसे ज्यादा ताकत होती है जिसका सबसे ज्यादा शेयर होता है। अगर माइनारिटी का मैनेजिंग डाइरेक्टर चुन भी जाय तो उनकी बात चल नहीं सकती है। तो जो सबसे बड़े दल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मिनिस्टर इंचार्ज वहीं है। वह मिनिस्टर इंचार्जी करने के लायक हैं लेकिन कारपोरेशन चलाने के लायक नहीं हैं। (श्री चरणसिंह के उठ कर जाने पर) मैं तो मिठास में कह रहा हूं। मुझे भी भूख लगी है। (श्री चरण सिंह बैठ गये।) आपने जो कोशिश की है मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मैं कुछ खतरे बता रहा हूं। आप कोशिश, कीजिये भ्रष्टाचार दूर कीजिये मैं आपके साथ हूं। लेकिन जो परिस्थिति आने वाली है उसका दुरुपयोग हो कर नहीं नाजायज कार्यवाही न होने लगे मैं इस तरफ आपका ध्यान दिलना चाहता हूं। इस तरह की जो चीजें चलेंगी उससे बड़ा नुकसान होगा। मैं यही कह सकता हूं कि चौधरी साहब इन चीजों पर विचार करें। उन्होंने कहा कि मदरास का ऐडमिनिस्ट्रेशन बड़ा अच्छा है। मदरास की ऐडमिनिस्ट्रेशन की एक रिपोर्ट है जो उन्होंने ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तैयार की है। उसका एक पैरा मैं आपकी आज्ञा से सुना दूं—

"One other aspect which is linked closely with the efficiency and morale of the staff is the importance that is given to the anonymous *and malafide* (words in italics added by the member speaking) petitions. Once an enquiry is intiated into the actions of an officer, his morale as well as prestige comes down considerably even though he may at a later date be found not guilty of the charges levelled against him. A few cases of this nature where the bonafides of an officer are questioned without much basis,

[श्री मोहनलाल गौतम]

tend to demoralise the staff and they become more cautious and circumspect in their approach to the various problems. This completely saps them of the dynamism and initiative that is so very essential to-day if the country is to progress faster. While no doubt it is imperative that all action should be taken to root out corruption, sufficient care should be taken to ensure that this process does not lead to demoralisation of the staff..... Only those cases wherein specific instances are given should be taken up for enquiry and even in these cases, the officer concerned should conduct the enquiry himself and that too with a great deal of secrecy so that nobody gets to know about it till he has reached a definite conclusion whether a regular enquiry should be instituted or not. Such a course of action will render it possible to sift the genuine cases from the rest and avoid giving premature and unsavoury publicity to allegations which are either totally false or seek to attribute motives to bonafide mistakes."

इसे, सब लोग समझ ही गये होंगे। इसका मतलब यह है कि सिर्फ किसी के खिलाफ शिकायत आ जाने पर, बिना दोषी ठहराये हुए, अफसरों की इन्क्वायरी शुरू हो जायगी तो इससे मोरेल और प्रेस्टीज गिर जायगी और वह काम नहीं कर सकेंगे। आज की अवस्था में जब हम तेजी से चलना चाहते हैं कि मोरेल सर्विसेज का न गिरे। इस तरह से काम करने से नुकसान होगा। यह मदरास की रिपोर्ट है क्योंकि चौधरी साहब का खयाल था और मैं भी सहमत हूं कि मदरास में सबसे अच्छा शासन उस वक्त था।

उसके बाद चौधरी साहब ने एक दो बातें और कहीं कि फैसले अब तक प्रेशर में हो जाया जाया करते थे। इसकी उन्होंने बहुत सी मिसालें दी थीं। तो मैं प्रेशर के बारे में तो सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज की सरकार ने क्या अपनी यह धाक नहीं जमाई है कि वह प्रेशर में अपना फैसला नहीं बदलती है? उसके विस्तार में कहने का इस वक्त मौका नहीं है। लेकिन चौधरी साहब को ठीक से मालूम है। उनके बारे में और सरकार के बारे में यह चीज साफ है कि वह प्रेशर में आकर अपने फैसले बदला करती है और चौधरी साहब उससे परेशान होंगे यह भी मुझे मालूम है क्योंकि मेरा उनका बहुत दिनों तक साथ रहा है। वह इस रोग का इलाज करना चाहते हैं? यह उसका खुद फैसला करेंगे।

वैसे एक कोप-भवन बनाने की बात चौधरी साहब ने कही है। इस बारे में मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार कोई परमानेन्ट कोप-भवन बनवाये तो उसमें यह लिख दे कि यह मिनिस्टर्स और एम० एल० एज० के लिये नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा न हुआ तो मैं चौधरी साहब को रोकता रहूंगा और वह उसमें चले जाएंगे। ऐसा कई बार हो चुका है, जब मैं चौधरी साहब को किसी काम से रोकता रहा हूं, किन्तु उन्होंने कर डाला है, इसलिये कोप-भवन में यह अवश्य कम से कम लिख दिया जाए जिससे हम लोगों को उसमें जाने का अधिकार न रहे।

उन्होंने विजीलेंस-सेल्स बनाने की बात कही है। यह बात हमें कहां ले जाएगी, वह हमारे सोचने की बात है। क्या यह हिटलर का तरीका तो नहीं हो जाएगा? आप मेम्बरों के बारे में भी कोई सेल बनावें कि उनमें कितना करप्शन है। हर राज्यसभा के एलेक्शन में ऐसे लोगों को चुना गया, जिन्होंने रुपया दिया है और रुपया लेने वाले इधर नहीं हैं, सब उधर हैं। इसलिये आप मेम्बर्स और मिनिस्टर्स के लिये न बनावें और सबके लिये बनावें—हम सबके लिये करें अपने लिये न करें—यही आप करें यही आपको शोभा देता है और आपके फायदे में है।

अब मैं दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होना चाहिये। इस बारे में मेरे सुपुर्द कुछ काम हुआ था, उसी की तहद में मैं अपने सुझाव देना चाहता हूं। डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन के ३ हिस्से हो सकते हैं। एक जूडिशियल वर्क और एक्जीक्यूटिव वह हिस्सा जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, जिनको एक पुलिस स्टेट को करना जरूरी रहा है और जिसकी तरफ जो० एस० चौधरी साहब ने बहुत ध्यान दिलाया। तीसरा है प्लानिंग का काम। जूडिशियल के बारे में जो होता है उसका मैं जिक्र कर चुका हूं। अब मेरी राय है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो दो अन्य हिस्से हैं उनको अलग अलग कर दिया जाए। अब तक इन दोनों का जो कार्य रहा है व कलेक्टर के अधीन रहा है। लेकिन अगर उसके ऊपर प्लानिंग का काम और उसका बोझ ही डाल दिया जाता है तो उसके पास इतना काम हो सकता है कि वह अपना काम भी ठीक से न कर सकें। वह अलावा काम को कतई नहीं कर सकता है। प्लानिंग के अलावा वह अपना काम करता रहे ठीक से तो अच्छा है। प्लानिंग का काम पंचायतराज और लोकल बाडीज के पास होना चाहिये। वही उसका पूरा काम देखें, डी० एम० से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। जिला परिषदों का इस बारे में जो अब तक काम हो रहा है वह सन्तोषजनक नहीं रहा है। अगर मैं कहूं कि यह असेम्बली कंसिस्ट करे सभी जिला परिषदों के अध्यक्षों, म्युनिसिपल बोर्ड जिनकी आबादी १ लाख या उससे अधिक हो उसके अध्यक्षों, तमाम मेम्बर्स आफ पार्लियामेंट से तो माननीय तलवार साहब जो पोलिटिकल साइंस के टीचर हैं वह हंसेंगे और कहेंगे कि क्या बेवकूफी की बात कह रहा है। लेकिन एक्जैक्टली यही जिला परिषदों का कांस्टीस्ट्यूशन है। मेरी अपनी राय है कि इससे असेम्बली और पार्लियामेंट के मेम्बरों को अलग रखा जाय तो अच्छा हो। कुछ चुने चुनाये आदमी इसमें आने चाहिये जिससे जिला बोर्ड खुद टैक्स लगा सकें और टैक्सपेयर्स को समझने का जवाब दें। आपके सामने महाराष्ट्र का दृष्टान्त रखता हूं। वहां २७ जिलों में से बम्बई शहर को छोड़कर २६ जिला परिषदें हैं और उनका बजट जो सालाना है उसका टोटल १ सौ करोड़ है अर्थात् लगभग ४ करोड़ पड़ता है और हमारे यहां ५४ हैं जिनकी कुल आमदनी १५, १६ करोड़ है यानी करीब ३० लाख औसत पड़ता है। हमारे प्रदेश में जिला परिषदों का बजट करीब २० लाख के पड़ता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप दो एक मिनट में खत्म करें।

श्री मोहन लाल गौतम—

मैं समझता हूं कि अगर रिसोर्सेज बनाने और प्लान तैयार कराके इम्प्लीमेंट कराने का काम क्षेत्र समितियों, जिला परिषदों और म्युनिसिपल बोर्ड्स को दिये जायं तो उससे आगे फायदा होगा। कई दफा हम टैक्स लगाने से घबड़ाते हैं, लेकिन अगर जिला परिषद् के पास अधिकार हो और वह गांव गांव में जाकर कहे कि तुम्हारे पास स्कूल खोले जायेंगे इसलिये एजूकेशन टैक्स दो तो उसके लिये लोग तैयार हो जावेंगे क्योंकि उनके घर के पास स्कूल होंगे। इससे जिला परिषदें तरक्की कर सकेंगी।

दूसरी बात यह है कि हमको अपनी राय लोकल बाडीज के सम्बन्ध में बदलनी चाहिये। हमारी रायें बड़ी गलत हैं। इलाहाबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन है। उसमें बड़े बड़े आफिसर्स हैं। जो एक्जीक्यूटिव आफिसर था वह उप नगराधिकारी बना दिया गया है और जो नायब तहसीलदार था उस को उनके ऊपर रख दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सुपरसीडेड म्युनिसिपल कारपोरेशंस में कोई तरक्की हुई है? पहले जो लोग थे उनके समय में हालत अच्छी थी और आज नहीं है। आज उनकी आमदनी का ८० फीसदी चला जाता है नौकरों को तनख्वाह देने में और अभी मेहतरों को १५ और २० रुपये तरक्की कर दी गयी है उससे और बढ़ेगा। तो उनको बदलना चाहिए। अब वक्त की किल्लत है

[श्री मोहन लाल गौतम]

वैसे तो तीन बातें कहनी थीं, लेकिन एक ही बात कहूंगा। वह यह है कि टेक्नीकल आदमियों के ऊपर सिविल सर्विस के आदमियों को रख दिया गया है। उसका कारण यह है कि ये आई० सी० एस० और आई० ए० एस० हमारे चारों तरफ खड़े रहते हैं और इसलिए वह सब अधिकार में लेते जाते हैं। और इसकी वजह से बड़ा रिजेंटमेंट होता है। एक मजाक की बात है कि एक आई० सी० एस० डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है और वह अगर वहां से छोड़ दे और प्रैक्टिस करना चाहे तो फिर कालेज में भरती हो कर उसको ला की डिग्री प्राप्त करनी होगी। एक लाइयर ने जज से कहा कि—

"that only lawyer can be expected to know the law and the judges are not expected to know the law."

एक कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर अदालत से अलग होने के बाद वकालत नहीं कर सकता। इस तरह से टैक्निकल आदमियों के ऊपर नान-टेक्निकल आदमियों ने कब्जा कर रखा है। इस पर आप को सोचना पड़ेगा।

श्री गंगा राम (जिला कानपुर)—

मान्यवर, जो बजट हमारे चौधरी साहब ने पेश किया है, मैं इस बात के लिये आभारी हूं कि उन्होंने हम लोगों को आज्ञा दे दी है कि कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव के बारे में भी कुछ कहा। मैं तो यह समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी को एकदम जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव को सेपरेट कर देना चाहिये था। इस चीज को एक कमेटी में ले जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। या तो सरकार कुछ डिटेल देती कि इस बात के लिये कमेटी का बैठाना लाजिमी है। अगर यह मानना कमेटी के हाथ में होगा तो सेपरेशन जल्दी नहीं हो पायेगा और यह इस प्रदेश के लिये बहुत अच्छा न होगा। आज की परिस्थिति में जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव का सेपरेशन होना बहुत जरूरी है। अपने प्रदेश में अभी तक उनका सेपरेशन नहीं हुआ है, महज जुडिशियल आफिसर का एप्वायेंटमेंट हो जाना—जिसका ट्रांस्फर, जिसका प्रमोशन जिसका कैरेक्टर शीट, जब कलेक्टर और कमिश्नर के हाथ में है और हाईकोर्ट के अन्दर नहीं है तो इसकी कोई अहमियत नहीं है और जैसा कि हमारे ला कमीशन की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, किसी मसरफ का भी नहीं है।

इसी प्रकार से दफा १०७, ११७, १०९ और ११० सी० आर० पी० सी० के बारे में जो हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि सेमी जुडिशियल पावर है, मैं इसको नहीं मानता। वह सेमी जुडिशियल पावर नहीं है बल्कि फुल जुडिशियल पावर है और उनका सेपरेशन होना लाजिमी है। जितने और सेक्शन हैं सी० आर० पी० सी० और आई० पी० सी० के अन्दर हैं उनमें कोई भी क्वेसी जुडीशियल नहीं है। यह हो सकता है जैसा कि माननीय गौतम जी ने कहा—कि दफा १४४ के लिये कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर है। लेकिन १४४ को लगा देना और चीज है और दफा १४४ के अन्दर मुकदमा ट्राई करना डिफरेंट बात है। जिस वक्त कोई मुकदमा १४५ का आयेगा तो वह एक्जीक्यूटिव पावर नहीं होगा, वह जुडिशियरी पावर होगा, वह क्वेसी जुडिशियरी पावर भी नहीं होगा। इसी तरह से दफा १४३ का जहां तक सम्बन्ध है, वह न तो क्वेसी जुडिशियल पावर है और न ता एक्जीक्यूटिव पावर ही है, वह फुल फ्लेज्ड जुडिशियल पावर है। इन दोनों का सेपरेशन होना उतना ही लाजिमी है जितना किसी और सेक्शन का।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने करप्शन के बारे में कुछ सेल्स बनाने का भी जिक्र किया। मैं तो समझता हूं कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन दो चीजों पर मुनहसिर है। एक तो कीमतों का गिर जाना और दूसरे करप्शन का हट जाना। जब तक ये दो चीजें हैं, कोई गवर्नमेंट नहीं चल पायेगी। और तभी यह कहा जा सकता है कि स्टेट का जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक हुआ।

बदकिस्मती से हम लोग कीमतें अब तक नहीं गिरा पाये और करप्शन के बारे में जो स्टेप लिया जा रहा है, उनको आगे देखना है कि कहां तक वह सही होगा। सेल्स का एप्वाएंटमेंट अगर करना है तो कीजिये लेकिन एप्वायंमेंट कर देना ही काफी न होगा, जैसे कि कुछ प्लान का ले आना ही काफी नहीं है, एक्जीक्यूशन आफ प्लान का होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस गवर्नमेन्ट के अन्दर भी यही देखा गया कि प्लान्स बने तो बहुत लेकिन उनका एक्जीक्यूशन ठीक से नहीं हुआ।

विजिलेंस का एप्वायंटमेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहां तक वह कार्यान्वित हुआ, कहां तक उसका एक्जीक्यूशन हुआ, यह देखने की जरूरत होगी। तो इस तरह के सजेशंस हैं, वे मैंने माननीय सदन के सामने रखे हैं।

हमारे कानपुर में टोटल राशनिंग है। सारे उत्तर प्रदेश में एक ही शहर है जहां टोटल राशनिंग है। यह टोटल राशनिंग बिलकुल डिफेक्टिव है लिहाजा वहां करप्शन है। जब टोटल राशनिंग है तो आपको चाहिये कि सब को उनकी जरूरियात के लिए काफी सामान दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। कुदरती तौर पर लोग यह कोशिश करते हैं कि बाहर से सामान ले आयें। यह चीज दूसरे हेड के अन्दर आती है लेकिन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में तो सभी चीज आ सकती हैं। अभी एक दूसरी जगह बातचीत के सिलसिले में मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि अपने प्रदेश में २ हजार कमेटी हैं। उन कमेटीज में कुछ ऐसी कमेटी हैं जैसे कि अलाटमेंट कमेटी है। मुझे उसका ज्यादा तजुर्बा नहीं है लेकिन मैंने उसकी २, ३ मीटिंग अटेन्ड की। मैंने अपने कलेक्टर साहब से कहा कि अलाटमेंट कमेटी हमारी कहां तक मदद करती है। जो रूल्स हैं उनके अनुसार ही अलाटमेंट होनी चाहिये। अगर कोई शख्स किसी एम० एल० ए० के पास जाता है और उनकी सिफारिश ले आता है और उसको मकान अलाट हो जाय तो यह उचित नहीं है। उसका असर पब्लिक पर गलत पड़ता है। वह यह समझते हैं कि सिफारिश की वजह से अलाटमट हुआ। इसलिये इस तरह की चीजें एडमिनिस्ट्रेशन की बदनामी करती हैं। ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लोगों को ऐसी धारणा हो जाती है जिसका परिणाम बहुत गलत होता है।

ऐसे ही हमारी न्याय पंचायतें हैं। जब मैं पंचायतों के फैसले, जो कहीं केस मुन्सिफ के यहां आते हैं या कहीं एस० डी० एम० के यहां आते हैं तो उन्हें देखकर हैरान हो जाता हूं। कभी न्याय पंचायत में ही कोई केस सैटिल हो जाता है। मैं समझता हूं कि यह अधिकार जो न्याय पंचायतों को दिया गया है उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यह अधिकार एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम कर रहा है। मैं निहायत अदब के साथ सदन के माननीय सदस्यों से अर्ज करना चाहता हूं कि यह अधिकार उनको नहीं होना चाहिये। इसी प्रकार से जैसे गौतम जी ने सुपरसीडेड कारपोरेशन के लिया बताया लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह सुपरसीशन किस गवर्नमेंट ने किया ? यह कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने किया। कांग्रेस गवर्नमेंट ने किसी खास कारण से नहीं किया। मैं तो इस चीज में दूर तक नहीं जाऊंगा लेकिन यह सुपरसीशन गलत था। सुपरसीशन कारपोरेशन का चाहे जिन चीजों के कारण से किया गया हो लेकिन वह बहुत काफी छानबीन के बाद होना चाहिये। यह देख लेना चाहिये कि सुपरसीशन के बाद आया एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चल सकता है या नहीं क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन और खराब हो जाता है। इसलिये सुपरसीशन को बहुत ध्यान से करना चाहिये।

माननीय सदस्यों ने भारतीय जनसंघ और आर० एस० एस० के बारे में यहां पर कुछ बातें कहीं थीं। मुझे इसका दुख है कि रिस्पांसिविल मेम्बर आफ दि हाउस जिनके लिये मेरे हृदय में बड़ी इज्जत है, उन्होंने भारतीय जनसंघ के बारे में कुछ ऐसी बातें कहीं कि जो नहीं कहनी चाहिये थीं। उन्होंने कहा कि यह फासिस्ट आर्गनाइजेशन है। मैं निहायत अदब से यह अर्ज करना चाहता हूं कि भारतीय जनसंघ फासिस्ट आर्गनाइजेशन नहीं है। भारतीय

[श्री गंगा राम]

जनसंघ तो लोकतन्त्र की रक्षा करना चाहता है और रूल आफ ला से उसकी रक्षा करना चाहता है। यह हो सकता है कि भारतीय जनसंघ हमारी स्टेट में कुछ अधिक संख्या में पहले की निस्बत में आया और इसकी वजह से कांग्रेस गवर्नमेंट यहां फेल हो गई, कांग्रेस गवर्नमेंट ओवर थ्रो हो गई। मुमकिन है इस वजह से उनको इससे दुख हुआ हो, लेकिन उनको हमसे बुरा नहीं मानना चाहिये। भारतीय जनसंघ की यह परम्परा है कि वह रूल आफ ला पर आधारित है। भारतीय जनसंघ ने अगर किसी किस्म का समझौता कम्युनिस्ट से किया है तो वह एक ऐसी वजह थी जिसके लिये कोई और रास्ता नहीं था। दुर्भाग्य से नेशन पर एक ऐसी मुसीबत आ गई थी जो कांग्रेस गवर्नमेंट लाई थी और जिसकी वजह से हम लोगों के लिये लाजिमी था कि हम दूसरी पार्टी के साथ समझौता करें। हमने कम्युनिस्टों के साथ समझौता किया और दूसरी पार्टियों के साथ समझौता किया और हम लोगों ने यह संयुक्त विधायक दल बनाया। उसकी एक सरकार बनी।

आर० एस० एस० के बारे में भी कुछ ऐसे ही शब्द इस्तेमाल किये गये हैं। इन्डो-पाकिस्तान युद्ध के वक्त आर० एस० एस० के लोगों ने जो काम किया है वह भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा। किस तरह से उन्होंने फौज को मदद की। पठानकोट में जब कोई कुली मौजूद नहीं था तो आर० एस० एस० के बच्चों ने किस तरह फौज का सारा सामान उठवा कर फौज को आगे बढ़ाया, दिल्ली में किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की, किस तरह से माननीय नन्दा जी ने पूज्य गोलवालकर जी को बुला कर कहा कि यहां का मुसलमान समझता है कि वह खतरे में है, इस पर किस प्रकार वहां के मुसलमानों की रक्षा वहां के आर० एस० एस० के बच्चो ने की और उन डिस्पैचेज को गलत साबित किया जो यहां से इंग्लैंड और अमरीका गये थे कि यहां के मुसलमान मारे जायेंगे उनको खतरा है। हुआ यह कि इस लड़ाई में हिन्दू और मुसलमान, दोनों ने कंधे से कंधा मिला कर दुश्मन का मुकाबला किया और उसे पीछे भगाया, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिये। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनसंघ या आर० एस० एस० में ऐसी कोई बात नहीं है जिस से इस तरह की कोई तोहमत उन पर लगायी जा सके।

*श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अधिष्ठात्री महोदया, यह सामान्य प्रशासन का अनुदान अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण अनुदान है क्योंकि सामान्य प्रशासन की क्षमता के ऊपर इस प्रदेश और इस प्रदेश की आठ करोड़ जनता का जीवन और उसकी सुविधायें तथा भलाई निर्भर करती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब यह अनुदान पेश किया तो उन्होंने कहा कि यह बड़े दुःख की बात है कि बरसों से हमारा प्रशासन इस प्रदेश में ही नहीं, देश में भी गिरता जा रहा है। अधिष्ठात्री महोदया, यह बात सही है, लेकिन मैं यह आशा करता था कि चौधरी साहब अपने २०–२५ साल के अनुभव से ऐसी बात निकालेंगे कि जिस खड्ड में यह प्रशासन पड़ा हुआ था, उस से वह कुछ निकल आयेगा। माननीया, उन्होंने कुछ बातें बतायीं और तमाम जो उन का ओरियेन्टेशन आफ एडमिनिस्ट्रेशन था, वह केवल तीन, चार बातों में ही महदूद हो गया। उन्होंने बताया कि हमने ६० केसेज विजिलेंस कमीशन को दे दिये हैं और १ अप्रैल के पहले केवल ३ आदमी सस्पेंड हुये थे, हम ने २५ आदमियों को सस्पेंड कर दिया है। ५ आदमियों का मामला सी० आई० डी० को दे दिया है और अब रिटायरमेंट ऐज ५५ कर दी जायगी और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अधिकार दे दिये हैं कि जो लोग सर्विस आफ कंडक्ट को न मानें उन पर ऐक्शन लिया जाय। मैं इसके बारे में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। ये बातें अपनी जगह पर अच्छी हैं और सही हैं, होनी चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन ६० केस अगर उन्होंने विजिलेंस कमीशन को दिये हैं तो मेरे एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि १९० केसेज अब तक विजिलेंस कमीशन को जा चुके हैं। ५ लाख कर्मचारियों में केवल ६० केसेज अगर विजिलेंस कमीशन को चले जायं तो इससे कोई बड़ी भारी तरमीम या सुधार नहीं हो सकता। मैं आप की आज्ञा से दो, तीन बातें रखना चाहता हूं। जहां तक एज का सवाल है, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि रिटायरमेंट की एज ५५ होनी चाहिये, लेकिन जब संपूर्णानन्द जी के जमाने में एज ५५ के बजाय ५८ की गयी थी तो चौधरी साहब ने तमाम आंकड़े पेश किये थे और तमाम दलीलें दे कर बताया था कि एज ५८ होनी चाहिये। यह ठीक है कि वे सही रास्ते पर आ गये अब, लेकिन जब वे इस तरह की दो बातें करते हैं तो उस की ओर, मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मैं एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छाई के लिये उस को ४, ५ पहलुओं से देखता हूं। प्रशासन के खर्च में कमी हुई या नहीं, नौकरशाही, जिसको कहा जाता था कि हावी हो गयी है, उस में कमी आयी या नहीं, ला ऐन्ड आर्डर की पोजीशन क्या है, कर्मचारियों की जो समस्या थी उस को कहां तक हल किया गया, इकोनामी हुई या नहीं और जो हमारा आर्थिक ढांचा था उसमें कुछ प्रगति आयी या नहीं। इन बातों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा कहना चाहता हूं।

जहां तक प्रशासन का सवाल है, बजट इस बात की गवाही है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में बजट १ करोड़ १६ या २० लाख के करीब बढ़ गया है और टोटल खर्चे, जैसा नेकराम जी ने कहा, ३५ करोड़ से बढ़ कर ३९ करोड़ हो गया है। वह भी काफी बढ़ गया है, तो यह साबित करता है कि खर्चे में कोई कमी नहीं आयी। जहां तक कि नौकरशाही का सवाल है, यह कामनसेंस की बात है कि जब कांग्रेस की सरकार के जमाने म सीजंड लोग कहते थे कि नौकरशाही शासन पर हावी है तो नये मिनिस्टर जब होते हैं, उनका अनुभव कम होता है और विकल जी मानेंगे कि नौकरशाही और ज्यादा शासन पर हावी हो जाती है। बड़ी डींग हांकी गयी कि पब्लिक सर्विस कमीशन में हमने एक हरिजन को मेम्बर बना दिया, मैं उसका स्वागत करता हूं। मगर उसमें तो ५ मेम्बर होते हैं। कायदा यह कहता है कि ४ कम से कम नान-आफिशियल हों और एक आफिशियल हो, लेकिन उसमें एक नान-आफिशियल है और ४ आफिशियल हैं। तो इस तरह से पहले के मुकाबले में नौकरशाही और ज्यादा शासन पर हावी होती जा रही है।

तीसरी बात यह थी कि जहां एम्प्लाईज का संबंध है, जिस समय सरकार बनी थी तो ७ अप्रैल को बड़ी भारी मीटिंग हुई जी० पी० ओ० में और उसमें मंत्रियों ने यह कहा कि शुक्ल तो नशनल हीरो है, लीजेंडरी फिगर है, उसने देश में, प्रोविंस में रिवोल्यूशन कर दिया। ३०-४० साल के सियासतदां उसको देखने के लियें आयेंगे। और जब पावर में आये तो उसको जेलखाने में ठूंस दिया गया। जो हमारी महिलायें हैं जो उनके साथ सलूक किया है, वह तो आप सबको विदित ही है। इन्होंने कहा कि हमने तो तुमको पैरिटी दी है, मैं इसका स्वागत करता हूं। इनको कहना चाहिये था कि हम इतना दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन ये कहते हैं कि पैरिटी दी है। मैं मांग करता हूं कि जो सिंगिल-मैन कमीशन ने इनके डी० ए० के मसले को तय किया था उसी को यह मामला रेफर कर दिया जाय और यह फैसला करें कि पैरिटी हुई या नहीं हुई है—क्योंकि यह गवर्नमेन्ट तो एक पार्टी है। तो ये उस मसले को भी हल नहीं कर पाये।

चौथी बात यह थी कि माननीया, आप जानती हैं कि एक जमाने से हमारी फायल गयी है कि इंडिपेंडेंस आफ दि लेजिस्लेचर, हम इसको असर्ट करें और इसके साथ यह था कि हमारे सेक्रेटेरियट की गवर्नमेन्ट से इंडिपेंडेंस की पुनर्गठन कमेटियां बनें विधान सभा और परिषद् के लिये, और सरकार चुप-चाप बैठी हुई है। उसने इंडिपेंडेंस की तरफ कोई कदम नहीं उठाया।

इकोनामी की बात अगर पूछें तो चौधरी साहब ने एक शब्द भी नहीं कहा।

वन मंत्री (श्री रामचन्द्र विकल)—

क्वैश्चन के जवाब में तो कहा ।

श्री नवलकिशोर—

मैं विकल जी से पूछूंगा कि कमिश्नर के पद में क्यों नहीं कमी आयी जबकि चौधरी साहब की यह राय थी कि यह रिडंडेंट हैं सेक्रेटरीज जो ६–७ किस्म के होते हैं, असिस्टेंट, अन्डर डिप्टी, ज्वाइंट, अडीशनल आदि इन सब पदों का कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ। इन्होंने डिपार्टमेन्ट्स के अन्दर कोई पुनर्गठन नहीं किया। अटकल पच्चू कह दिया कि ३ हजार की छटनी करने जा रहे हैं। कहने को यह भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट इंफार्मेशन आफिसर्स को हटायेंगे, प्रोबेशन आफिसर्स को हटायेंगे, महिला मंगल योजना को बन्द करेंगे और डिस्टिक्ट इंडस्ट्रियल आफिसर्स को बन्द करेंगे, पर किया कुछ नहीं। नतीजा यह हुआ कि सर्विसेज में एक अनसर्टेन्टी, अनसिक्योरिटी पैदा हो गयी, जो ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये बड़ी घातक है। तो कोई पुनर्गठन नहीं हुआ। जितने कम्पेसेटरी अलाउन्सेज सेक्रेटरी के थे वह कायम हैं। चीफ सेक्रेटरी को ५०० ऐडीशनल पे देते हैं उत्तराखंड के लिये। के० के० दास, मेरी सूचना है कि ५०० रुपया लेते नहीं थे। तो मैं चाहूंगा कि आप जो कहते हैं कि हमने इकोनामी की, तो वह क्या की, यह कृपया बतलाया जाय ?

बातें तो बहुत बनाते हैं। यही नहीं, जितने सेक्रेटरीज हैं, आई० ए० एस०, ऐसा कोई नहीं है जिसकी स्पेशल पे या परसनल अलाउन्सेस न हों और न जाने कितने कमिश्नर कम सेक्रेटरीज आज भी हैं पहले की तरह। एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट, पी० ए० सी० की रिपोर्ट मौजूद है। एक सब-कमेटी बनी थी इकोनामी के लिये तो एक शब्द नहीं बताया कि उसका क्या हुआ और कोई इकोनामी की या नहीं की। जैसा मैंने कहा, रिट्रेन्चमेन्ट की बात कहीं गयी, यह कोई एकोनामी नहीं है।

श्रीमन, करप्शन दूर करने की बात कही गयी। ऐसा मालूम होता है कि जैसे उधर सभी लोग दूध के धोये हैं। मान्यवर, मैं विकल जी से कहता हूं कि वे अपने मिनिस्टरों के बारे में सी० आई० डी० से जांच करा कर देख लें, उसकी रिपोर्ट वे अपने ही पास रखें, उन्हें मैं समझता हूं संतोष हो जायेगा। अगर वे ईमानदार साबित हों तो मैं उनके आगे नत-मस्तक हो जाऊंगा। करप्शन दूर करने के लिये यह कहा गया कि हमने कुछ लोगों को सस्पेंड, डिसमिस आदि भी किया। बड़े ही नीट ऐंन्ड क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कही गयी, इस संबंध में मैं दो तीन उदाहरण ही आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। यह सरकार जो कि विश्वासघात के आधार पर बनी है, कभी नीट ऐंन्ड क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकती। मान्यवर, मैं तीन उदाहरण आपके सामने रखूंगा। श्री के० के० सिंह का ही एक उदाहरण है, यहां काफी प्रश्न भी उस संबंध में हुये, ४ वर्ष तक जिनका केस विजिलेन्स कमीशन के सामने विचारार्थ रहा उनको प्रोमो न दिया गया। दूसरा केस गोरखपुर विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार श्री मिश्रा का है, जिन्होंने वी० सी० को रीइन्सटेट करने के लिये प्रार्थना-पत्र भी दिया था जो अस्वीकृत हुआ, उसको इस सरकार ने शतीशचन्द्र कालेज,बलिया का प्रिन्सिपल बना दिया। तीसरा केस वह है जिसके बारे में माननीय शराफत हुसैन रिजवी ने एक पत्र भी मुख्य मंत्री को लिखा जिनको रेलवे में मजिस्ट्रेट बना दिया गया। इन सब चीजों के आधार पर, मान्यवर, यह कहा जाय कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन नीट ऐन्ड क्लीन है, यह जरा विचार करने की बात है।

(इस समय २ बजकर १० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र पीठासीन हुये।)

मान्यवर, आस्टीरिटी की बड़ी बात कही गयी। विकल जी ने कहा था कि हमारे मंत्री ५०० रुपये से ज्यादा वेतन नहीं लेंगे। आज वे हवाई जहाज, एयरकन्डीशन्ड में और मोटरों में सफर करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि वे ऐसा न करें, मगर कम से कम आस्टीरिटी की बात तो न करें।

कीमतें कम करने पर बड़ा जोर दिया गया था, मगर कीमतें कम नहीं हुईं।

एकोनामी के बारे में एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। आपकी रिपोर्ट के अनुसार चार हजार इन्डस्ट्रियल यूनिट्स बन्द होने वाली हैं। इससे अनइम्प्लायमेंट बढ़ेगा। इसके अलावा आपने जो छूट दी है २३ करोड़ की, कुछ हमने भी दी थी, ४ साल में वह जाकर ९२ करोड़ होगी और जो केन्द्र की होगी वह सब मिला कर चौथी प्लान में करीब २३० करोड़ की कटौती होगी जिसके कारण यह पिछड़ी हुई स्टेट और पिछड़ जायेगी।

विकल जी ने मेरा और माननीय कृष्णानन्द राय जी का बड़ा नाम लिया। मैं यह समझता था कि पालिटिक्स में पालिटिकल डिफ्रेन्सेज होने के बावजू भी कुछ ग्रेस होना चाहिये, मगर चीफ मिनिस्टर होने के बाद, चौधरी साहब ने मेरे साथ और माननीय शिवप्रसाद गुप्त के साथ जो व्यवहार किया, वह शैबी विहेवियर था और मैं नहीं समझता था कि चौधरी साहब इतने नीचे स्तर पर भी जा सकते हैं और यह कर सकते हैं। मैं उस १९ प्वाईन्ट की बात नहीं कहना चाहता। वह पूरी हो गई है। बड़े जोर शोर के साथ बात कही जाती है कि कांग्रेस ने यह किया और वह किया। आपने सरकार बनाई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई, यह तो प्रजातन्त्र में हुआ ही करता है। परन्तु मैं चाहता हूं कि हमारे और आपके बीच में एक कोड आव कान्डक्ट बनना चाहिये वरना यह जो तरीका चल रहा है, यह जनतन्त्र का नाश कर देगा और धरातल पर पहुंचा देगा। मैं माननीय विकल जी से भी कहना चाहता हूं कि वे बहुत स्वागत के चक्कर में मत पड़ें। वे स्वागत अब समाप्त हो गये। अब तो जनता आपके एचीवमेन्ट्स को देखना चाहती है। मेरे दोस्त माननीय तलवार साहब को मेरी बात शायद गवारान लगे पर मैं कहना चाहता हूं कि जनसंघ के लोग और आर एस० एस० के लोग कोअर्स कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल और आज की तमाम परिचर्चाओं में मैंने तमाम विरोधीपक्ष के माननीय सदस्यों के भाषण सुनें और मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो ये सब बेचारे इस समय गरीबों की आत्मा लेकर, किसानों के मसीहा बनकर, स्वच्छ प्रशासन के नाम पर, केवल कुर्सियों के प्रति विशेष लालच रखते हुये, तमाम सुधार की योजनायें प्रस्तुत करते हुये, यहां पर उपस्थित हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगा कि मैं तमाम माननीय सदस्यों से यह भी पूछ लूं कि आखिर जिस जनतन्त्र की बात माननीय नवलकिशोर जी ने की और जिन विशेष सुधारों की बात हमारे माननीय सदस्यों ने की, वह सारा का सारा जनतन्त्र आज प्रदेश के कोने कोने में व्याप्त है। प्रदेश का नक्शा अगर आप देखें, चाहे छोटे बच्चों का नक्शा देखें, चाहे किसानों या मजदूरों का नक्शा देखें चारों तरफ आपको जनतन्त्र की दुहाई प्रतीत होगी। इस संबंध में मैं विशेष बात तो नहीं कहना चाहूंगा लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि वे तमाम बड़े बड़े साम्राज्यवादियों के कानून जिनकी कभी पूज्य बापू और नेहरू ने भी भर्त्सना की थी या और दूसरे जो कई कानून रहे हैं आखिर उनको लागू करने का क्या जरिया था, क्या उनमें संशोधन नहीं हो सकता था। आपने देश की सुरक्षा के नाम पर भारत सुरक्षा कानून का उपयोग किया या अपनी स्वार्थपूर्ति के लिये उसका उपयोग किया। हम यह मानकर चलते हैं कि जब कभी निरोधक नजरबन्दी जैसा कानून, चाहे वह पी० एन० सुकुल या मेरे ऊपर लागू किया जाय, ये जितने भी काले कानून हैं उन काले कानूनों को बरकरार रखने की जिम्मेदारी, चाहे वह इस प्रशासन में हो, या आपके प्रशासन में रही हो, उसकी जो परम्परा डाली आपने, उसको आप खत्म कर सकते थे। अब आप जनतन्त्रीय विधियों की शिक्षा देने चले हैं। आपने देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिये कौन सी बात बकाया रक्खी है जिस पर आप जनतन्त्रीय विधियों की बात करते हैं। मैं तमाम प्रगतिशील सदस्यों से बात करना चाहूंगा कि संविद सरकार की आलोचना करने के पहिले एक परिवर्तन का चक्कर जिसकी बड़ी आवश्यकता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"]

देश और प्रदेश को थी और जिसके अन्तर्गत प्रदेश की जनता को कुछ भविष्य दिखाई दे, क्या उसकी आवश्यकता को आप महसूस नहीं करते ? क्या आप यह महसूस नहीं करते कि जो ज्वाला धधकती रही, भड़कती रही वह कम से कम इस परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा समाप्त हुई ? मैं यह नहीं कहता कि स्वच्छ प्रशासन के दृष्टिकोण से जहां पर नौकरशाही का नंगा नर्तन होता हो, जहां पर एक घूरा था जिसका परिवर्तन करने में समय लगे, उस परिवर्तन के दृष्टिकोण से मैं यह नहीं कहता कि कोई परिवर्तन हुआ। अगर जिला कार्यालयों से या दूसरे कार्यालयों से नाजिरों के और स्टेनों के ट्रांसफर हो जायें तो इससे कोई स्वच्छ प्रशासन आ जायगा, यह न मैं कहता और न यह मानता हूं। लेकिन यह जरूर है कि कुछ नया वातावरण पैदा हुआ । जब आलोचना करें तो हमारे सामने वाले भाई महसूस करें कि वे बिरला महोदय की गोद में बैठकर या नौकरशाही के चरण चूमते हुये सरकार के पलटने की बातें न करें। शक्ति परीक्षा की बातें न करें। मैं यह नहीं कहता कि आपने जनतंत्र को आगे नहीं बढ़ाया लेकिन जब आप अधिनायकवादी प्रवृत्ति को लेकर कुर्सी से चिपक गये, अशोक मेहता और गैंदासिंह जी जैसे व्यक्तियों को अपने में मिलाने की कोशिश करने लगे तो जनतंत्र की आपने हत्या की। इससे बड़ी घातक कोई चीज जनतंत्र के लिये हो नहीं सकती कि कुर्सियों के लालच से ऐसी हस्तियों को भी फुसलाया जाय। जब कभी आप संसदीय परम्पराओं की बातें करें, वहां आप यह भी देखें कि पहले कभी भी सरकारी पक्ष से कामरोको प्रस्ताव नहीं आये थे और न विशेषाधिकार के प्रश्न आते थे, लेकिन जबसे गैरकांग्रेसी सरकार बनी है तब से आपने देखा होगा कि यह संसदीय परम्परा टूटी है। इस सरकार के सदस्यों ने कामरोको प्रस्ताव और विशेषाधिकार के प्रश्न रखे हैं।

आपने यह भी देखा कि संविद सरकार के जो कुछ भी फैसले होते रहें, अगर उनको जनता ने चाहा कि उनमें परिवर्तन किया जाय, वह हुआ है। कैबिनेट के फैसले के बाद आपने देखा कि संविद विधायकों के दबाव से वे फैसले बदले, उनमें परिवर्तन हुये। क्या इसे आप प्रगतशील कदम नहीं मानते हैं ? आपका समाजवाद कहां है ? हमारे देश के करोड़पति और अरबपति लोगों के हाथ में आज देखिये कितना पैसा चला गया है, उनकी तिजोरियों में कितना धन भरा पड़ा है। आजादी के पहले गरीब और अमीर का रेशियो १ और ११० का था और आज वह १ और ३३० का हो गया है। बिड़ला जैसे एक अरबपति या करोड़पति की हैसियत आजादी से पहले केवल २५ करोड़ की थी और अब आजादी के बाद आपके राज्य में ३०० करोड़ हो गई है। आप जहां देश में समाजवाद की बात करते हैं, वहां देश में आपने गरीब की गरीबी मिटाने के लिये और अमीर को गरीब के बराबर लाने के लिये आपने क्या किया ? आपके राज्य में गरीब और अमीर का अंतर बढ़ा है और बहुत बढ़ा है। जिला स्तर के रेशियों आप देखें, प्रान्तीय स्तर के रेशियों को आप देखें। उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के रेशियों को देखें। इनमें कितना परिवर्तन है ? हमारे चन्द्रभानु गुप्त जी की सरकार ने बिड़ला सरीखे अरबपति को बिजली देने का २ पैसे फी यूनिट से भी कम पर फैसला और २५ वर्ष के लिये समझौता न किया होता अगर उनके दिमाग में जरा भी समाजवाद की बात होती। यह सब क्या जाहिर करता है ? आप किसानों को ट्यूबवेल के लिये बिजली ज्यादा दर पर देते हैं और अरबपतियों को इतने कम रेट पर देते हैं, क्या यही आपका समाजवाद है ? जब आप संविद सरकार की आलोचना करें तो, परिवर्तन और प्रतिक्रिया को लेकर चलें। हो सकता है कि हमारे अन्दर सबके सब माननीय सदस्य ईमानदार न हों, हो सकता है कि हमारे सबके विचार एक से न हों, लकिन आपको इस सरकार के कार्यों से इसे जज करना चाहिये। मैं नहीं कहता कि सवा छः एकड़ का लगान माफ करने से आधा लगान माफ करने से, या सरकारी कर्मचारियों को १०॥ करोड़ रुपया देने से, या कुछ इधर के कुछ उधर ट्रांसफर कर देने से ही यह सरकार अच्छी है, या आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को खत्म करने से ही अच्छी है। बहुत से परिवर्तन और हो सकते हैं। लेकिन एक दिशा बन रही है राजनीति में अपने भूतपूर्व मंत्रियों से यह जरूर कहूंगा कि जिस समय समाजवाद का दृष्टिकोण लेकर आगे चलें उस समय इन बातों को सामने रखें।

इस सरकार ने घोषणा की कि हम भ्रष्टाचार को मिटा देंगे और भी बहुत सी आशायें इस सरकार ने जनता को दिलाई हैं लेकिन इतने अल्प समय में, इतना मैं जरूर कहूंगा यद्यपि जितना कार्य करना चाहिये था वह नहीं हुआ है, तो भी इतने समय में इससे ज्यादा इन हालात में उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। हम यह नहीं कहते कि आपने २० साल में क्या किया या जो यह सरकार कर रही है, वह सारा का सारा अच्छा या बुरा है। अगर आपके कारनामे से अच्छे होते तो माननीय चन्द्रभानु गुप्त को गुप्त वार्ता के लिये घनश्यामदास बिड़ला के पास न जाना पड़ता। आप जिस समय आलोचना और प्रत्यालोचना करें, नेकराम जी शर्मा जिस समय आलोचना करें, तो उन्हें अपने मन से ये बातें नहीं भुला देना चाहिये कि इस सरकार ने ३ महीने में क्या क्या काम किये हैं। यह आपको मानना चाहिये, जनता मानती है कि यह सरकार प्रगति के पथ पर चल रही है। आप गांवों और शहरों को देखें। उनके कटौती के प्रस्ताव से अधिकांशतः मैं सहमत हूं। लेकिन प्रदेश की जनता में जो यह भावना घर कर गई है कि बिना सोर्स के, बिना पहुंच के, बिना पैसे के काम नहीं हो सकता, ये सब ऐसी बातें हैं जिनसे जनतंत्र को धक्का लगता है और जिनसे भ्रष्टाचार बढ़ा है। लोक सभा में कोई सूचना न दी जाय जिससे हमारे देश का भाग दूसरे के कब्जे में रहे, जनता को धोखे में रखा जाय, बाड़ा होती दे दिया जाय, बेरुबारी दे दिया जाय, हाजीपीर और कारगिल दे दिया जाय, ये सब बातें हमको किधर ले जाती हैं? मालूम नहीं किस किस तरह की कुनबापरस्ती की गई है। जिन व्यवस्थाओं को यह सरकार करना चाहती है वे इतने अल्प समय में हो नहीं पाई हैं। लेकिन कुछ गांवों के लिये किया जैसे मालगुजारी घटाई, कुछ शहरों के लिये किया जैसे भूमि-भवन कर हटाया। अब अध्यापकों और विद्यार्थियों की बारी है।

मैं चाहता हूं कि कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन और कर दें। एम० एल० एज० का फर्स्ट क्लास का टिकट खत्म कर दें चूंकि भ्रष्टाचार यहीं से शुरू होता है। हमारे माननीय सदस्यों के जो अधिकार या प्रिविलेजेज हैं उनमें कुछ कमी कर दें।

कमिश्नरशाही, कलेक्टरशाही को आप खत्म कीजिये। प्रशासन में कुछ मौलिक सुधार होने चाहियें जिनसे जनता को राहत मिले। गांवों और जिलों में स्व-शासन की व्यवस्था कर दें, तो बहुत अच्छा हो। जिले की पुलिस पर जिले की चुनी हुई पंचायत का अंकुश रहे, एम० एल० ए० भी उसमें शरीक हो सकते हों, यह ज्यादा अच्छा है। नहीं तो मैं समझता हूं कि एम० एल० ए० के हाथ में सिवाय कुछ सिफारिशों के और कुछ नहीं है। हमारे सामने बैठने वाले साथी जो उनके पास अस्त्र रह गया है उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वे प्रदेश की जनता की इच्छाओं को समझते हुये इस व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन के लिये अपने सुझाव रखें।

हमारे प्रदेश पर बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ गया है। इस सरकार ने ए० डी० ओज० आदि की पोस्ट्स को खत्म किया, ठीक हुआ, लेकिन इन सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, अन्डर सेक्रेटरीज के खर्चे में भी १० प्रतिशत की कमी होनी चाहिये। अगर आप समझते हैं कि इनका रखना आवश्यक है तो आप आई० ए० एस० के स्थान पर पी० सी० एस० से काम चला लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

*कुंवर सत्यवीर (जिला बिजनौर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इतने वक्ताओं के बीच में मुझे बोलने का मौका दे ही दिया। मान्यवर, जब संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी और चौधरी साहब ने उसका नेतृत्व किया तो मुझे बड़ी बड़ी आशायें थीं कि सामान्य प्रशासन में बड़ी-बड़ी तब्दीलियां आयेंगी। किन्तु श्रीमन्, मुझे पुराना शेर याद आ गया—बड़ा शोर सुनते थे पहलू में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर सत्यवीर]

बिलका, जो चीरा तो एक कतरये खून निकला। मुझे उम्मीद थी कि वाकई में कुछ विशेष परिवर्तन होगा, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। आपने अपने कल भाषण में बताया कि जूडीशियरी और सिविल सर्विस को आप सेपरेट करने जा रहे हैं। आपने यह भी बताया कि विभिन्न विभागों में आप सेल्स कायम कर रहे हैं, विजिलन्स कमीशन का भी जिक्र किया, यू० पी० एस० सी० का भी आपने जिक्र किया। लेकिन इन सब में कोई ठोस बात नहीं हुई। जिस प्रकार से पहले शासन के जमाने में चीजों को कमेटियों और कमीशनों को सुपुर्द कर दिया जाता था, वही आपने भी किया। आपने यह नहीं बताया कि जूडीशियरी अब कब सेपरेट करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से विजिलेन्स कमीशन में भी तमाम आफिसर लोग ही भरे हुये हैं।

श्रीमन्, अच्छा प्रशासन वह है जिसमें करप्शन न हो तथा जो गल्ले की बढ़ती हुई कीमतें हैं व रुक जायं। मैं पूछता हूं क्या करप्शन मिट गया? आज आपके पुलिस विभाग की क्या हालत है? पिछले तीन महीनों में आपने कालागढ़ में पुलिस के द्वारा ज्यादतियां करायीं, गरीब मजदूरों को घरों में से पकड़ कर मारा गया, मुकदमें चलाये गये और उनको जेल भेज दिया गया। क्या उनके साथ अन्याय नहीं हुआ? क्या इस जमाने में करप्शन नहीं बढ़ा? क्या पुलिस का आतंक नहीं बढ़ा। आज भी ९९ प्रतिशत केसेज में पुलिस की रिपोर्ट और तपतीश बोगस होती है। इन तीनों महीनों में पुलिस का आतंक बढ़ा है, अगर मैं यह कहूं तो कोई अनुचित बात न होगी।

यह भी बताया गया कि सवा छै एकड़ तक की अलाभकर जोतों का लगान आधा माफ कर दिया गया है। लेकिन इससे लोगों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। यह सुन कर आपको हंसी आ सकती है, लेकिन सन् ३७ और सन् ६७ के भावों में आज बड़ा भारी अन्तर हो गया है और लगान वही है, इससे उन पर कोई खास असर नहीं पड़ता। एक तरफ तो आपने ४ करोड़ रुपया किसानों पर छोड़ दिया है तो क्या किसानो से लेवी लगाकर ८ करोड़ का गल्ला उनसे नही ले लिया गया? क्या किसानों ने वह स्वेच्छा से दिया? किसान अपना गल्ला इस तरह से कभी स्वेच्छा से नहीं देता, वह जबरदस्ती लिया गया है, पुलिस और प्रशासन के जोर से लिया गया है। अगर मैं आज कहूं कि प्रशासन ज्यादा सख्त हो गया है। उसमें कड़ापन आ गया है, आज करप्शन भी उसी तरह से जारी है जैसा पहले था तो अतिशयोक्ति न होगी। गल्ला जिस तरह से लिया गया है वह मैं आप के द्वारा बता दूं कि जिस तरह से बीज चलनी में छनवा कर लिया जाता है उसी तरह से लिया गया और बाद में उस में धूल और रेत मिलाया गया है। क्या यह करप्शन का प्रतीक नहीं है? क्या यह सच्चाई और ईमानदारी है? आप को सुनकर ताज्जुब होगा कि फसल के बोने का समय निकल गया और हाईब्रिड बीज लोगो को वक्त से नहीं दिया गया। मैंने स्वयं अपने लिये ३ क्विन्टल हाईब्रिड बीज मांगा, लेकिन वह नहीं मिला, अब दो दिन हुये कल मिला है, बारिश का काफी समय निकल चुका है और समझ में नहीं आता कि वह अब कब बोया जायगा। क्या इसी तरह से खाद्य और उत्पादन की समस्या हल हो सकेगी? आज अराजकता फैली हुई है।

यही हालत कोआपरेटिव बैंक्स की है। आज कल किसान को उन्नतिशील खेती के लिये पैसे की आवयकता होती है, लेकिन उस को समय से पैसा इन बैंकों से आसानी से नहीं मिलता, बगैर कर्ज के उनकी गुजर नहीं होती, लेकिन अफसोस है कि यह कोआपरेटिव बैंक्स और यह लैंड डेवलपमेंट बैंक एक भ्रष्टाचार के अड्डे बन गये हैं। हमारे ही यहां हमारे जिले में २ जनसंघ के नेता जो चुनाव में बुरी तरह से पराजित हुये थे, वह डी० सी० डी० एफ० के सेक्रेटरी बनाये गये हैं और एक साहब डी० सी० डी० एफ० के स्टेट फेडरेशन में मनोनीत किये गये हैं और मजा यह है कि उनके ही रिस्तेदार उसी प्राविन्शियल फेडरेशन में सर्विस में है और एलेक्शन के वक्त उन्होंने सुपरवाइजरों से रुपया इकटठा करवा के बड़े जोर से एलेक्शन लड़ाया था। इस तरह से कोआपरेटिव बैंक में भ्रष्टाचार बढ़ेगा या नहीं? इस तरह से मुसीबत पैदा की जा रही है और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

इसी तरह से राशनिंग की व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, गल्ले का ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है। आहार जो मनुष्य के लिये जरूरी है, उस तक में हर तरह के घपले हो रहे हैं और

लोगों को अनाज नहीं मिलता। विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कुछ नहीं हो रहा है।

जहां तक छटनी का संबंध है मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिये यह जरूरी है कि गलत आदमियों को अलग किया जाय, इससे हमें इनकार नहीं है। लेकिन जिस तरह से उस पक्ष के लोग कर रहे हैं वह आपके सामने है, आप जानते हैं कि कर्मचारियों के नेता सुकुल जी को पहले किस तरह से हीरो बनाया गया और बाद में उन्हीं के द्वारा उनको जेल में डाला गया है। जिस तरह से अभी यहां राकेश जी ने आलोचना की उससे काम नहीं चलेगा, अब तो ठोस काम करने से काम चल सकता है। लेकिन कौन से ठोस कदम भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये, एडमिनिस्ट्रेशन को क्लीन करने के लिये उठाये गये हैं? क्या आज आप की पुलिस में, आपके प्लानिंग में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? मुझे एक-एक कुएं के लिये चार चार हजार रुपए के लेन देन की बात का पता चला है। इस तरह से कौन किसान सिंचाई का प्रबन्ध कर सकेगा। स्टेट नलकूपों के लिये कोई आदेश नहीं दिया गया है, तीन मास गुजर गये कब नलकूप बनेंगे, कब देश सम्पन्न होगा, कब यहां सिंचाई के साधन सुलभ होंगे? इस संयुक्त विधायक दल की सरकार ने जिन किसानों की मदद करना चाहिये थी नहीं की। एक कहावत है कि 'गवर्नमेंट गो आउट इन दी सेम वे दे गेट इन" मतलब यह है कि सरकारें जिस रास्ते से आती हैं वे उसी रास्ते से चली जाती हैं। कोई ठोस काम यह इन तीन मास में नहीं कर सके हैं। इन्होंने भूमि भवन-कर माफ किया वह बड़े आदमियों का, लेकिन हम किसानों का कोई कर माफ नहीं हुआ। हमारे लिए कोई माफी नहीं है। जो लगान माफ किया गया है दुगुना और तिगुना रुपया हम से सस्ता गल्ला लेकर वसूल कर लिया गया है। मैं यह भी समझता हूं कि यह कार्यक्रम इस सरकार का चलता ही रहेगा।

इन सब सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस कटौती के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री राम नरेश पांडेय (जिला देवरिया)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण सामान्य प्रशासन के अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। आज सदन के सम्मुख एक विचारणीय प्रश्न है। अभी हमने यहां पर माननीय गौतम जी के विचारों को सुना और अपने विचार व्यक्त करते हुए हमारे चौधरी साहब की तारीफ करते हुये कि हम मानते हैं कि जुडिशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग करने का कोई नया काम नहीं है, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी पुरानी सरकार ने उस दिशा में जो कदम उठाये थे वे स्वस्थ लोकतंत्र की परम्पराओं को पनपाने के लिए काफी नहीं थे। उसको तेजी से आगे बढ़ाने के आवश्यकता थी और हमारी सरकार ने इस ओर सक्रिय कदम उठाये हैं जिससे हमारी लोकतंत्र परम्परा मजबूर होगी। इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि आज की इस परिस्थिति में जब तक प्रशासन न्याय विभाग से अलग नहीं होगा तब तक सुचारुरूप से काम चलनेवाला नहीं है। अभी यहां पर मद्रास के सम्बन्ध में एक मिसाल दी गयी कि वहां पर अलग होने के बावजूद भी जिलाधीशों को ऐसे अधिकार हैं कि वह दोनों काम कर सकते हैं। हमारी सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए कि इन विभागों के अलग होने पर भी कुछ इस तरह के अधिकार, जो हमारे जिलाधीश हैं, उनको मिलें।

श्रीमन्, जहां तक लोक सेवा आयोग में एक हरिजन सदस्य के मनोनीत किए जाने का प्रश्न है हमें खुशी हुयी है कि हमारी इस सरकार ने एक हरिजन को पब्लिक सर्विस कमीशन में रख दिया है। यह मांग सारे प्रदेश की पिछड़ी हुयी जातियों और हरिजनों की बहुत दिनों से थी, जिसे इस सरकार ने पूरा कर दिया है। लोकतंत्र की आधारशिला गवर्नमेंटरें सर्वेन्ट्स होते हैं और उनकी निष्पक्ष भर्ती हो, यह बहुत आवश्यक है। इसका भार आपके लोक सेवा आयोग के कंधों पर होता है। मैं समझता हूं कि वहां पर एक ऐसे व्यक्ति का रखा जाना अत्यन्त उपयुक्त है। और इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है।

[श्री रामनरेश पांडेय]

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि जो आपने कमश्निर के पद बना रखे हैं, उनको एबोलिश्न होना चाहिये। जो पोम्प और शो दिखाने के लिए आपने उन पदों को रख रखा है वह कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं हो सकता है। जब आपक जिलाधीश जिले का प्रशासन संभालत हैं तो इन पदों का रख कर सरकार का जो आर्थिक नुकसान पहुंचता है, वह व्यर्थ है।

जहां तक भ्रष्टाचार के खत्म होने का सम्बन्ध है, मैं तो कहता हूं कि जितना भ्रष्टचार आपके रजिस्ट्रेशन विभाग में है, उतना शायद ही किसी और विभाग म हो। यह बहुत ही जरूरी है कि एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बने और जो रिश्वत इस विभाग में फैली हुयी है, वह समाप्त हो। कोई भी व्यक्ति हो जो मकान या जमीन लेता है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसलिए अगर इस विभाग में रिश्वत का खात्मा नहीं होता है तो उसका एक बहुत बुरा असर पड़ता ह। इसलिए इस सरकार को अविलंब कार्यवाही करनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार समाप्त हो।

जहां तक क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन का सम्बन्ध है हमारे माननीय नेकराम शर्मा जी ने कहा उसमें ऐफीशियेंसी नहीं है, दक्षता नहीं है। एक बात स्पष्ट है कि सरकारी नौकरी की एक-प्रेस्टीज और उनका वह डिगनिटी नहीं देंगे, सेंस आफ सिक्यूरिटी नहीं देंगे तो उनका को आर-डिनेशन सरकार कामों में नहीं पा सकेंगे। सरकार और कर्मचारियों के बीच आज जो एक माहौल है उस से वह संतुष्ट नहीं हैं। जैसे गैर सरकारी नौकर होत हैं, जस बिड़ला के हैं; यहां किसी पूंजीपति के कारखानों में हैं उनमें निश्चितता नहीं रहती। पता नहीं आज हैं कल निकाल दिये जायं, ऐसा ही एक दूषित वातावरण आज सरकारी कर्मचारियों में पैदा हो गया है कि आज हैं कल निकाल दिये जायेंगे, इसकी साइकालोजी इतनी इनकान्सिस्टेंट है कि वह आपके रचनात्मक कार्यों की तरफ उन्मुख नहीं है।

आज सरकार रिट्रेन्चमेंट का नाम लेती है, लेकिन जो बड़े-बड़े महकमे तथा पोम्प ऐंड शो के पद हैं उन को समाप्त करने की तरफ विचार नहीं करती। अगर आप छोटे कर्मचारियों को निकाल कर कुछ लाख रुपये बचा लेंगे उससे कुछ नहीं होगा। आपको चाहिये जो बड़े-बड़े पद हैं व्यर्थ के उन को समाप्त करें। प्लानिंग के अन्दर आप ने बड़ी धनराशि खर्च की है। महिला मंगल योजना में जो पैसा खर्च किया गया क्या वह बेकार जायगा? हम चाहते हैं कि सरकार उस योजना को चलाये और ऐसी ऐडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी का डेवलप करे ताकि उन में जो अस्थिरता आ गयी है वह दूर हो और शान्त चित हो कर सरकार के कामों में पूर्ण सहयोग दें। जो कर्मचारी छटनी के शिकार हो गये हैं उन पर सहानुभूति पूर्वक आपको विचार करना चाहिये।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान कुशीनगर की तरफ खींचना चाहता हूं जहां का म प्रतिनिधि हूं। एल० आर० पी० क अन्तर्गत एक बहुत बड़ी सड़क बन रही है और उस सड़क पर १ मील का खर्चा सवा लाख रुपये करीब है। आज २० ओवरसीयर कसिया डिवीजन से निकाल दिये गये, १० असिस्टेंट इंजीनियर्स का नोटिस दे दिया गया है और हजारों मजदूर नौकरी से पृथक किये जा रहे हैं यह कह कर कि अब मिट्टी का काम नहीं होगा। यह सत्य है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एड बन्द कर दी है। लेकिन प्रान्तीय सरकार का ध्यान उन लोगों की दशा की तरफ जाना चाहिये। अगर नीचे की सड़क को मजबूत करने का प्रयास नहीं किया गया तो वह सड़क बरबाद हो जायगी। इसलिये मजदूरों की वहां आवश्यकता रहेगी। और उसको बनाये रखने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये। जिससे वे मजदूर बेकार न होने पाये। और साथ ही इतना रुपया खर्च करके सड़क बनायी जा रही है वह भी मजबूत बनी रह सके। जब तक आप सरकारी कर्मचारियों की डिगनीटी को सुरक्षित नहीं करेंगे तब तक वे मन लगा कर काम नहीं करेंगे। हजारों ट्रांसफर्स आप करते हैं जिन का कोई औचित्य नहीं है। देवरिया के व्यक्ति ६ महीने के बाद मेरठ ट्रांसफर कर दिया गया। प्रदेश में इस तरह का माहौल पैदा करना ठीक नहीं है ठीक है आप के डर के मारे काम होगा, लेकिन उस में ऐफीशियेंसी नहीं आ सकती है। अगर आप मुत्मना तरीके से उन का कोआपरेशन लेना चाहेंगे तो आप सफल नहीं

हो सकते। कांग्रेस की विफलता का यही कारण था। कांग्रेस की असफलता का कारण यही था कि होल हार्टेड काआपरेशन पब्लिक का उसको नहीं मिल सका। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री से कहूंगा कि लोगों के अन्दर मनोबल पैदा करना चाहिये। और जब तक आप सरकारी नौकर के साथ पूर्ण सहानुभूति का व्यवहार नहीं करेंगे तक आप वह चीज उनसे नहीं पा सकते, जिसकी आप उनसे अपेक्षा करते हैं।

आपने कहा था जो नाजिर लोग हैं उन का ट्रांसफर हो जायगा। आपने कहा था कि ऐसे बहुत से पद हैं जहां पर मुद्दत से लोग टिके हुए हैं, उनको हटा देंगे। ठीक है ऐडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से जो पद अनावश्यक हैं उन को समाप्त कीजिये, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो रेन आफ टैरर हो गया है। यह समाप्त होना चाहिये। अगर किसी का ट्रांसफर ऐसी जगह पर हो गया जिसके कारण उसके सामने दिक्कत है वाकई और वह अपने ट्रांसफर के सिलसिले में आपके पास आता है तो कह दिया जाता है कि आपको नौकरी खत्म हो जायगी। अब आप बतायें कि आखिर वह किसके पास जाय ? इसलिये आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह भय और आतंक के वातावरण का अन्त होना चाहिये और सरकार को सरकारी कर्मचारियों के साथ पूर्ण डिगनिटी के साथ व्यवहार करना चाहिये तथा उनको अपने साथ लेन चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं चौधरी साहब के इस प्रगतिशील बजट की तारीफ करता हूं और सामान्य प्रशासन जो कटौती के प्रस्ताव का पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि उसे वापस लिया जाय और वेलफेयर स्टेट के प्रशासन को चलाने हेतु इस अनुदान को स्वीकृत करने कृपा की जाय।

श्री राम स्वरूप (जिला मैनपुरी)—

श्रीमन्, मैं नेकराम शर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मुख्य मंत्री जी का जन्म किसान परिवार में हुआ है। उनका युवावस्था से पहले और बाद में सम्बन्ध किसानों से रहा है और यह मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि वे किसानों के निकट हैं लेकिन २० वर्ष के मंत्रिपरिषद के काल में वे किसानों से कुछ दूर हो गये हैं। आज मैं साहस से यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसान कभी नहीं चाहता था कि उसकी भूमि को लगान माफ हो। वह स्वच्छ प्रशासन चाहता था और वह अच्छी खाद चाहता था और जिन अधिकारियों से उसका सम्बन्ध रहता है वह उससे स्नेह से बातचीत करें। यह भी संभव हो सकता है कि लगान माफी का असर उन पर यह पड़े कि कहीं माननीय झारखंडे राय जी कलेक्टिव फार्मिंग उन पर न थोप दें।

प्रशासन के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि पिछले ३ महीने में उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जिस तरह से दौरे किये हैं उनसे प्रदेश और किसान का हित नहीं होगा। मुझे इसमें आपत्ति नहीं है कि उन्होंने दौरे किये। दौरे करने के लिये और मोटर बैठने के लिये ही होती है और सड़क भी उन मोटरों के चलने के लिये बनी है। मंत्रिगण जाते हैं, उन्हें अपना अनुभव होता है और नगर के लोगों को उन्हें देखने का मौका मिलता है, विचार विनिमय करने का मौका मिलता है। लेकिन पिछले तीन महीने में जिस तरह से मंत्रिमंडल के सदस्यों ने राजनीतिक व्यक्तियों की शक्ल को रखा है वह शक्ल किसी तरह से लोकतांत्रिक पद्धति के लिये हितकर नहीं हो सकती। आज जहां देखिये भूतपूर्व मंत्रियों की आलोचना होती है और आलोचना की सीमा को भी पार कर देते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि जितनी आलोचन की जायगी उतनी ही लोगों के दिल लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा हट जायगी। यह इतिहास बतलाता है कि हर जनतंत्र के बाद टिरेनी और एनार्की आई है। होता यह है कि जो व्यक्ति चुन कर आते हैं उनकी शक्ल गन्दी से गन्दी करके दिखाई जाती है। व्यक्तियों की शक्ल को गन्दा कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति चुन कर आये हैं वे इतने भ्रष्ट हैं, कि उनके जरिये से राजकाज नहीं चल सकता। इसमें सभी को दिलचस्पी होती है। राज कर्मचारी को भी दिलचस्पी होती है और उनको भी होती है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। अगर यही क्रम रहा और राजनीतिक जीवन पर

[श्री राम स्वरूप]

हमले होते रहे तो यह स्थिति पैदा हो जायगी कि उससे लोगों की अश्रद्धा पैदा हो जायगी और फिर डिक्टेटर तथा एनार्की को कोई नहीं रोक सकेगा।

विचारक आज भी मौजूद है और १९४७ में भी मौजूद थे जबकि कुछ लोगों की अपनी यह राय थी कि आजादी के साथ-साथ हमें जितनी सर्विसेज हैं उनको खत्म कर के नयी सर्विसेज को ले कर राज्य को चलाना चाहिये। वह नहीं हुआ। अच्छा हुआ या बुरा हुआ यह तो बीस वर्ष का आपका तजुरबा आपको बता रहा है। आज शासन में हम इस दृष्टि से कह सकेंगे कि हमने यह अच्छा किया है सबको नहीं हटाया लेकिन इस प्रदेश के जो कई वर्षों तक मुख्य मंत्री रहे उनका विचार यह था कि अगर १९४७ में नयी टीम ले कर राज्य को चलाने की कोशिश की जाती तो सफल होते। चाहे कुछ त्रुटियां होतीं लेकिन वह अच्छा होता। लेकिन मौलिक चीज यह है कि जिसने अंग्रेजी राज्य में अपना हुक्म देखा है, जिसने डिक्टेशन माननीय झारखंडेराय या माननीय जयराम वर्मा जी से नहीं लिया बल्कि जिसने डिक्टेशन उस अंग्रेज से लिया है जिसको वह अफसर समझता था और उसके बाद सिर्फ अपने को ही अफसर समझता था वह प्रजातंत्र को ठीक ढंग से चलने नहीं देता है। इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है कि बावजूद इसके कि इस प्रदेश में १९४७ से यह चाहा गया कि हिन्दी हम यहां पर ले आयें लेकिन मंत्रिपरिषद् के सदस्य सबें करा लें, जितनी हिन्दी १९५१ में थी उतनी १९६१ में नहीं रही। इसका कारण यह था कि दिल्ली में बैठा हुआ आई० सी० एस० अफसर नहीं चाहता था कि हिन्दी हो। इस तरह की बहुत सी बातें हैं, लेकिन चूंकि मुझे प्रशासन तक अपने को सीमित रखना है इसलिये मैंने यह बतलाया।

आज हम लोग इस बात में फंसे हैं कि कौन नीति निर्धारित करता है। कल एक माननीय सदस्य सरकारी पक्ष से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज उल्टा हो रहा है। नीति सरकारी अफसर बना रहे हैं और हम उसे कार्यान्वित भी नहीं कर रहे हैं बल्कि उसके प्रचार के लिये हम हैं, यह स्थिति पैदा हो गयी है। तो जब मैंने शुरूआत की थी तो कहा था कि इन चार महीनों के भीतर मंत्रिपरिषद् के सदस्यों ने जिस तरह से काम किया है वह हितकर नहीं हो सकता। मैं एक उदाहरण बता दूं। मंत्रिपरिषद् के एक सदस्य, जिनका वास्ता भी उस विभाग से नहीं था, एक थाने में पहुंचे और लिख कर अपने दस्तखत किये और यह कहा कि अपने एस० पी० से कह देना कि मैंने चिड़िया बना दी है। सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था मुख्य मंत्री जी के जूनियर मेम्बर के नाते, लेकिन उस वक्त के मुख्य मंत्री की यह हिदायत हुआ करती थी कि राज्य से संबंधित व्यक्तियों का यह काम नहीं है। अगर वह बेईमानी देखते हैं तो उसकी कार्यवाही दूसरे तरीके से होनी चाहिये। लेकिन मंत्रि परिषद् के किसी सदस्य का यह कहना कि मैंने चिड़िया बना दी है, यह अपने एस० पी० से कह देना, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह मैं सदस्यों के ऊपर छोड़ता हूं। अगर लोकतंत्र को कायम रखना है तो इसका भी खयाल रखिये कि लोकतंत्र को ही न कोई हड़प जाय क्योंकि अब स्थिति आ गयी है चाहे वह प्रदेश से शुरू हो या और कहीं से शुरू हो।

दूसरी बात यह है कि सरकारी अफसरों को आपने कहीं-कहीं प्रश्रय दिया है। मैं जानता हूं कि प्रशासन में त्रुटियां हैं, काम अच्छा नहीं चल रहा है। इसका कारण यह है कि सरकारी अफसर नहीं चाहते हैं कि काम ठीक से चले और वह इसलिये नहीं चाहते हैं क्योंकि जिस तरह से वह चाहते हैं उस तरीके से काम नहीं होता है। लेकिन यह बात अच्छी नहीं है कि जिन अफसरों ने गलतियां की हैं उनको प्रश्रय दीजिये। भ्रष्टाचार मिटाने के लिये आपने उपाय किये हैं मैं इसका स्वागत करता हूं। आज जिस किसी की गलती हो उसके खिलाफ कार्यवाही कीजिये लेकिन ढिंढोरा मत पीटिये।

(लाल बत्ती होने पर)

मुझे दस मिनट और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

१० मिनट तो सम्भव नहीं होगा। आप बोलिये, ५ मिनट दे दूंगा।

श्री रामस्वरूप––

उसका तबादला हो गया, उसको मैंने छुट्टी दे दी, यह मंत्रिपरिषद् के सदस्य के मुंह से नहीं निकलना चाहिये। उसकी एक सेंकटिटी होती है जो इस तरह से खत्म हो जाती है। आप उसके खिलाफ कार्यवाही कीजिये, कोई आपत्ति नहीं करता है। लेकिन यह मत कहिये कि अमुक अफसर को हमने यहां से हटा दिया है क्योंकि वह खराब था। बहुत से मामले गलत साबित होंगे तो आपके ऊपर डिफेमेशन का दावा किया जा सकता है। आज चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो या सरकारी व्यक्ति हो, वह आपके कांफिक्ट में आना नहीं चाहता है। लेकिन चौधरी साहब ने कहा था "आनेस्टी फ्राम एबव"। इसके उसूल से मैं इंकार नहीं करता हूं। लेकिन मैं उससे सहमत नहीं हूं और आनेस्टी ऐज ए होल होनी चाहिये। आजमगढ़ जिले के एक काश्तकार का संबंध माननीय जयराम वर्मा से नहीं है कि उसने रुपया लिया या नहीं बल्कि उसका संबंध एक लेखपाल, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबिल, और बी० एल० डब्लू से है। इतनी बड़ी आबादी में यदि मंत्री जी का संबंध १०० आदमियों से हो जाता है तो उसका जन साधारण के ऊपर कोई असर नहीं होता है। अगर काश्तकार महसूस करने लगा कि पानी का रेट ठीक लगा है तो आप सुधार की आशा कर सकते हैं। आनेस्टी सब में होनी चाहिये और नीचे के आदमियों को छूट दे दें तो सुधार संभव नहीं हो सकता है। क्या आज तक प्रशासन में कुछ कर सके? मैं कहूंगा कि कोई सुधार नहीं हुआ। जैसी हालत पहले थी वैसे ही आज है।

माननीय उदितनारायण जी कल किसी मामले में बिगड़ गये थे। यह उनको शोभा नहीं देता है। जब हम आपके पास शिकायत लेकर जाते हैं तो आपको नाराजगी हो जाती है। इसकी क्या बात है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि ४ महीने पहले वे वकालत करते थे तो किस कायदे से मिसलों की तमाम नकलें उनके पास आ जाती थीं। कोई कायदा नहीं है कि कचहरी में मुआयना करके पूरी फाइल की नकल ले लीजिये। जो गड़बड़ी होती है उसके वे भी हिस्सेदार हैं, मैं भी हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नाराजगी नहीं होनी चाहिये। हम शिकायत लेकर आते है तो कुछ आशा लेकर आते है। अगर एस० पी० के पास कोई शिकायत लेकर आ जाय, वह बिगड़ जाय तो काम नहीं चल सकता है। अगर सरकारी अफसर से बात की जाय तो वह भी "आनेस्टी फ्राम एबव" की बात करता है। अगर आप सुधार लाने की सोंचते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव के सैपरेशन की बात कही। लेकिन मुझे निराशा हुई, जब मैंने देखा कि बोर्ड आफ रेवेन्यू और कमिश्नर्स की पोस्टस खत्म नहीं किया गया है। मेरी एक सीनियर मेम्बर से बात हुई थी और मैंने कहा था कि आप सीनियर आई० सी० ए० का सरकार में उपयोग क्यों न करें। उन्होंने कहा था कि आप हमका इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं। आपने हमका आराम करने भेज दिया है। बोर्ड आफ रेवेन्यू में कोई काम नहीं रह गया है। उसका कारण यह है कि आज बहुत से विभाग खोले गये है। यह जब बना था तब उस समय अंग्रेजों के जमाने में केवल तीन विभाग थे। इसलिये वे इसका बहुत महत्व देते थे और सीनियर आफसर को रखते थे। लेकिन आज इसको बालिश एक्सरसाइज के लिये और कमिश्नर्स कोर्ट को खत्म करने के लिये कुछ नहीं किया गया है। उपसेन जी नहीं हैं, वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को खत्म करने की बात कहा करते थे। अब उन्होंने बात करना खत्म दिया है। अगर वास्तविक रूप से लोकतन्त्र लाना है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद अनावश्यक है। सेपरेशन आफ जुडीशियरी ऐंड एग्जिक्यिटिव के सम्बन्ध में मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। बम्बई में यह एक्सपेरीमेंट हुआ। वह असफल रहा है। कुछ दिन पूर्व उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व न्यायाधीश ने कहा था कि मेजिस्ट्रेटस के क्लास में समेश में मुंसिफ और जजों को नहीं जाना चाहिए। उसमें एक भावना निहित है। मैजिस्ट्रेट्स जिस तरह से न्याय व्यवस्था का संचालन करते हैं उससे मुंसिफ और जजों का मेल नहीं खाता है। माननीय मुख्य

श्री रामस्वरूप—

मंत्री ने कल अनाऊंसमेंट किया है कि वह एक सेल हाईकोर्ट में चलाना चाहते हैं। उसका स्वागत हर व्यक्ति करेगा। लेकिन एक जूनियर आदमी होते हुए मैं यह कहने की धृष्टता करूंगा कि हाई कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि इसने जूडिशियरी और एक्जिक्यूटिव में खींचतान होगी। वह कभी इसको पसन्द नहीं करेंगे कि वह अपने अफसरों की जांच किसी दूसरे से करवायें। अगर कोई शिकायत करता है तो वह कंटेम्प्ट आफ कोर्ट हो जाता है।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

मदरास हाईकोर्ट में सेल है। मदरास हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हमारे चीफ जस्टिस ने अभी इनकार नहीं किया है।

श्री रामस्वरूप यादव—

मैं कह रहा था कि वह स्वीकार नहीं करेंगे, जो अपना अनुमान लगाता हूं। अगर मैजिस्ट्रेट को मुन्सिफ और जजों के साथ कर दिया तो इतमीनान रखिये जितना असंतोष जुडीशियरी से आज है इससे ज्यादा असंतोष बढ़ जायगा। एक मंत्री जी ने भाषण दिया कि शराब की कीमत आधी हो जायगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि प्रशासन की खराबी का कारण मदिरा और क्लब्स बन गये हैं। एक जमाने में क्लब्स इसलिये बने थे कि बड़े आदमियों से सम्पर्क कायम रखें। लेकिन लोकतन्त्र में स्थिति बदल गयी है। कमिश्नर जब जिले में आता है तो कलेक्टर यह कोशिश करता है कि क्लब में उसकी दावत कर दें। मदिरा और क्लब का नियंत्रण करें, इतनी मेरी सलाह जरूर मान लेना चाहिये। मदिरा का विस्तार हो रहा है। बाहर जाकर देखें तो उनको बड़ी तकलीफ होगी। कालेज के विद्यार्थियों तक यह पहुंचती जा रही है। आज व्यापारी वर्ग जानता है और कोशिश करता है कि मदिरा पिला कर वह प्रशासनिक कार्य करवा ले। इसलिये मदिरा का नियंत्रण अत्यावश्यक है।

*श्री राज बहादुर द्विवेदी (जिला फजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, कल से सामान्य प्रशासन पर विवाद चल रहा है। यह एक ऐसा विषय है जो कि नागरिक के जीवन से विशिष्ट सम्बन्ध रखता है। हमारे देश में जब अंग्रेज का राज्य था तो इस देश का प्रशासन चलाने के लिये उन्होंने एक बहुत बड़ी मशीनरी की व्यवस्था की थी। उस मशीनरी का उपयोग प्रशासन करना, हुकूमत चलाना, कर वसूलना और शान्ति व्यवस्था बनाये रखना था। अंग्रेज जब चला गया, हमने इस देश में प्रजातन्त्र कायम किया, हमने पंचायती राज कायम किया। यह स्वाभाविक था कि हम को भी प्रशासन चलाना था। उस समय हमने उसी मशीनरी का इस्तेमाल किया। मैं इस बात को मानता हूं कि शीघ्रता में उस मशीनरी को हम बदल नहीं सकते थे लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता कि अंग्रेजों का उद्देश्य इस देश में शासन करना था, हमारा उद्देश्य है इस देश की जनता की सेवा करना। किन्तु वही मशीनरी जो पहले थी, वही मशीनरी, उसी रूप में, अब भी चली आ रही है। तो क्या हम आशा कर सकते हैं। कि जो हमारा उद्देश्य है—जनता की सेवा करना, उसमें हम सफल होंगे? उस समय की मशीनरी शासक थी और आज हम उस मशीनरी को जनता का सेवक कहते हैं। यह जो हमारी मशीनरी का अंग है जिनको हम जनता का भला सेवक नारा देते हैं क्या वह पुराने ढंग से चलाते रहने पर बन सकती है या नहीं? यह हमें देखना है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि २० वर्षों से प्रजातन्त्र चल रहा है, लेकिन आज तक हम उस मशीनरी को जिसको हम जनता का सेवक कहते हैं, उसे हम जनता का सेवक नहीं बना सके हैं। हमें सोचना होगा कि वही मशीनरी क्या हमारे प्रजातन्त्र के अनुरूप है या उसमें कोई परिवर्तन करना चाहिये। इस पर हमारा ध्यान जाना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में कुछ कम काम नहीं किये हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस इतनी लोकप्रिय क्यों नहीं हुई ? इसका क्या कारण है, इसकी गहराई में यदि हम जायें तो हमें पता चलेगा कि इसमें सरकारी मशीनरी का बहुत बड़ा हाथ है। उस सरकारी मशीनरी ने जनता के साथ जिस प्रकार के कारनामे किये उसके होते हुये कांग्रेस सरकार ने जो जनोपयोगी कार्य किये उस पर भी कांग्रेस सरकार अनुपयोगी हुई। अब समय आया है कि किसानों के जो रहनुमा हैं, प्रदेश की जनता के जो सर्वप्रिय हैं, माननीय चौधरी साहब, उनके नेतृत्व में सरकार बनी है और मैं आशा करता हूं कि अब उनके नेतृत्व में उस मशीनरी में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। मुझे पूरी आशा है कि जो मशीनरी पहले शासक थी और जो अब अपने को जनता का सेवक कहती है, उसको जनता का सेवक बनाने की दिशा में चौधरी साहब कोई सक्रिय कदम उठायेंगे।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने अपने प्रथम भाषण में इस मशीनरी को चुस्त बनाने के लिये, इससे भ्रष्टाचार दूर करने के लिये, इसको कार्यक्षम बनाने के लिये, जिन उपायों की घोषणा इस सदन में की है, उनका मैं अपनी तरफ से इस सदन की तरफ से स्वागत करना चाहता हूं। लेकिन मैं मंत्री जी से इतना निवेदन और करना चाहता हूं कि उनका सबसे बड़ा ध्यान इस जनता की सेवा की तरफ करना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। मेरे जिले में रामकृष्ण त्रिवेदी एक जिलाधीश थे जो कि काफी ईमानदार थे। वह एक बार शरदकालीन दौरे में जब वह सायंकाल एक गांव में गये थे, उन्होंने वहां गांव वालों से पूछा कि क्या तुमको अपने जिलाधीश का नाम मालूम है, क्या तुम उसे जानते हो ? तो गांव वालों ने जवाब दिया था कि मेरा जिलाधीश तो मेरा लेखपाल है, जिसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब गांव की जनता का यह दृष्टिकोण बनेगा तो जनतन्त्र कैसे चलेगा ? इसलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि जनता की जो भावनायें हैं उस दृष्टि से इस मशीनरी को सुधारने के लिये वह विशेष कदम उठायें। अभी तक जो और जितने कदम उन्होंने उठाये हैं, उनसे जनता में बड़ा सन्तोष है, यह मैं दावे के साथ कहता हूं।

अभी इस सदन के एक वरिष्ठ सदस्य सदन में बोल रहे थे उनकी कुछ बातों से मैं सहमत हूं कि इस प्रजातन्त्र को हमें जीवित रखना है, इसे कायम रखना है। हमें कितने ही कष्ट क्यों न हों, कितनी ही तकलीफ क्यों न सहन करनी पड़े, लेकिन हमें हर हालत में प्रजातन्त्र को कायम रखना है। इस प्रजातंत्र को कायम रखने के लिये जो परम्परायें होनी चाहिये उनके ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि विचारों के आधार पर कुछ सज्जन इधर से उधर और उधर से इधर आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इस प्रदेश में आज वातावरण चल रहा है उस ओर सभी लोगों को सोचना चाहिये। आज सौदेबाजी चल रही है। क्या इससे स्वस्थ वातावरण आयेगा ? श्रीमन् मेरे कुछ मित्रों ने, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे कहा कि तुम कांग्रेस को छोड़कर गये तुमको क्या मिला ? मैं उनको यह बतलाना चाहता हूं कि मुझे वह चीज मिली है जिसे इस प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ जनता चाहती थी और वह चीज यह है कि माननीय चरण सिंह जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री हो गये। (व्यवधान) मैं अपने मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि वे कृपया शोर न मचावें। कल यहां पर बहुत ही बातें, प्रजातंत्र, पूंजीवाद और समाजवाद आदि के बारे में कही गयीं। इस सम्बन्ध में मैं महाभारत की एक कथा कहना चाहता हूं। विदुर ने दुर्योधन से कहा था कि तुम धर्म और अधर्म कुछ नहीं जानते हो, न्याय और अन्याय क्या है नहीं जानते हो। श्रीमन् मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत जो अध्ययन किया है उसके आधार पर कहता हूं कि विदुर ने कहा था—

जानामि धर्मम् न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः।"

मतलब यह है कि हम धर्म को तो जानते हैं कि क्या है लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं हुई और अधर्म भी जानता हूं कि क्या है लेकिन उससे विरक्ति भी नहीं कर पाता हूं। इसी तरह

[श्री राज बहादुर द्विवेदी]

से हम पूंजीवाद, समाजवाद, प्रजातन्त्र आदि सभी को जानते हैं, समाजवाद का नारा लगाते हैं, लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं है, पूंजीवाद क्या है जानते हैं लेकिन उससे विरक्ति नहीं होती।

अन्त में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं अपने जिले की ओर मुख्य मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं। हमने सुना है कि पुलिस के डी० आई० जी० के केन्द्र और बढ़ाये जाने वाले हैं। यदि सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजना हो तो मैं अवश्य मांग करूंगा कि हमारे फैजाबाद जिले को भी एक डी० आई० जी० का मुख्यालय बनाया जाय जिससे उस अंचल में शान्ति और व्यवस्था कायम हो सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रस्ताव का घोर समर्थन करता हूं।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला कानपुर)—

मान्यवर, सामान्य प्रशासन के अनुदान पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। परसों माननीय प्रभुनारायण सिंह जी ने कहा था कि यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में अभूतपूर्व दिन है। मैं भी उसे ऐतिहासिक मानता हूं क्योंकि उस दिन कम से कम प्रगतिशील राजनीतिक पार्टियों का नकाब उठ गया, वे इतने दिनों से ६ १/४ एकड़ तक की मालगुजारी माफी की जो बात कहते आ रहे थे उसका पता चल गया। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज का भी एक ऐतिहासिक दिन होगा क्योंकि आज इस सरकार के नाम पर ईमानदार और स्वच्छ कहे जाने वाले प्रशासन की मैं नकाब उठाने की कोशिश करूंगा। श्रीमन्, और कुछ कहने के पहले मैं अपने मुख्य मंत्री जी की वह बात याद करता हूं जो उन्होंने कही थी कि बात कड़वी नहीं कहनी चाहिये। कल से मैंने यह निश्चय किया कि बराबर मैं मीठी चीज खाता रहूं जिससे कोई बात कड़वी निकले नहीं। लेकिन बड़ा गड़बड़ था कि शक्कर मेरे पास थी नहीं।....

श्री चरण सिंह—

आप कड़वी से कड़वी बात कहें, मुझे बुरा नहीं लगेगा।

श्री रघुनाथ सिंह—

आपका जो आदेश था उसका पालन करना मेरा कर्त्तव्य है। ब्लैक मारकेट में शक्कर जरूर मिलती थी, लेकिन मैंने यह सोचा कि जब हमारी सरकार ब्लैक मारकेटिंग को नहीं रोक पा रही है तो कम से कम मैं ही यह प्रयास करूं कि ब्लैक मारकेट में कोई चीज न खरीदूं। मैं निश्चित आश्वासन देता हूं कि मेरी बात कोई कड़वी न होगी। यह हो सकता है कि वह मीठी के बजाय सीठी हो जाय, तो इसके लिये आप मुझे क्षमा करेंगे।

श्रीमन् किसी भी अनुदान पर हम यहां अपना मत इकट्ठा करते हैं सदन में, तो यह देखने की बात होती है कि उस अनुदान में जो रकम हमारा पब्लिक मनी या जनता का पैसा सरकार द्वारा खर्च हो रहा है उसका कहां तक सदुपयोग होगा। सरकार की ओर जो योजनायें रखी जाती हैं उसमें उसकी उपयोगिता सिद्ध की जाती है और जो विरोध पक्ष के लोग हैं वे यह देखने की कोशिश करते हैं कि ये बातें कहां तक उपयुक्त हैं और कहां तक यह खर्च हमारे प्रदेश के लिये उपयोगी होगा। इसी कसौटी पर हमें इस अनुदान को भी कसना है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से फिर एक बार इस बात के लिये क्षमा मांगता हूं कि इस अनुदान का सीधा सम्बन्ध उन्हीं से है और जो भी बात मैं कहूंगा उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध उनसे तो होगा ही।

मैं अधिक कुछ न कह कर अन्त में इस बात को कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा पहला साक्षात्कार सन् १९५९ ई० में हुआ था और वहीं से उनकी एक ऐसी अमिट छाप मेरे हृदय पर पड़ी थी कि उनकी मैं बड़ी इज्जत करने लगा था। आपके मंत्रिमंडल में और भी ऐसे बहुत से सदस्य हैं जिनकी बड़ी इज्जत मेरे दिल व दिमाग में थी। लेकिन मेरे यह

कहने का मतलब यह नहीं है कि वह इज्जत अब कहीं चली गयी है। है, अब भी है, लेकिन इतना जरूर है कि उसका स्वरूप बदल गया है। पहले वह इज्जत मेरी राजनीतिक चेतना की जिन्दगी थी, मेरी राजनीतिक चेतना के रक्त में प्रवाहित होती थी, उसे जीवन देती थी, दिशा देती थी लेकिन अब मेरे दिल व दिमाग में उसकी कब्र बन चुकी है। उस कब्र का नक्शा मेरे दिल व दिमाग में अब भी है और इस रूप में उस इज्जत को मैं आज भी सुरक्षित रखे हुये हूं।

श्रीमन्, कांग्रेस की चर्चा भी यहां बहुत चली। सरकारी पक्ष की ओर से कांग्रेस के पिछले २० सालों की बात बहुत दोहरायी गयी तथा इस ओर से यह बात आयी कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिये। इस सम्बन्ध में यदाकदा माननीय मुख्य मंत्री जी के मुंह से ये बातें सुन कर जरूर दुख हुआ है। इस सम्बन्ध में अधिक कुछ न कह कर श्रीमन्, इतनी बात बतला दूं कि जितना कुछ सम्पर्क मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से हो पाया है उससे मुझे यह पता लगा है कि वे गोस्वामी तुलसीदास जी के बड़े भक्त हैं। मेरा स्पष्ट संकेत इन २० सालों की ओर है और हमारे कांग्रेस पक्ष के लोगों ने भी इस बात को माना है कि ठीक है, कांग्रेस में कमजोरी थी और उसका नतीजा उसे मिला, लेकिन सरकार को तो आगे की दिशा देखनी चाहिये कि हमें क्या करना है और किस ओर हम इस प्रदेश को ले जा रहे हैं और हमारे प्रशासन का और हमारे राज्य का स्वरूप क्या होगा। उसको ढकने के लिये यह कहना कि कांग्रेस ने २० साल में कुछ नहीं किया मैं यह समझता हूं कि आपके लिये उपयुक्त नहीं है। मुझे अक्सर गोस्वामी तुलसीदास जी का वह कथन याद आ जाता है जो उन्होंने एक चौपाई में कहा है कि "अवसर परे परखिये चारी, धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी"। श्रीमन्, मैं यह मानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी का बड़ा निकट का सम्बन्ध कांग्रेस से रहा है। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि जिस समय कांग्रेस के साथ यह अपघात हुआ उस समय कांग्रेस पर एक अवसर था कि हमारे धीरज और धर्म की परीक्षा हो रही है। मुख्य मंत्री जी की मित्रता की परीक्षा हो चुकी। अब मैं सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। सामान्य प्रशासन का बहुत सीधा सम्बन्ध भ्रष्टाचार से है। अगर सामान्य प्रशासन ने भ्रष्टाचार दूर नहीं किया या उसको दूर करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया तो जो रुपया खर्च किया जायगा वह बेकार हो जायगा।

एक भ्रष्टाचार का नमूना अपने जिले का आज इस समस्त सदन के समक्ष और अपने प्रेस के मित्रों के समक्ष जरूर पेश करना चाहता हूं। मुख्य मंत्री महोदय इसको अपने हृदय पर रख कर तोलें कि यदि यही सब रहा है तो इस प्रदेश में इस संयुक्त विधायक दल की सरकार के जमाने में आगे क्या होगा। मेरे जिले में एक सज्जन हैं। वह मुख्य मंत्री जी के नजदीकी रिश्तेदार हैं ऐसा वह कहते हैं। उन्होंने हाल ही में एक कत्ल में मुख्य मंत्री जी का नाम लेकर इस तरह से दबवाया कि जो इस शासन के लिये शर्मनाक चीज है। सरकार पक्ष से पूछा गया कि नाम बताइये। मैं उस व्यक्ति का नाम बता देता लेकिन यह मैं अपने मुख्य मंत्री जी पर ही छोड़ता हूं। उनके पास बड़े-बड़े साधन हैं, उनके द्वारा वह जान सकते हैं। लेकिन वह अपने नाम के आगे चौधरी लगाते हैं। इस सदन के वह भूतपूर्व विधायक हैं और मुख्य मंत्री जी के बहादुर हैं। एक आदमी का कत्ल हो गया। बड़ी विचित्र बात यह हुई कि उन्होंने बड़ी कोशिश की कि पुलिस अधिकारियों के यहां कत्ल के बजाय डाके का केस कायम हो। ऐसा कहा जाता है कि मुख्य मंत्री जी से आकर वह मिले और उन्होंने आकर यह कहा कि जो मुद्दई है वह तो कुछ कहता नहीं, पुलिस ने जबरदस्ती यह रिपोर्ट लिखा ली है और एक फर्जी आदमी को मुख्य मंत्री के यहां पेश कर दिया गया, जिसने कहा कि पुलिस ने गलत रिपोर्ट दर्ज की है। नतीजा यह हुआ कि दरोगा लाइन हाजिर है और वह केस दब जाने की ओर जा रहा है।

श्री चरण सिंह—

मेरा नाम लिया गया इसलिये मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि मेरा नाम लेकर जिस आदमी का कत्ल हुआ है, वह आदमी कौन है, और किसने मेरा नाम ले कर कत्ल किया है ?

[श्री चरणसिंह]

मेरे मित्र को भी स्वयं इस बात का विश्वास है या नहीं और क्या कभी वे इस बात को मेरे नोटिस में लाये हैं ?

श्री रघुनाथ सिंह—

आपका नाम लेकर वहां इस मामले को दबाया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि वहां जन कांग्रेस के नाम से रुपया वसूल किया जा रहा है और उनका कहना है कि ५० हजार रुपया इकट्ठा करना है।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)—

आपने इसकी क्या शिकायत की ? (व्यवधान)

श्री रघुनाथ सिंह—

यह ऐसी बात नहीं है कि जिस को दबाया जा सके। मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसमें अवश्य न्याय करेंगे। वहां मुख्य मंत्री जी का नाम एक्सप्लायट किया जा रहा है। सामान्य रूप से ऐसा होना असंभव है लेकिन वहां यह हो रहा है और इस प्रकार जरायम दबाये जा रहे हैं। ऐसा प्रशासन अच्छा नहीं माना जायगा। भ्रष्टाचार की परिभाषा में केवल रुपया-पैसा लेना ही नहीं आता, अपने आचार से हट कर कोई भी काम किया जाय, वह भ्रष्टाचार की परिभाषा में आता है। माननीय मुख्य मंत्री इसकी जांच करा लें, उसका हलफ नामा मेरे पास रखा है, यदि वे चाहेंगे तो मैं उनके सामने पेश कर सकता हूं।

*श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत देर के बाद मुझे बोलने का मौका मिला है। बहुत दिनों से मैं इधर और उधर दोनों तरफ के लोगों की बात सुनता रहा हूं। बीस साल तक जिन लोगों ने इस प्रदेश पर शासन किया और यहां के गरीबों और मजलूमों को सताया, देश को तोड़ा, दिन दहाड़े डकैतियों में मदद की, आज वही गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की बात कर रहे हैं यह बड़ी खुशी की बात है। उनको मजदूरों से कोई ताल्लुक नहीं रहता जिन्होंने हमेशा ही देश को बर्बाद किया है, उनके दिल में आज हमदर्दी जागी है। हमारे उधर बैठने वालों ने पिछले बीस साल में चन्द्रभानु गुप्त, बनारसीदास और कमलापति त्रिपाठी का नाम लेकर गरीबों को लूटा है, देश में भाई भतीजावाद बढ़ाया है, डकैतियां, चोरियां और जुल्म ढाये हैं। इनके जमाने में प्रदेश में जुल्म, भुखमरी और परेशानी बढ़ी है। अगर आज वही लोग इधर से हट कर उधर बैठ गये हैं तो उनको किसान और मजदूर की याद आ रही है। आज तीन महीने में उन को ऐसा लगता है कि जैसे कुर्सी तो उनके बाप की जागीर थी, हमारे घर की चीज थी, वह कैसे और क्यों हमारे पास से चली गयी। शायद वे भूल गये कि उन्होंने प्रदेश की जनता के साथ क्या किया है और क्या नहीं।

आज मैं कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी से कि अगर सरकार में दम है और इनके पास सजा देने के लिये कोई चारा है तो चाहे इधर के हों या उधर के बैठने वाले हों, जिन्होंने जुल्म किया है, पैसा इकट्ठा किया है ब्लैकमार्केट से या चोरबाजारी से या सरकार की गद्दी पर बैठ कर, अगर उनकी जांच करायी जाय और सजा दिलवायी जाय तो देश बच सकता है। किसे पता नहीं है कि तीन महीने में बनारसी दास जी, गुप्ता जी और उनके साथी रात-रात भर कमरे में घुसे रहते हैं और जो काम नहीं करना चाहिये प्रजातंत्र, जम्हूरियत में उन कामों को ये कर रहे हैं। आज नीच से नीच काम, चाहे शराब पिलाने का, चाहे पैसा देने का इनकी तरफ से हो रहा है। वह इल्जाम लगाते हैं कि तीन महीने की सरकार ने लगान माफ नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया, भूमिहीनों को जमीन नहीं दी, भ्रष्टाचर खत्म नहीं किया लेकिन अपने भ्रष्टाचार को नहीं देखा कि उन्होंने २० सालों में कैसा नंगा नाच किया है। देश की जनता, किसान, अध्यापक क्या नहीं जानते? क्या छोटे राज-कर्मचारी नहीं जानते? कौन नहीं जानता कि तुम ने इस प्रदेश की जनता के साथ क्या किया है। आज मैं तो सरकार से कहूंगा कि चाहे कोई भीहो चाहे लखपति, करोड़पति हो, कांग्रेस पार्टी का हो या सोशलिस्ट पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर जुल्म करने वाले को सजा मिलनी चाहिये तभी देश तरक्की करेगा।

सरकार के तीन ही काम होते हैं, चाहे वह सरकार कांग्रेस की हो, सोशलिस्ट पार्टी की हो, संयुक्त विधायक दल की हो या कम्युनिस्ट पार्टी की हो सबसे पहले देश की सीमाओं की हिफाजत करना, दूसरे अपने देश के रहने वाले लोगों को न्याय देना और तीसरे रोटी, कपड़ा और मकान देना। आज मैं उनसे कहूंगा कि अपनी तरफ देखें कि उन्होंने २० साल के शासन में क्या किया। गरीब और गरीब होता चला गया, कहीं न्याय किसी कीमत पर नहीं मिला, मजलूम और ज्यादा मजलूम होता चला गया। जिन अफसरों के खिलाफ विजिलेंस और सी० आई० डी० ने रिपोर्ट दीं उनको आपने अलमारियों में बन्द रखा क्योंकि गुप्ता जी और उनके मित्र उनके सहायक थे, उनको सजा नहीं दी। कम से कम इस सरकार ने इतना तो किया कि उन अफसरों को जिनके खिलाफ करप्शन के इल्जाम थे उनको टरमिनेट किया और सस्पेंड किया है और उनको आगे और सजा देने की बात की है। इन्होंने लगान माफ इतना तो किया, तुम ने लगान को बढ़ाया और किसानों की रात-दिन की जिन्दगी इतनी महंगी बना दी कि किसान गरीब से गरीब होता जा रहा है। मैं तो इधर वालों से भी कहता हूं कि आज जो जितना कमाता है उतना ही ज्यादा दुखी रहता है। जिस देश में कमाने वाले को रोटी, सुख, आदर नहीं मिलेगा, उसके बच्चे को तालीम नहीं मिलेगी, दवाई नहीं मिलेगी वह देश डूब जायगा, बचेगा नहीं। जो लोग कमाते कमाते बीमार हो जायं उनको दवाई नहीं मिलती और जो खाते-खाते बीमार होते हैं उनको अच्छी दवाई, अच्छी खूराक और हर तरह की सुविधा मिलती है। हमारे देश में ऐसे लोग बहुत हैं जो कमाते-कमाते, सड़क बनाते-बनाते मजदूरी करते-करते खेत जोतते-जोतते, खाद्य पदार्थ पैदा करते-करते बीमार हो जाते हैं। वे तड़प-तड़प कर मर जाते हैं। मैं इस सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह सरकार प्रदेश की जनता को न्याय नहीं दे पायी तो यह जरूरी नहीं है कि आपकी सरकार बची रहे, गुप्ता जी की जालिम और पूंजीपतियों वाली सरकार जिस तरह से खत्म हुई, जनता इस सरकार को भी उखाड़ फेंकेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि जनता को राहत दीजिये। मैं मेरठ जिले के लोगों के बारे में कहता हूं कि वहां लोगों को आज भी वही दिक्कतें हैं। आज भी बी० एल० डब्लू०, बी० डी० ओ०, तहसीलदार वगैरह किसान को परेशान करते हैं, उनके चंगुल में वह आज भी पहले ही की तरह फंसा हुआ है। इनसे किसान को छुटकारा मिलना चाहिये। किसान की जो हैसियत है उसका उसके पास एक कार्ड होना चाहिये जिसके आधार पर उसको कर्जा आदि मिल सके। आज उसे अपना कुंवा, या किसी मशीन आदि लगाने के लिये सरकार से जो रुपया मिलता है उसका आधा तो सरकारी कर्मचारी खा जाते हैं।

इसके अलावा जो आदमी ६०-७० रुपये पाता है वह कैसे अपना पेट भर सकता है। इतने में तो एक कबूतर और कुत्ते का भी पेट नहीं भरा जा सकता। बड़े-बड़े आदमियों के कुत्तों पर हजार रुपये महीने खर्च होते हैं। इसलिये आप बड़े-बड़े आफिसरों की तनख्वाहें कम कीजिये, और छोटे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाइये। जो आपरेटर हैं, क्लर्क्स हैं इनके वेतन बहुत कम हैं। अगर आप महंगाई को नहीं रोक पाये, मिलावट को नहीं रोक पाये, भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर पाये, जिसको सुनते-सुनते कान फटे जाते हैं, तो इस सरकार का भी वही हाल होगा जो पिछली कांग्रेस सरकार का हुआ। मुझे तो आज ऐसा लगता है कि जैसे भ्रष्टाचार नहीं श्रष्टाचार हो गया हो। मैं चाहता हूं सरकार को बरोजगारी दूर करने, समान

[श्री मंजूर अहमद]

शिक्षा तथा समान वेतन देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध और अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय नेकराम शर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। बहुत से माननीय सदस्यों ने बातें कहीं, मगर मुझे माननीय तलवार साहब का भाषण सुन कर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने यहां पर कहा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्यादातर आर० एस० एस० और जनसंघ की ही आलोचना की जाती है। और इस आलोचना से हमको बड़ी तकलीफ है। लेकिन मैं देखता हूं कि जहां उन्होंने यह कहा वहीं उनकी यह जिम्मेदारी थी कि उधर का माननीय सदस्य कोई ऐसा नहीं होता है जो कांग्रेस की आलोचना न करे। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने बीस सालों तक यहां का शासन किया। अच्छा किया या बुरा किया वह यहां पर यहां की उत्तर प्रदेश की जनता का कर्त्तव्य है कि निर्णय करे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं कांग्रेस शासन चाहे बुरा कहा जाय लेकिन आज सूबे की शासन सत्ता जिनके हाथ में है, उस शासन में भी उनका हाथ विशेष रूप से रहा है और वे हैं माननीय चौधरी चरण सिंह। श्रीमन्, अभी-अभी मेरे पड़ोस के एक सदस्य जनकांग्रेस में गये। श्री राजबहादुर जी बड़े जोरों से बोल रहे थे, मैं उनको चैलेंज देता हूं कि क्या कांग्रेस इतनी खराब थी जो आप उसके टिकट से जीतकर तो आये और दो महीने के बाद ही उससे इस्तीफा दे दिया ? मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मैं भी इस्तीफा देता हूं और वे भी इस्तीफा दे दें और मैं उन्हीं के क्षेत्र से चुनाव लड़ूं तो मैं ही जीतकर आऊं।

(व्यवधान)

क्या कहूं। इसकी कोई बात नहीं। आप लोग एक तारीख को इस बड़ी धारणा के साथ कि १९ सूत्री कार्यक्रम को सफल बनायेंगे, सरकार में आये। मैं माननीय विकल जी का ध्यान इस १९ सूत्री कार्यक्रम की ओर दिलाना चाहता हूं जिनकी प्रधानता में १९ सूत्री कार्यक्रम पास किया गया और जिसके प्रलोभन में कुछ साथी भी उधर चले गये। आप जानते हैं गवर्नर महोदय का जो भाषण होता है वह सरकार की साल भर की नीति के अनुसार ही होता है। आपने उसमें संशोधन पेश किये १९ सूत्री कार्यक्रम के और उसी पर आपकी सरकार आई और तब जो १९ सूत्री कार्यक्रम था वही गवर्नर का संशोधित भाषण हुआ था और आपको साल भर उसी के अनुसार बजट बनाकर कार्य करना चाहिये था लेकिन आप वह कार्य नहीं कर रहे हैं। उसके लिये आपको शर्म तो नहीं आयेगी लेकिन यहां की आठ करोड़ जनता हमसे पूछती है (व्यवधान) कि वे अपने वायदे क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या बताऊं कि बहुत से लोग जो जनकांग्रेस में गये हैं वे मेरे साथ रहे हैं। मैं त्रिपाठी जी के दल का था और मुझसे त्रिपाठी दल के लोग कहते हैं कि वे लोग जो उधर गये हैं वे १९ सूत्री कार्यक्रम को पूरा नहीं करवा रहे हैं। विकल जी भी उसको भूल गये और उस गद्दी पर पहुंचकर उनको भी न मालूम क्या हो गया कि वे भी उसका नाम नहीं लेते हैं।

"मुझे तामीर नशेमन का मुखालिफ न समझ,
सिर्फ बदले हुए हालात से जो डरता है,
तेरे वादये फर्दा का यकीं है लेकिन,
तेरी पिछली इनायत से जो डरता है।

मस्त होकर यों उबल पड़ना न था जाहिद तुझे।
इतनी ही फिर क्यों न पी, जितना तेरा पैमाना था।"

अगर आपको १९ सूत्री कार्यक्रम को पूरा नहीं करना था तो आपने उसको पेश क्यों किया था। माननीय चौधरी साहब को गवर्नर साहब से दूसरा भाषण कराना चाहिये था और उस भाषण के अनुसार अपना कार्यक्रम बनाना चाहिये था। यह सब नहीं हुआ और न आप कर सकते थे।

वह तो एक बहानें बाजी थी। अब में चाहता हूं कि चौधरी साहब शासन की खराबियां दूर करें। जनता को स्वच्छ प्रशासन दें, हर विभाग की खराबियों को दूर करें। अगर आप उनको दूर नहीं करते तो हम में और आपमें क्या अन्तर रहा। प्रत्येक दिन कम से कम एक आर्डर ऐसा होना चाहिये जिससे मालूम हो कि करप्शन दूर हो रहा है। लेकिन मुझे दुख है कि हर पार्टी का आदमी ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ०, एस० डी० ओ० और कलेक्टर के पास जाता है और कोई चीनी मांगता है और कोई सीमेंट मांगता है और तीसरा आता है वह कहता है कि हमारे खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है, उसमें इस प्रकार से कर दीजिये। इस प्रकार की बातें माननीय चौधरी साहब के शासन में हो रही हैं, यह बड़े शर्म की बात है, इन चीजों को दूर होना चाहिये।

माननीय राम प्रकाश जी हमारे यहां दौरे पर गये। उन्होंने १५ मिनट का समय सरकारी और गैर सरकारी आदमियों के लिये रखा और २ घंटे का समय रखा अपनी पार्टी की मीटिंग में भाग लेने का। हमारे भी मिनिस्टर लोग दौरा करने के लिये जाते थे लेकिन इस प्रकार की बातें नहीं होती थीं। माननीय गंगाभक्त सिंह भी गये, उन्होंने भी अपना ज्यादातर समय आर० एस० एस० और जनसंघ के कार्यकर्त्ताओं के बीच में ही बिताया। सार्वजनिक संस्थाओं में जो मनोनयन इनके द्वारा हुआ है वह भी पार्टी के आधार पर ही किया गया है। आई० टी० आई० के लिये जो नामीनेशन हुआ है, जो डी० आई० ओज० के जरिये से नार्मल लिस्ट भेजी गयी है उसके लिये कहा तो यह कहा गया कि नम्बरों के हिसाब से होगा लेकिन वह भी सब पार्टी के लोगों के आधार पर ही हुआ है। आपके यहां इस प्रकार की चीजें हो रही हैं जो पिछले २० सालों में नहीं हुई। आप इन ३ महीनों में बहुत ज्यादा बदनाम हो गये हैं। आपकी इन नीतियों के कारण बहुत से साथी आपसे अलग होते जा रहे हैं। इन तरीकों से आपकी सरकार चल पायेगी, इसमें संदेह है।

श्री उपाध्यक्ष––

(श्री चरण सिंह से) आप बीच में बोल रहे हैं अथवा अपना अंतिम भाषण देना चाहते हैं।

श्री चरण सिंह–

अगर आप और किसी को मौका देना चाहते हैं तो दे दीजिये, मैं तो अपना अंतिम उत्तर देना चाहता था।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)––

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस बहस में दो दिनों से भाग लिया। मान्यवर, प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि नौकरशाही डेमोक्रेसी के लिये थ्रेट है, यदि उस पर कंट्रोल न किया जा सका। तो मैंने जैसा कल निवेदन किया था कि चौधरी साहब एक कुशल प्रशासक, विद्वान और सख्त आदमी हैं, लेकिन इन तीन मास से मेरी ऐसी फीलिंग है, हमारा ऐसा आभास है कि वह न तो अपने मंत्रिमंडल पर ही कंट्रोल कर पाये हैं और न यहां के प्रशासन पर ही। इसका कारण शायद मैंने यह समझा कि माननीय मुख्य मंत्री जी को अभी इतना अवकाश नहीं मिल सका है क्योंकि प्रदेश में आज इतनी दौड़ धूप और राजनीतिक तोड़-फोड़ चल रही है और राजनैतिक प्रेशर पड़ रहे हैं और इन्हीं चीजों के कारण उनको अवसर ही नहीं मिल पा रहा है और उनको भी शायद पता नहीं है कि उनको यह सरकार कब तक रहेगी या नहीं रहेगी। इसी दुविधा और परेशानी में यह सूबे के प्रशासन को कंट्रोल नहीं कर पाये हैं। हमें आशा थी कि उन की सरकार एक अच्छी सरकार होगी, लेकिन आज प्रशासन इतना अधिक बिगड़ गया है कि किसी को उस खराबी के लिये जिम्मेदारी भी फिक्स नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नेकराम शर्मा]

हो पाती है। हम उनसे आशा करते थे कि वह कुछ ऐसे कदम उठायेंगे जिससे प्रशासन पर उन का पूरा कंट्रोल होगा और यदि वह नहीं हुआ तो प्रदेश बहुत ही बुरी दशा में, बेकारी और डिप्रेशन में चला जायगा और उस दशा में कोई कल्याण यहां की जनता का न हो सकेगा। मैं जानना चाहता हूं कि उन के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी। थोड़े से सुधार से या सजा देने से कोई ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन कोई आमूल परिवर्तन या क्रांतिकारी कदम वह उठाना चाहते हैं और किस तरह से प्रशासन को ठीक करना चाहते हैं यह हमें कुछ मालूम नहीं पड़ा। अफसर आते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, थोड़ी सी नाराजगी जाहिर होती है लेकिन हम चाहते हैं कि मुख्य मंत्री महोदय उन की जिम्मेदारी फिक्स करें। कोई अफसर चाहे यहां हो या जिल में हो उसके काम की तारीफ, प्रोमोशन और उसकी एफीशियेंसी तभी होगी जब उसका काम देख कर तय किया जाय, अगर उसके द्वारा उसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती तो उसको सजा मिले इस तरह की घोषणा की उनसे हम अपेक्षा करते थे और उससे हमें भी खुशी होती। जो इतना अधिक सुपरवाइजरी स्टाफ है उसकी छटनी होनी चाहिये, जो व्यर्थ की पोस्ट हैं ६-६ चीफ इंजीनियर, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, एडीशनल सेक्रेटरी, कमिश्नर, बोर्ड आफ रेवेन्यू के लोग हैं इन में छटनी होना चाहिये। जितना टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है उस को कम किया जाय। जैसा पांडेजी ने कहा छोटे-छोटे कर्मचारियों की छटनी करना आज के जमाने में उचित नहीं है। वह ऊपर के बड़े पदों की होनी चाहिये। कमिश्नरों के बारे में भी कोई संकेत नहीं किया गया है। हम आशा करते थे कि चोरबाजारी के लिये, स्मगलिंग के लिये, एडल्ट्रेशन के लिये चौधरी साहब कोई कानून लायेंगे और उसकी रूपरेखा सदन में रखेंगे, लेकिन सिवा थोड़े से चेक पोस्ट बढ़ाने के कुछ नहीं किया गया है और आज भी गल्ला बाहर जा रहा है।

रिटायरमेंट की एज ५५ साल करने के बारे में भी अभी तक वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाये हैं और उन्होंने कहा कि अभी हम सोच रहे हैं। जिस वक्त ५५ से ५८ हुआ था तो मुख्य मंत्री जी ने ५८ साले के लिये डेढ़ घंटे तक भाषण दिया था और वह तभी रुके थे जब हमने हाथ जोड़कर कहा था कि आप की बात समझ ली है। क्या अब मुख्य मंत्री जी घोषणा करेंगे कि जिस कर्मचारी या अफसर की रिटायरमेंट एज आ जायगी उस को किसी भी हालत में एक्सटेंशन नहीं मिलेगा? मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री जी से यह घोषणा सुनना चाहता था कि जिस दिन रिटायरमेंट एज ड्यू हो जाय तो कितना ही कुशल अधिकारी हो, उसको भले ही आप दूसरी जगह जाने दें लेकिन उसे वहां से रिटायर कर दें।

दूसरी बात जो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहता हूं वह यह है कि वे अपने कैबिनेट के मिनिस्ट्रों को ट्रेन करें। कैबिनेट का डेसीजन हुआ नहीं, सदन में घोषणा हुयी नहीं, लेकिन बाहर इसका जिक्र हो जाता है। दूसरे हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को उन्हें कंट्रोल भी करना चाहिये ताकि जब ये बाहर जायें, वहां जाकर जनता की बातों को सुनें, उनकी तकलीफों को सुनें और अपने दौरे की इन्सपेक्शन रिपोर्ट मुख्य मंत्री जी को दें। आज जो हमारे मंत्री लोग दौरे पर जाते हैं वे अपनी पार्टियों को मजबूत करने के लिए जाते हैं या विभिन्न विभागों में अपने आदमियों को नामिनेट करने के लिये जाते हैं। इन्हें जन सम्पर्क स्थापित करना चाहिये, जनता की क्या तकलीफें हैं, उन्हें जानना चाहिये और वहां पर प्रशासन की क्या हालत है, उसके बारे में अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री को देनी चाहिये।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह भी आशा करता था कि जिन अधिकारियों के यहां पर मकान बने हुए हैं और वे उन्हें किराये पर उठाये हुए हैं और सरकारी मकानों में रहते हैं, उनसे वे बंगले खाली कराये जाते। मैं यह भी आशा करता था कि जो सदस्य, मंत्री और सरकारी अधिकारी ऐसे हैं कि जिनके नाम २-२ या ३-३ मकान एलाट हुए हैं, उनसे वे मकान लिये जायं और उन गरीबों को दिये जायं जिनके पास एक भी मकान नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी ओर हमारी सरकार क्या कदम उठा रही है।

मैं यह भी चाहता था कि जो प्रदेश में अनसरटैन्टी और इन्सीक्योरिटी का वातावरण बना हुआ वह समाप्त हो । अनसरटैंटी से पता नहीं होता कि कब हमारी नौकरी समाप्त हो जाय और इंसीक्योरिटी से मतलब है कि कब तक हम रहें।

एक बात मुझे यह कहनी है कि आज स्टेट के एक्सचेकर से ४५ हजार रुपया दैनिक समाचारों और पीरियडिकल्स पर व्यय होता है । वह बन्द होना चाहिये ।

आप यह भी कहते हैं कि आप बड़े लोकप्रिय हैं, जन प्रिय हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आपके घरों पर न जाने कितने पुलिस के गार्ड लगे हुये हैं। जब आप जनप्रिय होने का दावा करते हैं तो क्यों आप इतने पुलिस के सिपाहियों को अपने पास रखते हैं? सिविल डिफेंस में ११ लाख ६० हजार का खर्चा है । क्या जरूरत है हवाई हमला होगा उसके लिये खर्चा किया जायगा, नागरिक परिषद के लिये खर्च कर रहे हैं। इस खर्चे में आप कमी कर सकते हैं।

(इस समय ४ बजकर १ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

आज बसीके पर करीब ५३ हजार रुपये लखनऊ में बांटा जाता है जब प्रोवी पर्स बन्द कर रहे हैं तो बसीके को भी खत्म कर सकते हैं। गरीब लोगों को छुटनी करने से कोई लाभ नहीं होगा । महाराजा बनारस को १ लाख रुपया सरकार देती है रामलीला के लिये । इसे बन्द कीजिये । ५६ हजार रु० आपने रखा है उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के कल्याण निगम के लिय । क्या कल्याण निगम है, पता नहीं चलता । बहुत सी ऐसी मदें हैं अगर उन को आप कम कर दें तो कुछ करोड़ रुपया बच सकता है । हमने इसी सदन में कहा कि स्पेशल पे खत्म कीजिये और कुछ रुपया निम्न वर्ग के कर्मचारियों को दीजिये । जो लोग १०, १५ साल से नौकरी कर रहे हैं उन को नोटिस दे कर निकाला जा रहा है । इसको बन्द कीजिये । आप ने कहा कि नोटिस मिलेगा और उसके बाद बरखास्त । ऐसे आदेश देने से क्या फायदा जो एनफोर्स नहीं हो पाते । कोर्ट से स्टे हो जाते हैं। इसमें सरकार के आर्डर की क्या प्रेस्टीज रह जाती है? एक तरफ बरखास्तगी आर्डर में लिखा दे कि जैसे ही नोटिस मिले, उस पर अमल किया जाय । वह हाई कोर्ट में चला गया और स्टे आर्डर ले लिया । विजिलेंस कमीशन ने एक आदमी को सस्पेंड करने के लिये लिखा । वह सस्पेंड हो गया । इस सरकार ने उसको रीइंस्टेट कर दिया और उस के बाद रिटायर कर दिया । तो क्या कारण था ? यह सब मुख्य मंत्री जी आपकी छत्र-छाया में हो रहा है। आप को फुरसत नहीं है देखने को । एक विजीलेंस कमीशन यहां के लिये बैठाइये जो देखे कि कैबिनेट के मंत्री किस तरह से विहैव कर रहे हैं, उनकी खबर आप तब पहुंचती रहे कि कौन कौन गलत कार्य हो रहे हैं।

ट्रांसफर होने चाहिये । उसूल की बात है, तीन साल से ज्यादा जो कर्मचारी किसी एक स्थान पर हैं उनका ट्रांसफर हो । लेकिन १,१ साल होने पर ही ट्रांसफर हो गये । इसलिये कि किसी से मंत्री नाराज हैं या किसी को विक्टिमाइज करना चाहते हैं। फिर ट्रांसफर रोके गये । क्यों रोके गये ? मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी, कि अगर आप इमपारशियल और सच्चा ऐडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं तो जो ट्रांसफर आप ने उसूल के अन्तर्गत किया है तो उस को रुकवाने के लिये जो भी मंत्री या अधिकारी आता है उसको आप सस्पेंड कर दीजिये । इससे हमारे भी प्राण बचेंगे । कितने ट्रांसफर हुए और कितने रोके गये इस का आप पता लगाइये । एक मंत्री ने आर्डर किया कि तीन साल से ज्यादा के अफसर हो जायेंगे । कुछ का ट्रांसफर रोक दिया गया । क्यों रोक दिया गया, आप इनक्वायरी कीजिये ? एक अफसर का आर्डर हुआ वह चार्ज लेने पहुंच गया, उस ने कहा मैं एस० डी० ओ० को जिता दूंगा तो उसका आर्डर स्टे कर दिया गया । तो अगर सरकारी कर्मचारी और सरकारी मशीनरी पोलिटिकल परपज के लिये इस्तेमाल की जाती रहेगी तो यह सरकार चलने वाली नहीं है । इसलिये मैं मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं इस इनफ्लुएंस को,

[श्री नेकराम शर्मा]

इंटरवेंशन को आप बिलकुल बन्द कर दीजिये तब आप का ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐफीशियेंट हो पायेगा। जब तक आप इस दिशा में सख्ती से कदम नहीं उठायेंगे तब तक कोई प्रशासन नहीं चल सकता।

मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री घोषणा करें कि व्यर्थ के जितने आदमी हैं, सुपर-फलुअस पोस्ट्स हैं, अगर आप नाम चाहें तो मैं नाम गिना सकता हूं, उनको खत्म करेंगे और छटनी में छोटे छोटे कर्मचारियों को जिनकी सर्विस १०, १५ साल हो चुकी है सिक्योरिटी देंगे यह प्रदर्शन अच्छे नहीं होते। रात भर दारुलशफा में गाड़ियां खड़ी रहती हैं और जिस तरह से तोड़ फोड़ होती रहती है, इससे प्रशासन चल नहीं सकता, मंत्रि परिषद् नहीं चल सकती। मैं मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि स्वस्थ प्रशासन के लिये वे आवश्यक कदम उठायें और अगर उठायेंगे तो इधर के नेता हर बात में जिस तरह से कोआपरेशन करते आये हैं आगे भी हर सही काम में कोआपरेशन करेंगे, आपके साथ रहेंगे। इन शब्दों के साथ में मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे एक स्पष्ट और सही पिक्चर इस सदन के सामने रखेंगे कि कैसा प्रशासन होगा, कैसा कार्य होगा जिससे इस सदन को संतोष हो।

श्री अध्यक्ष—

श्री चरण सिंह से। आप कृपया २० मिनट में अपनी स्पीच खत्म करेंगे।

*श्री चरण सिंह—

मैं बहुत कम समय लूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत से सुझाव मुझको दिये हैं अगर्चे वे सुझाव ऐसे नहीं हैं कि जो पहले से मुझ को या मेरे सहयोगियों को मालूम न हों। मैं जिस तरह के सुझावों की अपेक्षा करता था उस तरह के ये सुझाव मेरे सामने नहीं आये, लेकिन फिर भी मैं अपने मित्रों का कृतज्ञ हूं और इसलिये भी कृतज्ञ हूं कि जिस ढंग से उन्होंने बातें कही हैं उनमें कोई बिटरनेस नहीं आई। मैंने कल यह अपील की थी कि सुझाव कितना भी कठोर और कड़ुवा क्यों न हो हम लोगों का ढंग अथवा टोन कड़ुवी न हो। इसके लिये मैं अपने दोस्तों को, खास तौर से विरोधी पक्ष के दोस्तों को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जहां मैं इन बातों के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं वहां मुझे उन पर तरस भी आ रहा है, हमदर्दी भी होती है कि वे दिल से नहीं बोल रहे थे। उनकी जबान पर कुछ था और दिल में कुछ था और जब आदमी को यह नाटक करना पड़ता है कि दिल में कुछ हो और जबान पर कुछ हो तो जबान से जो शब्द निकलते हैं वे प्रभावकारी नहीं होते। मेरे माननीय मित्र ने यह शिकायत की कि ३ महीने में क्या हुआ? लेकिन जिस वक्त जो भी दोस्त यह अल्फाज अता कर रहे थे जबान से उनका दिल यह गवाही दे रहा था कि आखिर तीन महीने में इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। लिहाजा अल्फाज में वह जोश और प्रभाव नहीं था। इसके लिये मैं क्या कहूं सिवा इसके कि जहां मैं उनको बधाई देता हूं वहां उनके साथ हमदर्दी भी है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा—मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। अब जो छोटी छोटी बात कही गयी थीं पहले मैं उनका जवाब दूंगा और उसके बाद एक, दो बातें जो कल कहने से रह गयी थीं उनको अर्ज करूंगा।

राम स्वरूप यादव जी ने यह बात कही कि मदिरा पी जाती है और अफसरान क्लब में पीते हैं और उसका असर प्रशासन पर खराब पड़ता है और उनके जो सहयोगी कार्य करते हैं उन पर भी खराब असर पड़ता है। मुझ को यह तसलीम है कि यह बात ठीक है, मदिरा का सेवन राजकर्मचारियों और कदाचित् जनता में भी बढ़ता जा रहा है। और कम से कम राजकर्मचारियों में बढ़ना नहीं चाहिये था क्योंकि इनके उदाहरण का प्रभाव सारी जनता पर पड़ता है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में आपके जरिये माननीय रामस्वरूप जी यादव और दूसरे दोस्तों का ध्यान आकर्षित करूंगा जो अभी १५ या १६ तारीख को यहां से मदिरा पान के सिलसिले में सरकारी कर्मचारियों के नाम एक सर्कुलर गया है उसकी तरफ। वह आज सदन की मेज पर रखवा दिया गया है शायद रामस्वरूप जी ने उसको पढ़ा नहीं है और मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर कोई राजकर्मचारी उनके इल्म में ऐसा हो कि जो पब्लिक में ड्रिंक करके इस प्रकार से आये कि दूसरों को मालूम हो जाय कि वह होश में नहीं है तो वह हमारी नोटिस में अगर ऐसे केसेज लायेंगे तो उनके खिलाफ कठोर कदम उठाये जायेंगे।

एक मेरे माननीय मित्र ने, शायद रामस्वरूप जी ने, कहा कि हाई कोर्ट में आप सेल मुकर्रर करने की बात सोच रहे हैं यह हो नहीं सकेगा क्योंकि, उनका तर्क यह था कि, अगर मैं सही समझा हूं कि हाई कोर्ट आपत्ति इस बात पर करेगा कि जुडिशियरी में यह इंटरफियरेन्स होगा। यह इंटरफियरेन्स नहीं होगा। जज का काम है कि जो उसके सामने फैक्ट्स आयें उन पर अपना फैसला देना और यह जो एजेन्सी काम करेगी यह इन्वेस्टीगेशन का काम करेगी। जज का काम इन्वेस्टीगेशन का नहीं है। तो एग्जीक्युटिव का इसमें इंटरफियरेन्स नहीं है। वह हाई कोर्ट के मातहत इन्वेस्टीगेशन उन केसेज में करेगा जिसको चीफ जस्टिस उसके सुपुर्द कर दें। मुझे माफ करेंगे रामस्वरूप जी, मुझे ताज्जुब हुआ क्योंकि वकील होते हुये उन्होंने ऐसी बात कही। मुझे उम्मीद है कि हमारा हाई कोर्ट इस बात के लिये खुशी से राजी हो जायगा। जो हमारी सी० आई० डी० है, जो डायरेक्टर विजिलेन्स हैं उनसे तो इन्क्वायरी कराने में हाई कोर्ट को आपत्ति है मुझे ऐसा लगता है, फार्मल कोई लेटर तो आया नहीं है लेकिन जो मेरी बातचीत हुई है उससे ऐसा लगता है। उनके पास क्या एजेन्सी है स्वयं इन्क्वायरी करने की। चीफ जस्टिस का यह स्टैंड तो है नहीं कि अगर कहीं करप्शन की शिकायत सबार्डिनेट अफसर के खिलाफ है तो हम इन्क्वायरी नहीं करेंगे। तो इसलिये कि उनकी इन्डिपेन्डेन्स बिल्कुल अक्षुण्ण रहे हम उनके सुपुर्द इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी करना चाहते हैं। तो इसको उन्हें वेलकम करना चाहिये अगर हाई कोर्ट चाहता है कि उनकी इन्टेग्रिटी की रेपुटेशन वैसी ही बनी रहे जैसी कि किसी जमाने में थी।

एक बात यह कही जाती है कि ट्रांसफर, प्रोमोशन हुये हैं करप्शन की बेसिस पर। के० के० सिंह का मामला बतलाया गया कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के। मैं दो, तीन दिन पहले इसका जवाब दे चुका था, लेकिन मालूम होता है कि जिस माननीय सदस्य ने यह आपत्ति उठायी थी शायद नवलकिशोर जी ने, उस समय वे शायद तशरीफ नहीं रखते थे और अगर रखते थे तो आप पर मैं चार्ज लगाऊंगा कि फिर आपने उसको क्यों दोहराया? मैंने जो जवाब दिया था वही मैं कह रहा हूं कि जवाब मेरा यह है कि प्रोमोशन का वक्त आया। अब तीन अफसरों का प्रोमोशन करना है। मान लीजिये कि उनमें से जो सीनियरमोस्ट है उसके खिलाफ एक इन्क्वायरी चल रही है। अभी वह गिल्टी करार नहीं दिया गया है। अगर उसको हम इस वक्त सुपरसीड कर देते हैं तो वह हक बजानिब है यह दलील पेश करने में कि अभी मैं कहां गिल्टी करार दिया गया हूं और अगर आप मुझको सुपरसीड करते हैं तो मैं अपने डिपार्टमेन्ट के दूसरे लोगों की नजरों में और पब्लिक की नजरों में आज ही गिल्टी हो गया। जब उसके खिलाफ केवल इंक्वायरी है। यह पहला केस नहीं है।

श्री नवलकिशोर—

आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि विजिलेंस कमीशन को हम केस तभी देते हैं जब हमें संतोष हो जाता है कि प्राइमाफेसी चार्जेज इस्टैब्लिश्ड हैं।

श्री चरणसिंह—

विजिलेंस कमीशन को वे केस दिये जाते हैं जिनमें सीक्रेट इंक्वायरी की हो। वे स्वयं लिखते हैं कि हम नहीं कह सकते हैं कि यह गिल्टी है। वह इक्वायरी सीक्रेट होती है और उनके

[श्री चरणसिंह]

सामने डाकूमेंटरी एवीडेंस तक नहीं होती। इस पर्टीकयूलर केस में कोई इंक्वायरी हुई या नहीं मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरी बात वहीं की वहीं रहती है कि आदमी गिल्टी करार नहीं दिया गया है, इसलिये उसकी दलील सही है। यह पहला ही केस नहीं है। आप कई केस पायंगे जो अंडर इक्वायरी हैं और उनका प्रमोशन हुआ है। उसकी फाइल पर लिख दिया जाता है कि अगर यह गिल्टी पाया गया तो इसको अलग कर दिया जायगा, लेकिन दूसरा पक्ष यह था कि यह सीनियर मोस्ट है। फिलहाल इसका ट्रांसफर होना चाहिये, मैं सोच रहा हूं ऐसे केसेज में क्या होना चाहिये? मैं केबिनेट के सामने यह प्रश्न ले जा रहा हूं। किसी बिना पर यह कहना कि करप्ट आदमी को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, यह गवर्नमेन्ट के साथ ज्यादती है।

अब रही ट्रांसफर की बात। पांच लाख कर्मचारी हैं। उनमें से हजारों का ट्रांसफर होगा। यह ऐसी चीज है जिसे मैं समझता हूं कि यह सब से बड़ा सिर दर्द है। इसमें न जाने कितने कंसीडरेशन्स सामने आते हैं। मेरे मित्रों को भी इसका तजुर्बा है और वे कठिनाइयां उनके सामने आती रहती हैं। हो सकता है कि कुछ ट्रांसफर कैंसिल हुये हों, कुछ स्टे हुये हों। लेकिन देखना यह है कि पिछली वर्ष की अपेक्षा ज्यादा हुये या कम। मैं माननीय नेकराम जी को फिगर्स दे दूंगा कि कितने ट्रांसफर्स किये गये और कितने कैंसिल किये गये। इसके बाद भी यदि वे कहें कि यह गवर्नमेंन्ट से गलती हुई तो मैं मान लूंगा लेकिन ऐसा नहीं है। एक दफा दो साल पहले १८ पंचायत इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर हुये जिनमें से १४ के कैंसिल हो गये। एक बड़े अफसर ने बताया कि सेक्रेटेरियट से फलां आदमी का बिना डायरेक्टर के पूछे, बिला लिहाज इस बात के कि मुद्दत पूरी हो गई है या नहीं ट्रांसफर हो गया। दूसरे फरीक को पता चल गया। वह दौड़ा हुआ आया और कैंसिल हो गया। पहले वाले को पता चला तो उसका ट्रांसफर स्टे हो गया। बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन मैं अर्ज कर । चाहता हूं कि जो ट्रेडीशन्स मेरे दोस्तों को मिले हैं वे हेल्दी नहीं हैं उनको मिटाने के लिये और राज्य कर्मचारियों के जहन से यह इम्प्रेशन मिटाने के लिये कि ट्रांसफर में सिफारिश नहीं सुनी जायेगी समय लगेगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

बड़ी अच्छी बात माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन एक आध डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ट्रांसफर के सिलसिले में हुआ है। मैं हरदोई की बात कहता हूं। उनकी पहली शिकायत आई है।

श्री चरणसिंह--

बताइयेगा जरूर और मैं कोशिश करूंगा कि इंसाफ हो। एक बात यह कही गई कि रिटायरमेंट एज ५५ डिक्लेअर कर देना चाहिये। मेरे पास एक नोट लिखा हुआ है कि यह तो ५८ के हक में है, ५५ कौन करने जा रहा है। मुझको कोई ऐसा आग्रह नहीं। यह बात ठीक है, जब माननीय सम्पूर्णानन्द चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त डेसिजन हुआ कि ५५ से ५८ कर दिया जाय। कैबिनेट की बात मैं नहीं कहना चाहता, कि मेरे सामने बहुत बड़े डिस्कशन के बाद फैसला हुआ या नहीं, मुझे याद नहीं कि मैं था भी या नहीं। हां, मैंने एक आर्टिकिल लिखा और तमाम दलीलें दीं कि ५८ होना चाहिये। पार्टी ने ऐक्सेप्ट कर लिया। यह डेसिजन हमने किया। उसके छ महीने बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया ने फैसला किया कि ५८ होगा। लिहाजा गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी रास्ता दिखलाया और मेरी दलीलें उनको पसन्द आयीं। इसके बाद फिर मेरे मित्र गुप्ता जी जब मुख्य मंत्री हुए....

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)--

कुछ तारीखें आप गलत बता रहे हैं।

श्री चरणसिंह—

चलिए, इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनकी राय यह थी कि ५५ होना चाहिये। डिसिजन आपके सामने ५५ का हुआ या नहीं, यही कहना चाहता था। मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। ५८ के हक में पार्टी मीटिंग में था यह ठीक है। ५८ होना चाहिये कैबिनेट का फैसला था। फिर ५८ हो गया। चार दफा यह फैसला अदल बदल हुआ। यह फैसला कि ५५ हो या ५८ हो इसके मेरिट्स को छोड़ कर एक बात अर्ज करना चाहता हूं। यह फैसला लोगों के जीवन से वास्ता रखता है। उनके दिल से वास्ता रखता है। राजकर्मचारी एक ह्यूमन मशीन हैं, आइरन मशीन तो नहीं है। आज ५८ है, फिर ५५ हो, फिर ५५ से ५८ हो, और फिर ५५ हो, इससे कितना कनफ्यूजन होगा, कितनी उनके मन में अनसर्टेंटी होगी? अगर ५५ करना मैं मुनासिब भी समझूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मुनासिब नहीं समझ रहा हूं, कैबिनेट में एक पहलू हमारे सामने आया, कि कितने बार उनके मनों और दिलों को उखाड़ा जायगा?

कोई रिएम्प्लायमेंट और एक्सटेंशन नहीं होगा, नेकराम जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया। मैं यकीन दिलाता हूं कि हमारी पालिसी है कि कोई रिएम्प्लायमेंट या एक्सटेंशन ५८ के बाद नहीं होना चाहिये। तीन महीने में एक केस आया है, वह एक्सेप्शन के साथ, वह इंजीनियर ट्रांसपोर्ट वर्कशाप में काम करता था। वरना जितने प्रोपोजल आये, अध्यक्ष महोदय, उनमें नहीं किया।

नेकराम जी ने कहा कि अफसरों ने किराये पर भी मकान ले रखा है और उन का मकान भी है। एसा हो सकता है। एक अफसर ऐसे ही थे, एक मकान में रह रहे थे और अपना मकान भी था। इत्तफाक से उनका ट्रांस्फर भी हो गया। हमको मालूम भी नहीं था। बाद में मालूम हुआ। किराये का मकान उन्होंने खाली कर दिया। इसमें क्या कर्मचारी ही दोषी हैं? हमारे मित्र भी हैं। हमारे पुराने मिनिस्टर भी हैं जिनका मकान मैंने सुना है बहुत अच्छा है। मैंने देखा नहीं है क्योंकि अभी बुलाया नहीं अपने मकान पर चाय पिलाने के लिये और सरकारी मकान में रह रहे ह। मैंने कहा—छोड़ो। ये इतने सारे लोग हैं, मकान नहीं मिल रहा है। उन्हें दिक्कत है। मैंने कहा मकान किराये पर क्यों दे दिया? हम नहीं जानते छोड़िए। इतनी बात अशिष्टता की थी, लेकिन जैसे तैसे निपटारा हुआ है। अफसरों के सामने भी और मेरे मित्रों के सामने भी कठिनाइयां हैं। मकान एक बार दे चुके और कैसे खाली करायें, रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट है। यही कठिनाई अफसरों के सामने भी हो सकती है। किन्तु मैं चाहता पूरी तरह से यही हूं कि जो लोग मकान बनवायें वह किराये के मकान में न रहें।

न्यूज पेपर जो आते हैं, उनको लेकर एक बात यहां पर कही गई, लेकिन फैसला पुराना है। आपही बताएं पुरान कौन कौन से फैसले तोड़े जाएं? इतनी जल्दी इतने तमाम पुराने दोषपूर्ण फैसले कैसे तोड़े जाएं, इनमें तो समय लगेगा। हम परम्पराएं ऐसी तोड़ने के लिये बैठे हैं यह मैं आपके जरिये ऐलान करना चाहता हूं। मैंने इस बारे में मंत्रियों से सलाह किया है और मैं इस वक्त एनाउन्स कर देना चाहता हूं कि आज से जो अखबार मिनिस्टर्स के होंगे, वह उनकी तनख्वाह से काटे जाऐंगे, उनकी पास से उन पर खर्चा होगा। सरकार के पास से उन पर कोई खर्चा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय, यह भी बात कही गई कि अगर यह पापुलर गवर्नमेन्ट है तो इसमें पुलिस-मैनों की क्या जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, पापुलर गवर्नमेंट होते हुये भी जरूरत है, फिर भी जरूरत है। जरूरत क्यों है, अभी बताता हूं। डेमोक्रेसी में भी जरूरत है यह मेरा अनुभव बताता है। अमेरिका जैसे उन्नतिशील और प्रजातान्त्रिक देश में कैनेडी जैसे पापुलर प्रेसीडेन्ट की हत्या की गई है। रूजवेल्ट जैसे पापुलर जो शायद अमेरिका का सबसे अधिक लोकप्रिय प्रेसीडेन्ट था, उसका भी मर्डर हुआ था। यह कैनेडी अमेरिका का पांचवा प्रेसीडेन्ट था

[श्री चरणसिंह]

जिसका मर्डर किया गया है। इन चीजों को देखते हुये पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत है। एक जिम्मेदार व्यक्ति को, मंत्रियों को ऐसे अनेक काम करने पड़ते हैं जिनसे जो ऐंटी सोशल एलीमेंट्स हैं वे उनके खिलाफ हो जाते हैं जिससे प्रोटेक्शन पाने के लिये इस चीज की बड़ी जरूरत है। अभी कुछ समय पहले चीफ सेक्रेटरी साहब के मकान में चोरी हो गई, जिसमें दो फाइलें भी चली गईं, जो बहुत ही गोपनीय थी। इस पर मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा कि आप अपने घर पर पुलिसमैन रखिये, क्योंकि आपको बहुत जिम्मेदारी के काम करने पड़ते हैं और बड़े महत्व की और कांडफिडेंशियल फाइलें आपके घर पर आया करती हैं फिर भी वह तैयार नहीं हो रहे थे, तो मैंने एक तरह से आदेश देकर उन्हें इस बात के लिये राजी किया।

मेरे भी घर पर आई० बी० वाले दो आदमी रहते हैं। मुझे उनका रहना बड़ा अखरता है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। लेकिन मुझे बताया गया है अधिकारियों के द्वारा कि आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है बहुत दिनों तक। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। तो मैं ऐसी हालत में मजबूर हूं कि न चाहते हुये भी उन्हें रखूं।

एक मेरे माननीय मित्र ने कहा कि विजीलेंस कमीशन ने एक मामला रेकमेंड किया है सस्पेंशन का, लेकिन सस्पेंड से हटाकर रिटायरमेंट हो गया है। हो सकता है हुआ हो, तो ऐसा करना ही आवश्यक समझा गया होगा। लम्बा मामला चले, काफी खर्च हो, काफी आगे का काम रुका रहे—इन चीजों को एवाइड करने के लिये, और इस पर भी जरूरी नहीं कि वह पनिश ही हो, वह छूट भी सकता है, ऐसी स्थिति में अफसर ने कहा है कि मैं रिटायरमेंट सीक करता हूं तो क्या हर्ज है कि उसे रिटायरमेंट दे दिया जाए। गवर्नमेंट को ऐसी बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी कि मुकदमे चले, हजारों रुपया खर्च हो गया फिर भी उसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो हो सकता है कि ऐसा केस हुआ हो, लेकिन मुझे उसके बारे में याद नहीं है। फिर भी मैंने इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे एक मित्र ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी पहले से ज्यादा हावी हो गयी। यह तो अपना अपना ख्याल है। इस तीन महीनों में बजाय ब्यूरोक्रेसी के लगाम लगने के वह ज्यादा हावी हो गयी यह बात किसी की समझ में आने वाली नहीं है। उधर से ही एक दूसरे मित्र ने कहा कि जो आपने यह कर दिया, सस्पेंड कर देने से उससे इस तरह से कहीं डेमोक्रेसी डिमारिलाइज न हो जाए, तो कौन सी बात दोनों में ठीक है? एक तरफ तो कहा जाता है कि वह आंतकित हो गये हैं और दूसरी तरफ डिमारिलाइज हो गये हैं। यह मैं उन दोनों मित्रों पर छोड़ता हूं कि वे यह बता दें कि कौन सी बात ठीक है।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि अगर आपने सस्पेंशन कर दिया तो हो सकता है कि बाद में वह इंनोसेंट साबित हो जाय और वह फिर रिइंस्टेट होगा और फिर गवर्नमेंट का बहुत खर्चा हो जायेगा। तो इसलिये सस्पेंशन नहीं करना चाहिये जब तक बहुत बड़ा सबूत न हो। अध्यक्ष महोदय, मैं इस ऐप्रोच से सहमत नहीं हूं। यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। यह ठीक है कि किसी को अन्तिम सजा नहीं दी जाती है तो जब तक जुर्म साबित न हो जाय तब तक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अन्तिम सजा देना नहीं चाहिये, लेकिन जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन का संबंध है अदालत में जिस तरह से सोना तौला जाता है रत्ती रत्ती करके वह यहां हो नहीं सकता। मान लो एक आदमी कंसालिडेशन में काम करता है, उसके खिलाफ यह शिकायत है कि वह रिश्वत लेता है। अब दो रास्ते हैं कि या तो हम उसे सस्पेंड कर दें और दूसरा यह है कि उसके खिलाफ इन्क्वायरी हो और उसको साल भर तक रखा जाय और अगर साल भर रहे और रिश्वत लेता रहे। अब इन दोनों कोर्स में चूज करना है और इसीलिये कि दूसरा रास्ता ज्यादा खतरनाक है मैंने जब मेरे पास रेविन्यू डिपार्टमेंट था मैंने आफिसरान से कहा था कि अगर आप मारली कंविंस्ड हो जायं कि यह आदमी गिल्टी है तो उसको नोटिस देकर अलग कर दो।

इससे यह तो होगा कि तत्काल एक ही आदमी को तकलीफ पहुंची और अगर कहीं गुनाहगार हुआ और दो साल तक रिश्वत लेता रहा तो हजारों आदमियों को तकलीफ होती रहगी। इसलिये इसमें जुडीशियल वाली बात से ज्यादा हल निकलने वाला नहीं है कि सबूत नहीं है इसलिये सस्पेंशन न करो। नहीं, इतना स्ट्रिक्ट ऐप्रोच नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्तों ने कहा कि मिनिस्टरों ने टूर किये। बड़ा फैवरिट मजमून था। दलीलों की जब कभी होती थी तो हर एक ने कहना शुरू किया कि मिनिस्टर्स ने टूर किये बहुत ज्यादा। मुझे एक अंग्रेजी की बात याद आती है कि let the facts speak for themselves वाकयात को अपनी कहानी खुद कहने दो। जून की बात तो म छोड़े देता हूं। जून में जितने टूर हुये होंगे उनके बिल नहीं आये होंगे, लकिन अप्रैल और मई में इस साल और पारसाल इन्हीं महीनों में जो खर्चे हुये हैं उनका आंकड़ा आपकी इजाजत से रखे देता हूं। अप्रैल सन् ६६ में जो मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज पर खर्च हुआ था वह था ३४,४७५ रुपये और अप्रैल सन् ६७ में १०,३०६ रुपये हुये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

यह जो १० हजार रुपया है इसमें वह सब भी इन्क्लूडेड है जो असेम्बली पासेज द्वारा वे ट्रेवल करते हैं ?

श्री चरणसिंह—

वह तो मेम्बरान असेम्बली की बात है, इसमें मेम्बरान असेम्बली का शामिल नहीं है। मेम्बरान पिछले साल भी उतने थे जितने कि इस साल हैं, लेकिन यह तो मिनिस्टर्स जो जाते हैं वह तो एम० एल० ए० होकर नहीं जाते हैं उनका बिल आता है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

पिछले वर्ष मिनिस्टर्स का असेम्बली को पास नहीं मिलता था, लेकिन इस वर्ष मुझे सूचना है कि मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स को पास मिलता है।

श्री चरण सिंह—

इससे क्या अन्तर पड़ा ? मिनिस्टर्स ने जो टूर किया है तो मिनिस्टर्स उसमें पास वाले हैं ही नहीं उनका तो बिल आता है वह दिया जाता है। उसमें पास अगर होगा तो उसका खर्चा कटता होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं कटता है और क्या माननीय गुप्ता जी कैटेगरिकली कहने को तैयार हैं कि पिछले साल नहीं कटता था अब की कटता है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मेरी जितनी सूचना है वह यह है कि पिछले वर्ष न तो मिनिस्टर्स को असेम्बली का पास मिला हुआ था, न डिप्टी मिनिस्टर्स को पास मिला हुआ था और न पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज को ही पास मिला हुआ था। जब कि इस वर्ष मिनिस्टर्स को, डिप्टी मिनिस्टर्स और पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज को पास मिले हुये हैं और उसी से वे जाते हैं।

श्री चरण सिंह—

वह तो मैंने माना कि पास मिले हुये हैं। मैं तो यह जानना चाहता हूं माननीय गुप्ता जी से कि जो मिनिस्टर्स हैं वह एम० एल० ए० भी हैं और उनको पास मिला हुआ है, तो क्या उनके टी० ए० में यह कट गया है ? मेरा ख्याल है कि नहीं कटा है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मेरा कहना यह है कि वह असेम्बली के खर्चे में आता होगा।

श्री चरण सिंह—

नहीं ऐसा बात नहीं है। इसको मालूम करके मैं कल बतला दूंगा।

(व्यवधान)

अबकी बार यह खर्चा ११,८१३ रुपये हुआ जब कि पिछले साल १४,२१८ रु० था। दोनों महीने का टोटल पिछले साल जहां ४८,६९३ रु० था वहां इस साल दोनों महीने का टोटल २६,५७४ रु० है। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता.....

श्री केशव देव—

क्या यह खर्चा उस समय का है जब कि माननीया सुचेता कृपालानी जी यहां की मुख्य मंत्री थीं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

हरियाना जी, इस तरह से बैठे बैठे बीच बीच में आवाज लगाना अनुचित है। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं बैठ रहे हैं तो आपको ऐसा आग्रह नहीं करना चाहिये।

श्री चरण सिंह—

मैंने तो यह नहीं कहा कि गुप्ता जी की मिनिस्टरी थी। मैंने तो पिछली गवर्नमेन्ट का नाम लिया था। गुप्ता जी ने उसकी जिम्मेदारी अपने उपर ओढ़ ली इसलिये मुझे यह बात कहनी पड़ी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जो आप कम्पेरिजन कर रहे हैं वह सही नहीं है, इसलिये मैंने उसे प्वाइंट आउट किया।

श्री चरण सिंह—

पहली बात तो यह है कि माननीय गुप्ता जी कैटेगरिकली यह कहने को तैयार नहीं हैं कि वह काटा गया। मेरा ऐसा खयाल है कि वह नहीं कटा है। मेरी बात तो वहीं की वहीं रही। आपने जो दलील दी उसमें उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ओढ़ रहे थे।

श्री अध्यक्ष—

आप माननीय नेता विरोधी पक्ष की ओर न देख कर घड़ी की ओर देखें।

श्री चरण सिंह—

एक बात यह कही गयी कि सेक्रेटेरियट में कोई इकोनामी नहीं की गयी। की गयी है, उसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखता हूं। कुछ पद कम भी किये गये हैं।

९ पोस्टों में ओ० एस० डी० पेटीशन्स, सोशल वेलफेयर की एक पोस्ट एबालिश की गयी। ओ० एस० डी० की एक पोस्ट इन दि हरिजन ऐंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी, जी० ए० डी० (आर०) एबालिश की गयी। सेक्रेटरी सर्वे टीम ऐंड डिप्टी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ऐंड प्लानिंग, यह पोस्ट एबालशि की गयी। स्पेशल सेक्रेटरी, फेमिली प्लानिंग की पोस्ट एबालिश की गयी। कंट्रोलर वेट्स ऐंड मेजर्स यहीं से अटैच्ड थे, वह पोस्ट एबालिश की गयी। आर्गनाइजेशन मेथड्स आफ सर्विसेज, इनकी दो पोस्ट एबाशिल की गयीं। इंस्पेक्टर आफ आफिसेज जो यहीं से अटैच्ड थे, उनकी पोस्ट एबाशिल की गयी। इस तरीके से करीब साढ़े ११ हजार रुपये महीने की इकोनामी सेक्रेटेरियट में की गयी है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र ने आंकड़े दिखलाते हुए कहा कि खर्चा बहुत बढ़ा है, लेकिन आपको यह भी तो देखना चाहिये डी० ए० की वजह से यह खर्चा बढ़ा है। तनख्वाह तो

उतनी ही है, एलाउन्सेज की वजह से पिछले साल की अपेक्षा अधिक खर्चा बढ़ा हुआ दिखलाई देता है। इसके अलावा नार्मल एनुअल इन्क्रीमेंट की वजह से भी खर्चा बढ़ा है। इसको बढ़ा हुआ खर्चा नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह तो हमेशा दिया जाता है।

मैं केवल दो तीन बातें कह कर ही खतम कर दूंगा। मेरे किसी माननीय मित्र ने कहा कि यह गवर्नमेंट ही फ्राड है। फ्राड उनको इस मामले में दिखलाई देता है कि गवर्नमेंट नहीं, माया है। अब से तीन महीने पहले हमारी जनता और लोगों को यह शक हो गया था कि कोई ऐडमिनिस्ट्रेशन यू० पी० में है भी या नहीं, क्योंकि हर जगह यही सुनने को मिलता था कि बहुत खराबी ऐडमिनिस्ट्रेशन में है। माननीय नेकराम जी ने और दूसरे मित्रों ने भी बतलाई थी और मैं भी उन सब बातों को तसलीम करता हूं, लेकिन यह भी इसके साथ फैक्ट है कि हम नया एप्रोच आपके सामने नहीं ला पा रहें हैं, नया नक्शा आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कभी दावा नहीं किया था कि यहां पर स्वर्ग हो गया। मैंने यह कभी नहीं कहा था कि यहां पर ऐडमिनिस्ट्रेशन बिलकुल शुद्ध हो गया है सिवाय इसके कि जो ऐक्शन ले सकते थे वह किया। अगर वर्षों काम करेंगे तब जाकर कुछ काम संभव हो सकेगा और यह सिच्वेशन आ सकती है कि कुछ थोड़ा सा संतोष हो। आप भी अगर सुधार करना चाहें तो क्या तीन महीने में सुधार कर सकते हैं। हथेली पर सरसों नहीं उगाई जा सकती है। मेरा दावा नहीं है। मैं अपनी कमजोरी मानता हूं कि तीन महीने में और बेहतर काम हो सकता था। मेरे दोस्तों को भी शिकायत है और उन्होंने यह बतलाया है कि यह नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि कुछ अन्दर पड़ा है। पोलिटिकल अपोजीशन का मतलब यह नहीं होता है कि मुखालिफ सही बात को भी स्वीकार न करे। जिन मित्रों ने इस बात को कहा है मेरा उनसे निवेदन है कि मैं इस बात के लिये तैयार हूं कि सब जगह जायं और देखें, जहां हजारों की मीटिंग होती है चाहे वह रिक्शा वाले हों, या हाईकोर्ट के वकील हों, चाहे गांव वाले हों, वह क्या कहते हैं। उनसे पूछ लें कि वह क्या कहते हैं? यह मैं उनके जजमेंट पर ही छोड़ता हूं। आज जनता इस बात को तसलीम करती है कि फर्क पड़ा है और नुमांया फर्क पड़ा है।

एक बात यह कही गई कि प्राइस कंट्रोल नहीं हुआ। पहली बात यह है कि हमको यह देखना चाहिये कि प्राइस पहले कितनी थीं और आज क्या हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है।

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि १५ मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आज के कार्यक्रम में और भी काम ५ बजे के बाद लगा हुआ है। मुझे चाहिए था कि ४॥ बजे प्रस्ताव पर मत का कार्य शुरू कर देता।

श्री चरण सिंह—

माननीय गौतम जी ने अपनी स्पीच में यह कहा कि आफिसर्स का करप्शन आप रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पोलिटिकल करप्शन के मुतालिक आप क्या कर रहें हैं। उन्होंने इस तरफ ध्यान दिलाया। दरअसल कल ही मुझे कहना चाहिये था, लेकिन अब मैं उस बात को कहे देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इसी सिलसिले में एक बयान भी दे चुका हूं अखबारों में पहले निकल चुका है। उसके सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जो करीब करीब तैयार है, और सरकार उस पर विचार कर रही है कि जो पोलिटिकल करप्शन है उस के मिटाने के लिये, उसकी तहकीकात करने के लिये, तफतीश के लिये और उसका निर्णय करने के लिये क्या तरीका अख्तियार किया जाय। इस डेमोक्रेसी में जो पुलिस और उसके आफिसर्स हैं इस गवर्नमेंट के मातहत। वे ही कल दूसरी गवर्नमेंट के मातहत काम करते हैं और उन से यह कहना कि तुम फलां आदमी की तहकीकात करो, मैं समझता हूं कि यह उन के साथ अन्याय है, अनफेयर है। इसलिये जो मौजूदा पुलिस और एडमनिस्ट्रेटर्स हैं उनसे मैं यह काम नहीं लेना चाहता और एक तो यह अनफेयर है और

[श्री चरण सिंह]

उसके साथ ही दूसरी पार्टी के लोगों को यह शक हो सकता है कि वह ठीक से तहकीकात भी करेगा या नहीं। कैबिनेट के मेम्बर्स की तहकीकात या, एम०एल०एज० की तहकीकात या जिला परिषद् के अध्यक्ष की तहकीकात जो सारे ही पोलिटिकल लोग हैं, जिन के नीचे वे कभी न कभी काम कर चुके हैं, उन की जांच वे ईमानदारी से करेंगे इस में शक हो सकता है। तो इसलिये हमने यह तय किया है कि कानूनी मशविरा लेकर इस काम के लिये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी कायम की जाय जो कि गवर्नमेंट के मातहत न हो। मान लो कि हमने एक आफिसर आज मुकर्रर कर दिया और ६ महीने सालभर या ५ सा यह मिनिस्ट्री रहती है और उस के बाद दूसरे लोग आ जाते हैं। तो हो सकता है कि सही या गलत, उन अफसरों की शिकायत उनको हो जो नये लोग सरकार में आये हैं, जिन्होंने ही उन की तहकीकात किसी वक्त में की है। तो यह उन के लिये बड़ा एम्बैरसिंग होगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं आप को, मुख्य मंत्री जी बता दूं कि ५ बजे से पहले मुझे वोटिंग कार्यवाही कर लेनी आवश्यक है।

श्री चरण सिंह—

सही है। मैं दो मिनट में खत्म कर दूंगा। लिहाजा हमने एक इंडिपेंडेंट इंवेस्टिगेशन एजेंसी कायम करने की बात सोची है जिस को गवर्नर मुकर्रर करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से, उनसे मशविरा ले कर और वह गवर्नमेंट के मातहत न होगी। उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जा सकेगा लेजिस्लेचर के २/३ की राय से पास हुये किसी रेजोल्यूशन पर। अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास हो जाय तो गवर्नमेंट उन के खिलाफ ऐक्शन ले सकती है। लेजिस्लेचर में कोई भी पार्टी आ जाय, वे इंडपेंडेंट होंगे तहकीकात करने में खाह वे लोग जिनकी वे तहकीकात कर रहे हैं इधर के हों या उधर के हों। तो यह इंडडिपेंडेंट ऐजेंसी होगी। इस के साथ ही बहुत सी झूठी दरख्वास्तें आ जाती हैं। उन पर विचार करना और उन की तहकीकात करना बेकार होता है इसलिये हमने तय किया है कि चीफ जस्टिस के मातहत एक पैनल होगा जो उन दरख्वास्तों पर विचार करेगा। यह सर्विंग जजेज का पैनल होगा। और उसे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के मशविरे से नियुक्त किया जायेगा। उसमें वे तय करेंगे कि किस दरख्वास्त को फरदर इंवेस्टिगेशन के लिये भेजा जाय और जब उसके बाद उस इंडिपेंडेंट एजेन्सी की रिपोर्ट उस पर आ जायगी तब सर्विंग जजेज का एक कमीशन होगा जो उस पर निर्णय करेगा और वह निर्णय सभी को मान्य होगा। चूंकि वक्त कम है इसलिये मैं इस समय इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे लोकपाल और लोक आयुक्त से यह परपज सर्व नहीं हो पा रहा है। आज जो पालिटीशियन्स हैं उन पर झूठे इल्जाम भी हैं, सही भी हैं और हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनके लिये क्या किया जाय। इसलिये हम ने इस दिक्कत को इस तरह से तय करने का फैसला किया है और इस के लिये हम कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय इन शब्दों के साथ मैं यह उम्मीद करता हूं कि माननीय सदन इस ग्रान्ट को मंजूर करेगा और उसे इस ग्रान्ट को मंजूर करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये और इसके साथ ही मैं अपने नौजवान मित्र से दरख्वास्त करूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न उपस्थित करने से पहले मैं एक बात बतला दूं कि जो स्यगन आदि की सूचनायें मैं दिया करता था साढ़े चार बजे, चूंकि उस समय नेता सदन का भाषण हो रहा था इसलिये वह मैं अब बाद में लूंगा। शेष कार्यक्रम भी बाद में लूंगा और अगर इस बीच में जो कार्य मैं आरम्भ कर

रहा हूं प्रश्न उपस्थित करने का, अगर उसमें ५ बजे से अधिक समय लग जाय तो मैं समझता हूं कि उसके लिये सदन की अनुमति है ।

(किसी के आपत्ति न करने पर)

तो ठीक है । उस समय तक के लिये सदन का समय बढ़ा हुआ माना जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान संख्या १० के अधीन मांग को राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १०–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त १,९८,५८,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ११ के अधीन मांग को राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या ११--आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ८,००,१२,३०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

देवरिया जिले में गंडक नदी का बांध टूट जाने से क्षति के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब मेरे पास नियम ५१ के अन्तर्गत ५ सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें मैंने एक को स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है--

"असाधारण वर्षा के कारण गंडक नदी देवरिया का बांध ग्राम मधुवनी के सामने टूट गया है । फलस्वरूप हजारों एकड़ जड़हन धान की फसल आदि पूर्णतया डूब कर नष्ट हो गयी । पानी अब भी बढ़ोत्तरी पर है । दो गांवों के लिये खतरा उत्पन्न हो गया है । एक लाख से अधिक का गल्ला जो करीब १५–२० दिनों में ही तैयार होने वाला था पूर्णतया नष्ट हो गया है ....।

श्री मुंशीलाल चमार (जिला मैनपुरी)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि वह इस व्यवस्था के प्रश्न को उठा कर स्वयं अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं। अगर व्यवस्था को मानिये तो जिस समय मैं बोल रहा हूं आपका खड़ा होना अनुचित है। आप बैठ जाइये पहले।

"सारे जनपद की जनता में इस बांध के टूटने से घोर भय एवं असंतोष उत्पन्न हो गया है। स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है।" यह माननीय रामनरेश पांडेय और अश्वनीकुमार शुक्ल ने दिया है। माननीय सिंचाई मंत्री अगर इस समय वक्तव्य के लिये तैयार हों तो.....

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वर प्रसाद)—

अभी समय बहुत कम है शुक्रवार को ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

तो शुक्रवार को लिया जायगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

एक निवेदन करना चाहता हूं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ-जोशीमठ मार्ग पर एक जीप गिर गयी परसों, जिसके कारण ए० जी० एम० बलबीरसिंह, सुखीसिंह और शेफर्ड की मृत्यु हो गयी। अखबारों में आज आया, तो मैं चाहता हूं कि मंत्री जी जांच की रिपोर्ट मंगवा कर एक बयान दे दें।

श्री अध्यक्ष—

उग्रसेन जी, मुझे दुख है, आपको भी दुख है, लेकिन जो घटना है उसमें मेरे पास जो सूचना भेजी है उसमें कहीं आपने नहीं लिखा है कि इसमें सरकार की कोई अवहेलना, उदासीनता या कोई किसी किस्म की चूक है, सरकार को फलां काम करना चाहिये था वह बात नहीं की। कोई घटना हो गई और सरकार का कोई संबंध आप स्वयं बताते नहीं हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी मैंने उनको मंत्री जी को भेज दिया है आवश्यक कार्यवाही के लिये। वह अगर आवश्यक समझें तो वक्तव्य दे दें, मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री उग्रसेन—

जितनी सूचना आयी थी वह भेज दी थी। अब जो सदन को आप सूचना दिलाना चाहें वह दिला दें, यह आपका कर्तव्य है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने उसे मंत्री जी के पास भेज दिया है।

कतिपय विषय

श्री मुंशीलाल चमार (जिला मैनपुरी)—

मान्यवर, १५ तारीख को मैंने जो सदन में अपना भाषण दिया था वह रत्ती रत्ती सही था। लेकिन विधान पुस्तकालय में मैंने एक अखबार में यह पढ़ा कि मुंशीलाल चमार ने दूसरा दल बना लिया है। मैंने ऐसा कोई दल नहीं बनाया है और मैं अभी भी संयुक्त विधायक दल का सदस्य हूं.....

श्री अध्यक्ष—

कुछ गलतफहमी मालूम होती है, आप कृपया बैठें। मुंशीलाल नाम के दो सदस्य हैं। जिन्होंने अलग दल बनाया है, वे श्री मुंशीलाल जौहरी हैं (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य आस पास बैठे रहते हैं उनको सहयोग देना चाहिये न कि वे उनको दूसरी राय दें। अखबार

में क्या छपा है यह मैं नहीं जानता। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अखबार की प्रति मुझे भेज दें, अगर उसमें गलत छपा है तो मैं उसमें संशोधन करने की व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन जो मैंने सदन में घोषणा की थी वह ठीक थी वह श्री मुंशीलाल जौहरी के बारे में ही थी।

(श्री रमा शंकर अग्रवाल के कुछ कहने पर)

माननीय रमाशंकर जी, व्यवस्था के प्रश्न पर जो बात आप कहने जा रहे हैं वह मेरी समझ में आ चुकी है, कृपया कानून को अपने हाथ में लेकर इस तरह खड़े हो जाना उचित नहीं था। सदन का कार्य शान्तिपूर्वक हो इसमें आप कृपया सहायता दें। सदन आज का कार्य करीब-करीब समाप्त कर चुका है, एक चर्चा होना बाकी है....

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष—

नियमों के अन्तरर्गत एक ही प्रस्ताव एक ही दिन में स्वीकृत हो सकता है उसके बाद दूसरे पर चर्चा नहीं हो सकती।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बेश्वर प्रसाद)—

श्रीमन्, ५ बज चुके हैं अब अगला आईटम लिया जाय। इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी, अभी मैंने कहा कि इसके बाद दूसरा कार्यक्रम बाकी है और उसमें सदन की अनुमति प्राप्त थी। जो कार्यक्रम मैंने कहा था कि लूंगा उसमें अनुमति आ गई है।

(श्री नवलकिशोर का नाम पुकारे जाने पर)

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न का है।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था नहीं होती है।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद—

मेरी व्यवस्था पर कृपया आप व्यवस्था दें। ५ बज चुके हैं। अब आप ५ बजे के बाद का कार्यक्रम ले लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण, यह आपको तय करना है कि किस तरह से आपको कार्यवाही का संचालन करना है। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब इस प्रकार से सदन में दोनों ओर से व्यवधान होते हैं माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने जो प्रश्न उठाया है कि एक प्रश्न बाकी है। मेरे विचार में सदन की अनुमति है कि कार्यवाही चले।

श्री नवल किशोर—

माननीय, मैंने यह अर्ज किया कि अभी आपने फरमाया कि रमाशंकर जी ने एक प्रश्न उठाकर कानून को अपने हाथ में लिया। उन्होंने बनारसी दास जी का नाम लेकर बातें कहीं या तो उस हिस्से को प्रोसीडिंग में से कटवाइये या माननीय बनारसी दास जी से उसके उत्तर के लिये कहें।

श्री उग्रसेन—

जो प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उठाया, उन्होंने नाम ले लिया बनारसी दास जी का। सदन की परम्परा है कि उनका नाम नहीं लेना चाहिये। उनको माननीय सदस्य बुलन्दशहर कहना चाहिये। यह सदन की परम्परा है। अगर इस तरह से सदस्यों के काम के अन्जाम में कोई दखलअंदाजी होती है, चाहे वे बनारसी दास हों या उग्रसेन हों, उसका अन्जाम क्या होता है ? मैं एक छोटी सी व्यवस्था इस सम्बन्ध में पढ़कर सुना देना चाहता हूं सदन के समक्ष—

"Conduct not amounting to a direct attempt to influence a member in the discharge of his duties but having a tendency to impair his independence in the future performance of his duty will also be treated as a breach of privilege."

यानी कोई सदस्य अगर किसी के कर्तव्य पालन में दखलअंदाजी करेगा तो विशेषाधिकार का प्रश्न उसके खिलाफ उठाया जायेगा।

"That is a gross breach of the privilege of this House in the coming to, or the going from, the House, and to endeavour to compel members by force to declare themselves in favour of, or against any proposition then depending or expected to be brought before the House."

यानी बनारसी दास जी यह कहें कि इधर वोट देते हैं या उधर वोट देते हैं। मैं माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में यही सलाह दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं नहीं समझता कि कौन सा तरीका है कि सब लोग एक दम से खड़े हो कर कहने लगते हैं। इससे बड़ी कठिनाई होती है। माननीय उग्रसेन जी ने जो पढ़कर सुनाया उसके लिये मैं अनुगृहीत हूं। उग्रसेन जी यहां सलाह दे रहे हैं, अच्छा तो यह हो कि वह एक स्कूल खोल दें, लेकिन शायद आप उसमें थोड़े दिन ही पढ़ा सकें।

सहकारिता विभाग के पदाधिकारी के विरुद्ध सतर्कता आयोग द्वारा जांच के विपरीत पदोन्नति देने के संबंध में १२ जुलाई, १९६७ के तारांकित प्रश्न ५–६ पर नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा

*श्री नवल किशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, १२ जुलाई को २ सवालों के उत्तर माननीय सहकारिता मंत्री ने दिये। संक्षेप में प्रश्न यह था कि क्या श्री के० के० सिंह सहकारिता विभाग में डिप्टी रजिस्ट्रार बनाये गये हैं। उत्तर दिया गया, जी हां। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या उनके खिलाफ आरोप लगाये गये थे जो विजीलेंस कमीशन में हैं। उसका जवाब भी जी हां, मिला कि विचाराधीन है। इस पर कुछ अनुपूरक प्रश्न हुए। मुझे दुःख है कि सहकारिता मंत्री ने सही वाकयात हाउस के सामने पेश नहीं किये। उन्होंने ३, ४ लाइन का भूतपूर्व सहकारिता मंत्री का आर्डर जो उसके आगे है वह नहीं पढ़ा। उन्होंने जानबूझ कर चीजों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छिपाया। मैं संक्षेप में श्री सिंह के बारे में बताना चाहता हूं। यह सहकारिता विभाग में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। कई जिलों में इन्हें रहने का मौका हुआ। फैजाबाद, बाराबंकी, फतेहपुर, गाजीपुर वगैरह में यह रहे। जहां कहीं यह गये इनकी सौभाग्य से या दुर्भाग्य से शिकायतें आईं। जब यह फैजाबाद में थे तो आज के मंत्री और उस समय के शायद उप मंत्री श्री जयरामवर्मा और श्री राजबहादुर द्विवेदी के कुछ आरोप उनके खिलाफ सरकार को भेजे थे। सन् १९६४ में इनका मामला विजीलेंस कमीशन में गया। तत्कालीन सहकारिता मंत्री ने इनको फैजाबाद से हटाकर वाराणसी भेजा। वहां इनके खिलाफ फिर चार्ज आया कि इन्होंने सुपरवाइजर को अपने पर्सनल फार्म में इस्तेमाल किया है। जब यह फतेहपुर में थे तो इन्होंने वहां के डी० एम० के खिलाफ स्कैन्डलस पेपर छपवाकर बंटवाया और जब उस की जांच हुई तो कहा कि इनके नाम का कोई दूसरा आदमी है, जिसका नाम था कोतवाल सिंह। इसी तरह से गाजीपुर में भी शिकायतें थीं। सी० आई० डी० की जांच इनके खिलाफ फाइल पर है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ कई सालों से आरोप लगाये जाते रहे हों और जिसका मामला विजीलेंस कमीशन में हो और जिसके खिलाफ सी० आई० डी० की इन्क्वायरी हो, वे सब चीजें फाइल पर हों, और जब उनके प्रोमोशन का समय आया तो उस समय के रजिस्ट्रार ने सहकारिता मन्त्री को नोट लिखा कि इनको प्रोमोट कर दिया जाय, लेकिन जब सहकारिता मंत्री की सेक्रेटरी से बात हुई तो उन्होंने ये सब बातें सोचते हुए प्रोमोट नहीं किया। इस बात को जानबूझ कर छिपाया गया। मेरा गंगाभक्त सिंह पर यह कोई चार्ज नहीं है कि उन्होंने जात-बिरादरी के आधार पर या किसी संबंध के कारण इनका प्रोमोशन किया है। मेरा कहना है कि यह जो क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य मंत्री जी का डिंडोरा है वह क्या है? मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि हम विजीलेंस कमीशन में किसी मामले को तभी देते हैं जबकि प्राइमाफेसी केस हो। मंत्री जी ने तथ्यों को छिपाया। इनकी पदोन्नति बिलकुल पक्षपातपूर्ण और नियमों के विरुद्ध है। मुख्य मंत्री जी के डिंडोरे को इन्होंने धो दिया। उनके खिलाफ चार्जेज में तो मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि इनके ऊपर कई चार्ज हैं। मकान के बनवाने का चार्ज है, २-२ मकान बनवाने का चार्ज है, कोयले के वितरण का सवाल है, अनेक भ्रष्टाचार के चार्ज हैं, हैसियत से ज्यादा खर्चा मकान बनवाने में किया है। इन शब्दों के साथ में माननीय सहकारिता मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे सच्ची बात सदन के सामने रखें और आप से भी यह आग्रह करूंगा कि आप उनको आदेश दें कि वे हाउस के सामने सही वाकयात रखें।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी को उत्तर के लिये बुलवाने के लिये पहले मैं संबंधित नियम पढ़ देना चाहता हूं। नियम इस प्रकार है —

"४९ (५)–सदन के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव न होगा और न मत लिये जायेंगे। जिस समय सदस्य ने सूचना दी हो वह एक संक्षिप्त वक्तव्य द्वारा उस विषय का पुरःस्थापन करेंगे। (माननीय नवल किशोर जी यह कर चुके) संबंद्ध मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। (यह मंत्री जी को करना है) तत्पश्चात् अध्यक्ष अन्य सदस्यों को किसी तथ्य-विषय के अतिरिक्त स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे। विषय पुरःस्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और संबद्ध मंत्री के अन्तिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायगी।"

इन बातों को ध्यान में रख कर आपको बोलना है। इन सबके लिये आधा घंटे का समय है। इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दें।

*सहकारिता मंत्री (श्री गंगाभक्त सिंह)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, नवल किशोर जी ने दो बातें कहीं। एक बात तो यह कही कि यह जो पदोन्नति की गयी है वह नियम विरुद्ध की गयी है। दूसरी बात वह कह गयी कि माननीय भूतपूर्व सहकारिता मंत्री ने उनके संबंध में अपना कोई मत दिया था, और उनके खिलाफ जांच हो रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसका प्रमोशन ही रोक दिया जाय। कई बार विजिलेंस की कार्यवाही ससपीशन के ऊपर भी चालू हो जाती है, अतः उनके प्रमोशन का प्रपोजल स्वीकार कर लिया गया। जहां तक नियम के विरुद्ध कहा गया है, इसके सम्बन्ध में नियम इस प्रकार हैं कि जब कभी भी कोई वरिष्ठ अधिकारी अवकाश पर जाता है या उस विभाग के बाहर कहीं उसकी नियुक्ति होती है तो ऐसी स्थिति में जो अकस्मिक रिक्त होती है उसके बारे में नियम यह है कि अगर वह वैकेन्सी दो माह से ज्यादा चलने वाली है तो कार्य की हानि बचाने के लिये उससे नीचे के अधिकारी को सीनियारिटी के आधार पर और योग्यता के आधार पर, नियुक्त कर दिया जाता है। यह नियुक्ति बिलकुल अस्थायी होती है और अगर आगे यह नियुक्ति ६ महीने से ज्यादा चलने वाली होती है तो लोक सेवा आयोग को इसे भेजना पड़ता है। उनकी स्वीकृति के बाद आगे की कार्यवाही होती है।

जहां तक इसका सवाल है हमारे विभाग के दो उप-निबंधक---श्री छोटेलाल और श्री सिद्दीक बाहर गये। एक की नियुक्ति हुई जनरल मैनेजर नयाबाजार लखनऊ और दूसरे की नियुक्ति हुई जनरल मैनेजर, नया बाजार, इलाहाबाद के पद पर। ये दो स्थान रिक्त हुए। इनके बारे में यह स्पष्ट था कि ये स्थान दो महीने से अधिक चलेंगे इसलिये इन दोनों स्थानों के लिए, वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर दो सहायक निबंधकों की नियुक्तियां की गयीं---(१) श्री वैश्य और (२) श्री के० के० सिंह। श्री वैश्य, वाराणसी में थे और श्री के० के० सिंह, हैड क्वार्टर में थे। इस पर प्रश्न किया गया कि इनकी नियुक्त नियम विरुद्ध हुई। प्रश्न होने के बाद भी मैंने इस बात का पता लगाया कि क्या जिसके खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही हो तो क्या उसकी नियुक्ति किसी ऊंची जगह पर नहीं की जा सकती? लेकिन मुझे यह स्पष्ट रूप से बताया कि ऐसा कोई नियम नहीं है। और एक विषय भी ऐसा मालूम पड़ता है कि अगर किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी है जिनका कि आरोप पत्र सामने नहीं आया है और वह इंक्वायरी भी सन् १९६४ से चल रही है यानी ३ साल पहले से। जिस अधिकारी की नियुक्ति हो सकती है और नियमानुसार जिसके रिटायरमेंट में एक साल बचा हो उसके खिलाफ कितना अन्याय होगा अगर सन्देहमात्र के आधार पर, जिसके खिलाफ और न आये हों उसकी पदोन्नति रोक दी जाय। जैसा कि आज मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अपराध सिद्ध होने के पहले ही अपराधी घोषित करना उचित न होगा।

जहां तक योग्यता का सवाल है, तो वह योग्यता के विचार से ठीक थे और कोई बात ऐसी नहीं थी कि उनके खिलाफ कोई बात हो इसलिये उनको नियुक्ति कर दी गई। जहां तक यह कहा गया कि भूतपूर्व मंत्री जी ने इस विषय में अपना मत दिया था और आदेश दिया था। मैं जानता हूं कि उन्होंने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया था और यह कहना बिलकुल असत्य है। जिस समय ९ दिसम्बर को यह प्रोपोजल आया श्री के० के० सिंह का तो १ जनवरी, सन् १९६७ को भूतपूर्व मंत्री जी ने उस पर अपना मत दिया कि नियुक्त कर दी जाय, उसमें वह नहीं है। वह कह सकते हैं कि नियुक्ति नहीं हुई थी, रोक दिया गया था, लेकिन यह भी गलत है, रोका भी नहीं गया था। यहां पर उत्तर प्रदेश सहकारी संघ में एक अतिरिक्त सचिव का स्थान था और उसके लिये श्री० पी० त्यागी का नाम प्रस्तावित किया गया था। उसके बाद मैनेजमेंट बोर्ड ने उनको ही स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि त्यागी का ही एक्सटेंशन कर दिया है इसलिए प्रश्न नहीं उठता। यह कहना बिलकुल असत्य है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि भूतपूर्व मंत्री जी ने उसको रोका था । उसके बारे में मैं तथ्य रख सकता हूं । श्री के० के० सिंह का प्रस्ताव दो बार आया । २६ सितम्बर, सन् १९६६ के एक बार आया, एक, श्री गोयल को था एक श्री सक्सेना का था और तीसरा श्री के० के० सिंह का था, तीन जगह जनरल मैनेजर्स की नियुक्तियों का प्रश्न था, लेकिन संयुक्त सचिव ने श्री बनारसी दास से बात कर के यह तय किया कि श्री सिंह को जनरल मैनेजर बना कर नहीं भेजना चाहिए और उस वक्त भी भूतपूर्व मंत्री जी का कोई आदेश नहीं हुआ, लेकिन संयुक्त सचिव ने अपना नोट जरूर दिया था कि इनको न भेजा जाय और उस समय दो अन्य व्यक्तियों का प्रस्ताव तो मान लिया गया और सिंह जी का नहीं माना गया । लेकिन उसके बाद दूसरी बार उनका प्रस्ताव आया जिसमें भूतपूर्व मंत्री जी ने ३ जनवरी, १९६७ को जो आदेश दिये उस में उनके लिये कोई आदेश नहीं दिया । केवल पहला प्रोपोजल जो था जिस में विभागीय स्टोर के जनरल मैनेजर के स्थानान्तरण की बात थी उस में संयुक्त सचिव ने कहा कि उनको नहीं भेजा जाय लेकिनउस में सहकारिता मंत्री ने कोई आदेश नहीं दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करते हैं ?

श्री राज बहादुर द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री के० के० सिंह या कमलकर सिंह फतेहपुर, बाराबंकी, गाजीपुर, रायबरेली और फैजाबाद जिलों में भी रहे और उनके खिलाफ अन्य शिकायतों को छोड़कर प्रशासनिक ढंग की काफी शिकायतें की गई हैं ?

श्री गंगाभक्त सिंह—

मैंने उस दिन भी बताया था कि उन के विरुद्ध एक शिकायत १५ जनवरी, १९६३ को हुई और उसमें कहा गया था कि उन्होंने अपना मकान वाराणसी में बताया जो ज्यादा आय का बना हुआ है इसकी उनके खिलाफ जांच की जाय । इस सम्बन्ध में श्री भगवन्त सिंह, जो सहकारी विभाग के सचिव हैं, ने जांच की और जांच के उपरान्त शिकायत को निराधार ठहराया । उनका कहना था कि इस प्रकार का कोई आरोप उनके ऊपर नहीं है। उन्होंने विस्तार से सारी जांच की और उसके बाद ही उन्होंने बताया कि इस प्रकार का कहना गलत है । उनका यह भी कहना था कि जो मकान बने हैं, वे उनकी सामर्थ्य के बाहर नहीं हैं । यह जांच जो हुयी, उसके ऊपर और बाद में सहकारिता मंत्री ने उस को मान लिया और जांच बन्द करवा दी और तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री चन्द्र भानु गुप्त, जी ने जांच को स्वीकार किया और कहा कि आगे जांच करने की आवश्यकता नहीं है। जो इस सम्बन्ध में उनका ५ जुलाई, १९६३ का आदेश है वह इस प्रकार है :

"The summary enquiry made by the Secretary with regard to the assets of this Officer reveals that the Officer concerned has not excessive funds in his account as was alleged by Sri Jai Ram Verma. It seems that Sahkarita Mantri is satisfied with this summary enquiry and is not prepared to make any further enquiry. I conclude from this that the allegation made were baseless. Persons incharge in responsible positions should realise that the officials working under them are not harrassed by false allegations. I take a serious view of such type of false allegations against the officials, who are subordinate to them. I conclude that both District Magistrate and Commissioner were more correct in their assessment of this Officer."

एक दूसरी इन्क्वायरी श्री राजबहादुर द्विवेदी के बारे में कमिश्नर ने की। उनका भी कहना था कि यह आदमी ईमानदार है और कार्य कुशल है। केवल एक ही बात के० के० सिंह के बारे में कही कि कोयले का काम इनके द्वारा नहीं कराया जाना चाहिए था यद्यपि जब पूछतांछ की तब डी० एम० ने कहा कि यह काम उनकी

[श्री गंगाभक्त सिंह]

ईमानदारी और कार्यकुशलता को देखकर दिया। तो जब भी इन्क्वायरी के रिजल्ट्स आये वे उनके पक्ष में आये हैं।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

माननीय मन्त्री जी ने फरमाया कि फैजाबाद से जो शिकायतें श्री राज बहादुर द्विवेदी के बारे में आयी थीं वे निराधार और निर्मूल पायी गयीं, लेकिन मैं उनके सूचनार्थ उनको बताना चाहता हूं कि उनके खिलाफ फैजाबाद से शिकायतें हुयी हैं और जिस समय यहां कुरेशी साहब डिवीजनल कमिश्नर थे उन्होंने इन्क्वायरी की थी और उसके आधार पर यह सजेस्ट किया था कि इस जिले में इनका आना बिल्कुल गलत है और इसका वहां से स्थानान्तरण किया जाय और इन शिकायतों की जांच सी० आई० डी० या विजिलैन्स के द्वारा करायी जाय। तो इन तमाम शिकायतों के होते हुए जिनकी सी० आई० डी० और विजिलेन्स ने भी सही पाया तो उनको पदोन्नति देने के क्या कारण हैं?

श्री गंगाभक्त सिंह--

श्रीमन्, हमारे सामने ऐसा कोई पत्र नहीं आया।

श्री बनारसी दास (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिनका मामला अण्डर इन्क्वायरी है उनको प्रिजज करना और सजा देना अनुचित है। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जितने भी लोगों की अभी तक इस प्रदेश के अन्दर विजिलेन्स द्वारा इन्क्वायरी हुयी है, क्या उन सब को वरिष्ठता के आधार पर प्रोमोट किया गया है?

श्री गंगाभक्त सिंह--

इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री बनारसी दास--

क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में अगर किसी आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस कमीशन की इनक्वायरी थी उनको सस्पेंड किया है और उनको आई० ए० एस० वगैरह के अन्दर सेलेक्शन रोक दिया है।

श्री गंगाभक्त सिंह--

ये तो अलग-अलग कैसेस हो सकते हैं। इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

श्री महेश कुमार (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मन्त्री जी सदन के सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बतायेंगे कि विजिलेंस द्वारा जो जांच चल रही है अगर उसमें वह दोषी पाये गये तो क्या जो प्रमोशन किया गया है वह वापस ले लिया जायगा?

श्री अध्यक्ष--

यह तो कह चुके हैं कि ले लिया जायगा। माननीय मुख्य मंत्री भी कह चुके हैं।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--

जब उनके खिलाफ शिकायत आयी थी और जिन शिकायतों को विजिलेंस के सुपुर्द किया ग ा था उसके बाद क्या उनका जो सामाजिक और प्रशासनिक आचरण है उसके खिलाफ तो कोई शिकायत मंत्री जी को नहीं मिली है?

श्री गंगाभक्त सिंह—

जैसा मैंने कहा कि पहले जो शिकायत आयी थी उस की जांच हो गयी जिसमें वह निर्दोष पाये गये। उसके बाद कोई आरोप पत्र हमारे सामने नहीं आया।

श्री बनारसी दास—

माननीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि जनवरी, १९६७ में श्री के० के० सिंह को पदोन्नति के आदेश मेरे काल में दिये गये, तो उन को कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया, यदि उन आदेशों को सेक्रेटरी के परामर्श से रोका था ?

श्री गंगाभक्त सिंह—

माननीय सदस्य उस आदेश के बारे में कह रहे हैं जो पहले वाला रोका था। जो जनरल मैनेजर और डिपार्टमेंटल स्टोर्स के लिये उन का नाम आया था उस समय पर सचिव ने यह कहा कि विजिलेंस में इनके खिलाफ इन्क्वायरी चल रही है इसलिये इन को नहीं भेजा जाना चाहिये, यद्यपि उसमें कोई प्रमोशन की बात नहीं थी, वह तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के नाते ही जाने की बात थी। तो ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा था कि सहकारिता मंत्री से बात कर लेंगे और बाकी दो प्रोपोजल्स स्वीकार किया। लेकिन इनके बारे में इतना ही नोट लगाया कि इनको नहीं भेजा जाना चाहिये। लेकिन उस के बाद यह तो दूसरा प्रोपोजल हुआ जिस पर आप का आदेश हुआ और उसके बाद कोई आदेश नहीं हुआ।

श्री बनारसी दास—

पहले से मेरा सम्बन्ध नहीं है। माननीय सहकारिता मंत्री ने यह कहा कि जनवरी में जो आदेश दिया उसके बाद मैंने कोई दूसरा आदेश रद्द करने का नहीं दिया। तो यदि आदेश था तो जून तक उसको कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया ? क्योंकि जो आदेश थे उसके बाद में सेक्रेटरी ने पुनः—मैं मन्त्री जी को बताना चाहता हूं—परामर्श दिया कि इनकी पदोन्नति उचित नहीं होगी जिस पर इनको रोका गया। इसी वजह से इन को पदोन्नति नहीं दी गयी।

श्री गंगाभक्त सिंह—

मेरा कहना है कि यह बात बिलकुल नहीं है। जो आदेश है उस का पालन नहीं हुआ। उसका कारण दूसरा था। केस यह था कि उत्तर प्रदेश सहकारी संघ में श्री ओ० पी० त्यागी, जो अतिरिक्त सचिव थे, उन का वहां पर डेपुटेशन पर ऐक्सटेंशन नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट बोर्ड ने उनके डेपुटेशन को स्वीकार कर लिया। उसके बाद डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रार के यहां से पत्र आ गया कि क्योंकि डेपुटेशन श्री त्यागी का स्वीकार हो गया है इसलिये अब वहां पर किसी के नियुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता। इसलिये ही वहां पर नियुक्त नहीं हुए। अन्यथा कोई आदेश उनके रोकने का नहीं था।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि पहले से उनके आदेश थे, और उस समय के सहकारिता मंत्री ने यह कहा है कि ६ महीने तक आदेश नहीं पालन किये गये। तो मैं जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व सहकारिता मन्त्री का उस फाइल में कोई लिखित आदेश है कि इनकी पदोन्नति कर दी जाय ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर मंत्री जी दे चुके कि लिखित आदेश नहीं है। लेकिन जो कारण हैं उस के बारे में लिखा है ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कि माननीय सहकारिता मंत्री से बात कर ली।

श्री गंगाभक्त सिंह—

सहकारिता मंत्री का यह लिखित आदेश था कि उसका प्रोमोशन किया जाय और विजिलेंस कमीशन की इन्क्वायरी बाधक नहीं बननी चाहिये। इसको काटने का फिर कोई आदेश भी नहीं हुआ। जो आदेश मैंने किया वह पहले से ही इस सम्बन्ध में था।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मन्त्री जी स्पष्टतया बतलायेंगे कि जनवरी, १९६७ में इस अफसर को प्रोमोट करने के लिये भूतपूर्व सहकारिता मंत्री के आदेश दिये जाने के बाद फिर सेक्रेटरी से उनकी बातचीत हुई और आपके चार्ज लेने के समय तक कोई रिकार्ड फाइल में है जिसके अनुसार पहले के आर्डर्स को स्टे किया गया ?

श्री गंगाभक्त सिंह—

ऐसी कोई बात रिकार्ड में नहीं है कि उनके प्रोमोशन को रोक दिया जाय।

श्री नवलकिशोर—

अध्यक्ष महोदय, मैं अनुगृहीत हूं कि माननीय सहकारिता मंत्री ने काफी लीपा पोती की लेकिन उसके बाद भी सही जवाब नहीं आ सका। मुझे इतना ही कहना है कि जिस अधिकारी के खिलाफ एडवर्स इंट्री हो या डाउटफुल इंटेग्रिटी होती है उसको प्रोमोशन नहीं दिया जाता है। फिर जिस केस में चार्जेज लगा कर विजिलन्स कमीशन को भेजा गया हो उसमें सहकारिता मन्त्री आज प्रोमोशन दें तो यह विजिलेन्स कमीशन की सैंकटिटी को एक्सप्लायट करना होगा। मैं समझता था कि सहकारिता मन्त्री कहेंगे गलती हो गयी, लेकिन इसके बरअक्स उन्होंने हेकड़ी के साथ उसे डिफेंड किया। वे अपने केस को या तो मेक आउट नहीं कर पाए या फिर सेक्रेटरी ने उनको मिसगाइड किया या फिर उन्होंने पक्षपात किया हो, जो बात कहना मुझे अच्छी नहीं लगती। माननीय मुख्य मन्त्री ने यह कहा था कि उनकी स्पष्ट राय थी जिसे उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ कहा और जिसका मतलब यह था कि इस तरह के आदमी की पदोन्नति नहीं होनी चाहिए। मैं एमफेटिकली यह इस बात को कहता हूं कि जिस व्यक्ति के खिलाफ इतने चार्जेज हों, विजिलेन्स कमीशन में जिसका मामला गया हो, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हों ऐसे व्यक्ति की पदोन्नति करना न केवल गलत ही है बल्कि इससे प्रशासन पर कलंक भी लगता है।

श्री गंगाभक्त सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि माननीय नवल किशोर जैसे वरिष्ठ सदस्य यहां पर इस प्रकार की बात करते हैं जिसमें कोई तथ्य नहीं है। फिर इस बात को जो पहले का शासन था उसने ठीक माना था और उसका मैं यद्यपि सहारा भी नहीं ले रहा हूं, मैंने पहले ही यह कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई चार्ज शीट न आ जाय तब तक उसकी पदोन्नति रोकना अन्याय होगा। लेकिन इसके बाद भी नवल किशोर जी ने इस मसले को उछालने की कोशिश की जिससे उन्होंने अपना छोटापन जाहिर किया, क्योंकि उस दिन प्रश्न भी हुये थे और उसम सभी बातें आ गयी थीं। यह सब होने के बावजूद भी जो माननीय नवल किशोर जी छोटापन जाहिर कर रहे हैं उसमें कोई शोभा की बात नहीं है। वह जो चीज ठीक करते हैं उसको मैं ठीक कहता हूं, लेकिन इसमें कोई नियम विरुद्ध बात नहीं थी। मैं अपनी जगह पर सहमत था और कोई उसमें अनियमितता की बात नहीं थी। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह का परिचय उन्होंने इस बार दिया आगे न दें तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

लखनऊ :
१८ जुलाई १९६७ ।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३८ (२) के अन्तर्गत ता० प्र० ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६६ पर।)

रायबरेली जिले के ऊंचाहार और सालोन विकास खंडों में वर्ष १९६६ और ३१ मई, १९६७, तक निर्माण किये गये नलकूपों की संख्या बिजली कनेक्शन प्राप्त करने हेतु जितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये, उनमें से जिनको कनेक्शन मिल गये, जिनका मामला विचाराधीन है और जो प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये गये उनका विवरण इस प्रकार है।

	ऊंचाहार	सालोन	योग	
(१) निर्माण किये गये नलकूपों की संख्या ..	१६	३९	५५	
(२) प्राप्त प्रर्थना पत्रों की संख्या				
(अ) १९६६ में ..	१३	६	१९	४९
(ब) १९६७ में ..				
(३१ मई तक) ..	१४	१६	३०	
(३) कनेक्शन दिये जाने वालों की संख्या ..	१०	४	१४	
(४) विचाराधीन प्रार्थना पत्रों की संख्या ..	११	३	१४	
(५) प्रार्थनापत्र जो खारिज कर दिये गये ..	—	—	—	

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७३ पर)

	प्रतिशत
(१) रिहन्द बिजली घर की वार्षिक पैदावार की क्षमता (सहायक मशीनों में बिजली का व्यय छोड़ कर)	१००
(२) वार्षिक बिजली जो विशेष कन्ट्रैक्ट उपभोक्ताओं के लिये निर्धारित की गई है–	
(क) सर्वश्री हिन्दुस्तान अल्युमिनियम कारपोरेशन (५५ मेगावाट)	४८
(ख) सर्वश्री कर्नाटक केमिकल्स (६.५ मेगावाट) ..	५.७
(ग) मध्य प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् (अभी सप्लाई देना है) ..	१५
(घ) बिहार राज्य विद्युत परिषद् (रेलवे ट्रैक्शन के लिये) ..	४
(ङ) कृषि के लिये	५
(३) बिजली के थोक विक्रे ता–	
हिन्दुस्तान अल्युमिनियम कारपोरेशन (४५ मेगावाट) सीमेन्ट फैक्ट्री और अन्य उपभोक्ता	२२.३
	१००

नत्थी 'ग'

(देखिये ता० प्र० सं० २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७७ पर।)

नलकूप संख्या १०२, १०३, १०४ तथा २ सी० पी० और ४ सी० पी० जिला बस्ती पर मार्च से जून, १९६७ तक सिंचाई के औसत रेट का विवरण:—

नलकूप का नाम	सिंचाई का औसत रेट प्रति बीघा			
	मार्च, १९६७	अप्रैल, १९६७	मई, १९६७	जून, १९६७
१०२ बस्ती ..	१३.१५	९.१२	१०.२४	१०.९८
१०३ ,, ..	५.३५	९.४२	११.३५	७.७६
१०४ ,, ..	११.६५	११.५७	११.३१	१६.९४
२ सी० पी ..	५.७६	७.५६	९.७२	८.८६
४ ,, ..	५.३५	७.७६	१५.०१	१७.३७